राजस्थान विधान सभा

४५वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–९ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.१५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८७६

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८७७

जनवरी, १९५६ के पश्चात् जैसलमेर में भूस्वामियों को बन्दी बनाना एवं लाठी चार्ज से चोटें

श्री हनवन्तसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला जैसलमेर में कितने भूस्वामी जनवरी सन् १९५६ से अब तक कैद किये गये ।

(ख) भूस्वामियों पर कितनी बार लाठी चार्ज किया गया व उसके फलस्वरूप किन किन सत्याग्रहियों को कहां कहां चोटें आई ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) तारीख १०-३-५६ से ३०-४-५६ तक—१६ ।

(ख) कुल एक बार १३-३-५६ को ।

निम्नलिखित सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया और उनके साधारण चोटें आईं :-

१. खुमानसिंह २. शिवसिंह ३. सबलसिंह ४. तख्तसिंह ५. मूलसिंह
६. संगसिंह ७. केसरसिंह ८. सुलतानसिंह ९. ईश्वरसिंह १०. किशोरसिंह
११. अखैसिंह १२. ईश्वरसिंह १३. रायसिंह १४. रतनसिंह
१५. डूंगरसिंह १६. अमनसिंह ।

श्री हनवन्तसिंह—लाठी चार्ज करने के बाद चोट लगे हुए लोगों को २० मील दूर ले जाकर छोड दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—उनको गिरफ्तार किया गया, छोड़ा नहीं गया।

श्री हनवन्तसिंह—लाठी चार्ज किया, उन सबको गिरफ्तार किया गया। १६ आदमी थे वहां पर ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम मैंने पढ़े हैं।

श्री हनवन्तसिंह—चोट लगने वालों को बीस मील दूर ले जाकर छोड़ दिया गया, यह सच है कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—आवाज नहीं आ रही है।

श्री हनवन्तसिंह—जिन लोगों को चोट लगी उनको बीस मील दूर ले जाकर छोडा जाय, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिन लोगों के नाम बताये हैं मैंने, उनको गिरफ्तार किया गया है छोड़ा नहीं गया कहीं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं पूरा हुआ। चोटें कहां कहां आई, यह नहीं बताया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिस्म पर ऑर्डिनरी चोटें आई।

श्री हनवन्तसिंह—चोटें लगी उन सबको गिरफ्तार किया या छोड़ दिया गया बाहर जंगल में ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपका सवाल है किस किस को गिरफ्तार किया गया, मैंने बता दिया।

श्री हनवन्तसिंह—चोटें कहां कहां किन किन के आईं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने नाम पढ़ तो दिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७८

तालाब विजयसागर फतहगढ़ का जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धन राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तालाब विजय सागर फतहगढ़ (सरवाड़) चालू वर्ष में टूट गया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त तालाब की अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है ?

(३) चालू वर्ष में उक्त तालाब की मरम्मत के लिये कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—(१) नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) ६८० रुपये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में यह तालाब टूट गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—'नहीं' का जवाब दिया था चालू वर्ष में। पर क्या यह सही है कि ५५-५६ के वित्तीय वर्ष में यह टूट गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह है, इसमें एक छेद हो गया था। बाकी टूटा नहीं था ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तालाब इस हद तक टूट गया था कि जिसकी वजह से सारा पथरगढ़ ग्राम के बहने का खतरा हो गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, जैसा मैंने अर्ज किया था उसमें एक छेद हो गया था।

श्री अध्यक्ष—उसका डाइमेन्शन पूछेंगे, छेद का।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसकी बीस फीट पाल को असर हो गया था, पर फतहगढ़ के नागरिकोंने और वहां की पंचायतवालों ने जल्दी से उसे ठीक कर दिया अपने सहायोग से। इसके बाद जो

[श्री भोगीलाल पंड्या]

आवश्यक कार्यवाही करनी थी, कर ली गई और अभी अभी एक्स डिवीजनल ऑफीसर सिंचाई, टोंक को लिख दिया गया है कि इसके अन्दर जो छ फीट पानी है, वह ज्योंही खतम होवे बाकी मरम्मत करने का ध्यान रक्खा जावे और पाल भी और चोडी की जावे ताकि आइन्दा भी कोई नुकसान का अन्देशा न रहे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि फतहगढ़ ग्राम पंचायत ने, यह टूट रहा था तो सिंचाई विभाग से मांग की थी कि इसे इस वक्त नहीं सम्भाला जावेगा तो यह टूट जावेगा ?

श्री भोगीलाल—नहीं, ऐसी बात सरकार के सामने नहीं आई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसके बाद भी फतहगढ़ पंचायत ने शिकायत की थी कि सिंचाई विभाग के द्वारा अभी इसको ठीक नहीं कराया गया तो अगली बरसात के मौसम में गांव के बहने का खतरा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया होता तो यह टूट गया होता, इसकी मरम्मत करा दी गई है। अब उसमें छ फीट पानी है, वह ज्योंही सूख जावेगा उसकी बाकी मरम्मत भी करा दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—यह सरकार द्वारा कब मरम्मत कराई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले उत्तर दिया था कि फतहगढ़ के नागरिकों और वहां की पंचायत के सहयोग से मरम्मत कराई गई और जो छेद हो गया था वह पाट दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—जिस वक्त यह मरम्मत कराई गई क्या सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी वहां पहुंचा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या— माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि गांवों में हजारों और सैकड़ों की तादाद में तालाब हुआ करते हैं। हर तालाब पर सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं रक्खे जाते। यह तो गांव वालों का पहला और प्राथमिक कर्त्तव्य होता है कि वह स्वयं ऐसे वक्त सहायता के लिये आवें। ढोल बजा करता है और सब लोग अपने आप वहां पहुंच जाते हैं और काम कर देते हैं। ऐसे वक्त सिंचाई विभाग के किसी आदमी की इन्तजार नहीं की जाती कि वे आवेंगे तब मरम्मत होगी; ऐसा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—जो ६८० रु० की रकम इस चालू वर्ष में मरम्मत के लिए बताई गई है क्या वह इस तालाब की मरम्मत के लिए पर्याप्त है ?

Page No.5

श्री पंड्या—उसमें ६ फीट पानी है। ज्योंही पानी सूखेगा कार्यवाही की जायगी।

तात्कालीक जो मिट्टी डालने की जरूरत थी वह ६०० रु० की डाल दी।

श्री मेहता—क्या वर्षा शुरु होने से पहले जितनी आवश्यकता उस तालाब के लिए काम की होगी वह सारी की सारी कर दी जायगी?

श्री पंड्या—मैंने उत्तर में बताया कि टोंक के सिंचाई विभाग के सब डिविजनल ऑफीसर को लिख दिया गया है कि वर्षा होने से पूर्व ही वहां जाकर देख लें और दीवाल और चोड़ी करा दें ताकि आयन्दा खतरा नहीं हो।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि जब तक रकम स्वीकृत नहीं होगी टोंक के एस० डी० ओ० मरम्मत नहीं करा सकेंगे?

श्री पंड्या—वैसा नहीं हुआ करता है। इमरजेन्सी का काम होता है तो बजट और रकम की मंजूरी की राह नहीं देखी जाती है और काम शुरु कर देते हैं। सिंचाई विभाग में एक बड़ी धनराशि है जिसमें से लेकर तालाब की मरम्मत कर दी जाती है।

श्री मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी की जानकारी है कि सन् ५५ में भी इसी प्रकार का जवाब दिया गया था, कोई रुपया नहीं लगाने की वजह से तालाब की मरम्मत नहीं हो सकी?

श्री पंड्या—टूटा ही नहीं तो मरम्मत कहां से होती?

प्रश्न संख्या ८७६

राजस्थान में सब से अधिक लंबी सड़कों वाला जिला एवं गंगानगर का उसके अनुसार स्थान

श्री प्रभुदयाल (श्री कुम्भाराम आर्य के स्थान पर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं और वे कितने मील लम्बी हैं?

(ख) सड़कों के हिसाब से गंगानगर जिले का कौनसा नम्बर पड़ता है?

(ग) क्या सरकार इस जिले में मोटर गाड़ियों की संख्या के अनुसार सड़कों की कमी को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाया जा रहा है?

शाह श्री अलीमुद्दन (उपमंत्री)—(क) उदयपुर जिले में ६३१ मील।

(ख) २३ वां नंबर है।

(ग) लिस्ट साथ में शामिल है। जिसको मैं आपकी खिदमत में सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष—लिस्ट तो दे दीजियेगा। नोटिस ऑफिस में रख दी होगी आपने ?

If the list is lengthy I will not allow it to be read here.

शाह श्री अलीमुद्दीन—नहीं, very Small.

उदयपुर में ३५० प्राइवेट कार्स, प्राइवेट बसेज़ ५५, मोटर साइकिल्स एण्ड ट्राइ साइकिल्स ५६, टेक्सी कार्स एण्ड कॉनट्रेक्ट केरेजेज़ ३, स्टेज केरेजेज़ एन्ड बसेज़ १७५, पब्लिक केरियर्स २३२, प्राइवेट केरियर्स ८२, अदर्स ३; टोटल ९५६।

गंगानगर में प्राइवेट कार्स २६५, प्राइवेट बसेज ५, मोटर साइकिल्स एन्ड ट्राइसाइकिल्स ५६, टेक्सी कार्स एन्ड बसेज़ १, स्टेज़ कार्स एन्ड बसेज़ १२८, पब्लिक केरियर्स २८३, प्राइवेट केरियर्स ६२, टोटल ७१०।

(घ) जी हां। सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में इसका खयाल रखा जायगा।

प्रश्न संख्या ८८०

सरकार द्वारा नलकूप योजना के अन्तर्गत चुना हुआ स्थान एवं इस कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि

श्री प्रभूदयाल (श्री कुम्भाराम आर्य के स्थान पर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) सरकार ने नल-कूप योजना के अन्तर्गत किन किन स्थानों को चुना है ?

(२) इस कार्य के लिये सरकार ने कितनी रकम स्वीकार की है ?

(३) स्वीकृत रकम में कितनी रकम व्यय हो चुकी है और शेष बची हुई रकम को क्यों नहीं व्यय किया गया ?

श्री ब्रद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) निम्न स्थानों को—

Page No.7

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

१. मौलासर, २. जसवन्तगढ़, ३. टोडारायसिंह, ४. किशनगढ़ रैनवाल, ५. नेछवा, ६. मेहनसर, ७. जैतपुरा, ८. गंगामेरी, ९. लूनकरनसर।

(२) इस कार्य के लिये सरकार ने १० लाख रुपया देना स्वीकार किया था।

(३) पहले चुने हुए स्थानों से श्रमदान का द्रव्य प्राप्त न करने के कारण दूसरे स्थान चुने गये। ऐसी योजनाएं बनाने में सर्वे आदि करना पड़ता है और इनको तैयार करने में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेने में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त योजना के अनुसार सामान जैसे पाइप्स वगैरह मिलने में भी बहुत पहले से इन्तजाम करना पड़ता है। अतः इस मद में कोई खास खर्च अभी तक नहीं हो सका। अब प्रगति हो रही है। अब ये योजनाएं द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पूरी की जावेंगी।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या इसमें लूनकरनसर के रेगिस्तानी इलाकों के लिए विशेष ध्यान देंगे

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लूनकरनसर शामिल है, मैंने नाम बतलाया है।

प्रश्न संख्या ८८१

सन् १९५५-५६ में जैसलमेर में पूर्व वर्षों से अधिक डकैतियां एवं ग्राम बरसलपुर (डि० बीकानेर) से जागीरदार का अपहरण

श्री हनवन्तसिंह—क्या गृहमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या जिला जैसलमेर में सन् १९५५-५६ में पहले से ज्यादा डकैतियां, अपहरण व चौरियां हुई ? कृपया वार्षिक विवरण देवें।

(ख) पाकिस्तान में शरण लेने वाले डाकुओं के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) क्या यह सच है कि कोलायत तहसील बीकानेर में ग्राम बरसलपुर के जागीरदार को डाकू उठा ले गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी हां। वार्षिक विवरण निम्न प्रकार हैः—

(१) सन् ५४ में चोरियां नकबजनी ३८

[श्री रामकिशोर व्यास]

डाके	२
अपहरण	७
(२) सन् ५५ में चोरियां नकबजनी	४३
डाके	४
अपहरण	६
(३) सन् ५६ में ३१-३-५६ तक	
चोरियां नकबजनी	१२
डाका	१

(ख) भारत और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में कुछ डाकू ऐसे हैं जो भारत में लूटपाट करते हैं और पाकिस्तान में शरण लेते हैं।

(ग) पाकिस्तान और भारत में एक्स्ट्राडिक्शन की ट्रिटी नहीं होने के कारण किसी डाकू को पाकिस्तान में जाकर भारत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

(घ) जी नहीं।

श्री हनवन्तसिंह—गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो सरकार और कोई कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री अध्यक्ष—बतलाया है कि एक्ट्राडिक्शन ट्रिटी है नहीं तो क्या कार्यवाही करते ?

श्री रामकिशोर व्यास—कान्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा है।

श्री हनवन्तसिंह—कान्फ्रेन्स से क्या होता है। चार साल से वे चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं पुलिस क्यों नहीं करती है ?

श्री अध्यक्ष—पुलिस एक्शन ओन पाकिस्तान।

श्री हनवन्तसिंह—डाकुओं पर क्यों नहीं करते हैं ?

Page No.9

श्री अध्यक्ष—श्री मनफूलसिंह ।

प्रश्न संख्या ८८२

राजस्थान में भाखरा नहर के खुदने के कार्य के लिए प्रारंभ की तिथि एवं खुदने वाले स्थान

श्री मनफूलसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में भाखरा नहर के खुदने का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और सन् ५६-५७ में कहां कहां हो जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री, सिंचाई मन्त्री के स्थान पर।)—अभी यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है । योजना स्वीकृत होने पर कार्य आरम्भ किया जावेगा ।

प्रश्न संख्या ८८३

जिला बोर्डों के चुनाव की पहले निर्धारित तिथि एवं आगे होने वाले चुनाव की तिथि

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्निलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला बोर्डों के चुनाव की पहली तारीख सरकार द्वारा कौन सी निर्धारित की गई थी ?

(ख) क्या कारण है कि उस तारीख को सरकार चुनाव नहीं करा सकी ?

(ग) अब सरकार यह चुनाव कब तक करा देगी ?

(घ) क्या राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं ?

(ङ) जिला बूंदी में तहसीलवार जिला बोर्ड में अलग अलग कितनी सीटें रखी गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जनवरी १९५६ में विभिन्न जिलों की भिन्न भिन्न तारीखें निर्धारित की गई थीं ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ख) जिला बोर्डों के सदस्यों के चुनाव का अधिकार पंचायतों के सदस्यों को है और (Section 9) राजस्थान की समस्त पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे। अत: जिला बोर्डों के चुनाव समय पर नहीं हो सके।

(ग) आशा है कि जुलाई, १९५६ के अन्त तक चुनाव सम्पन्न हो जावेंगे।

(घ) अभी सम्पूर्ण चुनाव नहीं हो चुके हैं परन्तु मुख्य पंचायत अधिकारी को पंचायतों के तुरन्त चुनाव सम्पूर्ण करने की आज्ञा दी जा चुकी है और उन्होंने इस दिशा में बहुत काफी प्रगति भी की है।

(ङ) निम्न लिखित कोन्स्टीटुएन्सीज़ के सामने दी गई सीटें रखी गई हैं :

१.	बूंदी	३
२.	तौलेड़ा	३
३.	केशोराय पाटन	६
४.	नेनवा	४
५.	हिन्डोली	४
	कुल	२० सीटें

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि नॉमीनेशन भी दाखिल हो गये थे जिला बोर्ड के चुनाव के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है।

प्रश्न संख्या ८८४

जनवरी, १९५५ के पश्चात कृषि कॉलेज जोबनेर से उदयपुर स्थानान्तरित कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

Page No.11

[श्री चांदमल मेहता]

(१) १ जनवरी, १९५५ के बाद कृषि कॉलेज, जोबनेर से किन किन कर्मचारियों का तबादला कृषि कॉलेज, उदयपुर में किया गया ?

(२) जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया है वे कितने समय से उक्त कॉलेज में काम कर रहे थे और उनका तबादला कब कब किया गया ?

(३) तबादले किये कर्मचारियों के स्थान पर कब कब किस किस को रखा गया और उनके नाम, योग्यता व अनुभव क्या क्या हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री के स्थान पर)–(१) जनवरी, १९५५ के बाद कृषि कॉलेज जोबनेर से निम्नलिखित कर्मचारियों को स्थानान्तर या राजस्थान कृषि कॉलेज़ उदयपुर में किया गया —

(क) श्री डा० अमरसिंह राठौर, प्रिन्सिपल ।

(ख) श्री सी. पी. त्रिवेदी, प्रोफेसर ऑफ एग्रोनामी ।

(ग) श्रीमती कुसुम राठौर, प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनोमिक्स एन्ड स्टेटिक्स ।

(२) उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति वा स्थानान्तरण की क्रमानुसार निम्नलिखित तारीखें हैं —

	ता० नियुक्ति	ता० स्थानान्तरण
[क]	१-७-१९५०	३-११-५५ ई०
[ख]	१३-७-११४७	६-८-५५
[ग]	१५-७-१९५०	६-८-५५

[३] [क] श्री अमरसिंह राठौर के स्थान पर ऑफिसियेटिंग प्रिन्सिपल का चार्ज श्री के. एस. कुशवाह, प्रोफेसर ज्योलॉजी व एन्टोमोलोजी जो कि १५–७-'५० से काम कर रहे हैं, दिया गया।

[ख] एग्रोनोमी के विशेषज्ञ श्री चन्द्रप्रकाश त्रिवेदी के उदयपुर नियुक्त हो जाने से रिक्त हुए स्थान पर तत्काल कृषि विभाग के उसी विषय के विशेषज्ञ श्री भारतसिंह राठौर की नियुक्ति जोबनेर में कर दीं गई है ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ श्रीमती कुसुम राठौर के उदयपुर नियुक्ति हो जाने से इस विषय के अध्ययन का सम्पूर्ण कार्यभार उसी विभाग के विशेषज्ञ श्री भूपाल सिंह राठौर को दे दिया गया जो कि उसके पूर्व अपना कुछ समय कृषि कॉलेज (जोबनेर) के अतिरिक्त हाई स्कूल (जोबनेर) की कक्षाओं में भी देते थे, इस प्रकार श्रीमती कुसुम राठौर के स्थान पर किसी नई नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

उक्त कर्मचारियों के नाम, योग्यता, व अनुभव निम्नलिखित हैं :

नाम	योग्ता	अनुभव
(१) श्री डा० अमरसिंह राठौर, प्रिन्सीपिल	बी. एस. (ए. जी) एम. एस. पी. एच. डी. (यू. एस. ए.)	४ साल रिसर्च अनुभव १० ,, टिचिंग ,, ४ ,, फार्म मेनेजर
(२) श्री के. एस. कुशवाह, प्रोफेसर, ऑफ एग्रीकल्चर ज्योलाजी, एन्ड एन्टोमोलोजी	बी. एस. सी. (ए. जी) एन्ड एम. एस. सी (ए. जूलोजी)	६ साल का टिचिंग अनुभव व दो साल का रिसर्च अनुभव
(३) श्री सी. पी. त्रिवेदी, प्रोफेसर, एग्रोनोमी	बी. एस. सी. (ए. जी) एम. एस. सी. एसोशियेट आई. ए. आर. आई	साढ़े नौ साल टिचिंग का अनुभव
(४) श्रीमती कुसुम राठौर, प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर एन्ड स्टेटिस्टिक्स	बी. ए. (बम्बई) एम. एस. (यू. एस. ए)	साढ़े ६ साल ,,
(५) श्री भारतसिंह राठौर, लेक्चरार इन एग्रोनोमी	बी. एस. सी (ए.जी) एम. एस. सी. (ए. जी.)	१ साल का टिचिंग अनुभव २ साल का रिसर्च अनुभव

श्री चांदमल मेहता—इन कर्मचारियों के तबादले किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो लोग अनुभवी थे और दूसरा कॉलेज जब उदयपुर चला गया तो वहां भी अनुभवी व्यक्तियों को आवश्यकता थी, दोनों जगह रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अनुभवी आदमियों को तो उदयपुर कृषि कालेज में भेज दिया गया और अनुभव हीन व्यक्तियों को जोबनेर कॉलेज में रखा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने इसका उत्तर दिया है। अनुभव हीन किन्हीं को नहीं रखा गया। आलरेडी वहां थे, ८- १० साल के अनुभवी व्यक्ति वहां हैं। नये आदमी तो नहीं रखे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो उदयपुर कालेज में भेजें गये वे ज्यादा अनुभवी थे बमुकाबले उन व्यक्तियों के जो कि जोबनेर कॉलेज में रखे गये हैं ?

श्रीभोगीलाल पंड्या—कमी बेशी का सवाल नहीं है। जिस योग्यता की दोनों जगह आवश्यकता थी रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जोबनेर वाले व्यक्तियों को ही उदयपुर की भेजने आवश्यकता हुई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काम जमाने के लिए भेजे हैं। इस सम्बन्ध में और फिर विचार किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया तो उनकी जगह कब नियुक्तियां की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख तो मैंने बता दी, फिर बताऊं क्या ?

श्री चांदमल मेहता—जिनको जोबनेर में नियुक्त किया हैं उनकी तारीख नहीं बतायी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे तो इसके लिए अलग नोटिस चाहिए। जनरल नियम है, साधारणसी बात है। जिनके पास व्यवस्था का काम होता है, दो जगह की व्यवस्था भी सम्हालते हैं। स्थाई नियुक्ति का सवाल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—नोटिस की आवश्यकता नहीं है, मैंने प्रश्न में पूछा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको प्रश्न की एक एक लाइन का उत्तर दिया है। अगर मैं पढ़ दूं तो आपको संकोच नहीं होगा ?

श्री चांदमल मेहता—मैंने पढ़ लिया है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—क्या जोबनेर कॉलेज में प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल की जगह अब तक खाली है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, वाइस प्रिन्सिपल और प्रिन्सिपल दोनों हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या जोबनेर में हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वे. पी. एस. सी. से सिलेक्ट हुए थे या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—स्थानान्तरण के मामले में पी. एस. सी. से नहीं पूछा जाता है, वह तो गवर्नमेंट ही करती है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—जो प्रिन्सिपल आज हैं और वाइस प्रिन्सिपल हैं उनके नाम क्या हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बता दिया आप चाहें तो और पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—बता दिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनको उस वक्त स्थानान्तरित किया गया जबकि वहां की क्लासेज़ शुरू हो चुकी थीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि क्लासों पर कोई असर नहीं पड़ा। अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि क्लासें चालू होने के कई दिनों बाद इन अधिकारियों का उदयपुर तबादला किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है। सेशन के बीच में भी हो सकता है, लेकिन उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

Page No.15

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार ने ये आज्ञायें जारी कर रखी हैं कि यदि क्लासें चालू हो जायं तो ट्रान्सफर्स नहीं किये जायं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी आज्ञायें नहीं हैं। प्रशासनिक कारणों से तबादले होते रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उन तबादलों की वजह से उदयपुर कॉलेज को प्रोत्साहन मिला है और जोबनेर कॉलेज को क्षति हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्या क्षति हुई ? क्षति तो नहीं हुई, फिर भी आप सूचना दे रहे हैं इसकी और जानकारी की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जोबनेर कॉलेज के कई बार डेपुटेशन्स मिले हैं कि इस वजह से कॉलेज को काफी क्षति पहुँची है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे कई कारण थे। जोबनेर कॉलेज को सरकार ने प्रयत्न करके रखा है। इतना ही कह सकता हूँ। रिपोर्ट हैं। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अब तक इस जोबनेर कॉलेज में कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक चपरासी का था जिस पर नियुक्ति शायद हो गई है। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अलग से सवाल पूछेंगे तो मैं जानकारी करके बता सकूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रिन्सिपल के योग्य न होने से उनको ओफिशियेटिंग लगा रखा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ओफिशियेटिंग किये जाते हैं, संतोषजनक काम है तो स्थायी भी होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रिन्सिपल ही वाइस प्रिन्सिपल का काम करते हैं और कोई अलग वाइस प्रिन्सिपल नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितने स्टाफ की आवश्यकता है गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है और काम ठीक तरह से चल रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितने कर्मचारियों की आवश्यकता थी उतने वहां नहीं हैं इसलिए जोबनेर कृषि कॉलेज की ओर से बार बार प्रार्थना पत्र आ रहे हैं ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री केसरीसिंह ।

प्रश्न संख्या ८८५

ग्राम बड़ा खेड़ा (त० पाटन) में रेबारियों द्वारा कुए के लिए जमा करवाई गई रकम एवं उस कूए का ठेका

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर कृपा करेंगे ।

(क) ग्राम बड़ा खेड़ा, तहसील पाटन जिला बूंदी में रेबारियों ने कुए के लिए कितना रुपया सरकार में जमा कराया और कब ?

(ख) उस कुए का ठेका कब और किस किस को दिया गया और यह काम कब पूरा हुआ ?

(ग) सरकार की ओर से इस कुए के लिए कितनी आर्थिक सहायता मिली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)— (क) सन् १९५१-५२ में ५००० रु०
सन् १९५२-५३ में १००० रु०
सन् १९५४-५५ में २५० रु०
कुल ६२५० रू०

(ख) इस कुए का कुछ कार्य अमानी से कराया गया और बाकी काम इन्जीनियरी विभाग द्वारा ठेकेदार श्री सरदारीलाल को दिया गया था, कुए का कार्य इस वर्ष जल बोर्ड को दी हुई रकम द्वारा पूरा होगया है ।

(ग) सरकारी ओर से इस कुए को निम्न आर्थिक सहायता मिली है—

१९५१-५२	६०४ रु	१० आ०	९ पाई
१९५२-५३	१६०० रु	०	०
१९५४-५५	५०० रु	०	०
	कुल २७०४	१०	९ पा०

Page No.17

महाराज श्री केसरीसिंह—इस कुए का काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—शुरू तो पहले ही हो गया था लेकिन काम अब समाप्त हुआ।

महाराज श्री केसरीसिंह—इतना लम्बा अर्सा होने का क्या कारण है ? ५१ में काम शुरू हुआ और ५५-५६ तक काम पूरा नहीं हो सका ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि पहले अमानी में काम कराया गया था और जब पूरा नहीं हुआ तो इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट को कहा गया तो उनको सहायता देकर कराया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—अमानी में काम कराया तो सोच विचार करके कराया होगा, कितना टाइम लग गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पूरा हुआ नहीं था ठीक तरह से इसलिए इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा ठेकेदार सरदारीलाल से कराया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—अामनी में काम कराया तो उस पर निरीक्षण किसका था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी मेरे पास नहीं है इस समय, और जानकारी करके बता दूंगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—अमानी के काम का पैसा किसको दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— नाम तो इस समय मेरे पास नहीं है। ठेकेदार का नाम सरदारीलाल है जिसको इन्जीनियरिंग विभाग से ठेका दिया गया था।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. पाटन की मार्फत यह हुआ था ?

प्रश्न संख्या ८८६

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखये)

प्रश्न संख्या ८८७

राजस्थान के विभिन्न जिलों में खोले गये नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लोक्स-विशेषतया जिला बूंदी में

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५५ में नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लोक्स राजस्थान में किस किस जिले में खोले गये ?

(ख) जिला बूंदी में एन. ई. एस. ब्लोक किस तारीख को किस के द्वारा और किस ग्राम में खोला गया ?

(ग) इस उद्घाटन में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(घ) उपरोक्त ब्लोक में अब तक कितना काम हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास— (क) सन् १९५५ में जिन जिन जिलों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खण्ड खोले गये उनके नाम इस प्रकार हैं :

१ झालावाड़
२ बीकानेर
३ बूंदी
४ सीकर
५ झुंझुनू
६ भीलवाड़ा
७ चित्तौड़
८ उदयपुर
९ जयपुर

(ख) बूंदी जिले में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ३ अक्टूबर, सन् १९५५ को खोला गया। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा तालेड़ा ग्राम में सम्पन्न हुआ।

(ग) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के बजट में से उद्घाटन पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(घ) अब तक इस विस्तार सेवा खण्ड में जो कार्य हुआ है उसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची अनुपलब्ध)

महाराज श्री केसरीसिंह—सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—ले लीजिये, नोटिस ऑफिस से ।

श्री अध्यक्ष—हमारे यहां भी सूची नहीं आयी है ।

महाराज श्री केसरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बार बार शिकायत की जाती है ।

श्री अध्यक्ष—कल रख दें, कल पूछ लीजिये ।

महाराज श्री केसरीसिंह—राइट् ।

श्री अध्यक्ष—कल रख दीजिये ।

(विराम)

प्रश्न संख्या ८८८

श्री कस्तूरचंद ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८८६

ग्राम दूणी (जिला टोंक) के पंचायत के चुनाव के विरुद्ध रिट पिटीशन्स

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम दूणी तहसील दूणी जिला टोंक, की पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

Page No.20

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(ख) यदि हां, तो कौन सी तारीख को ?

(ग) क्या इस चुनाव के विरुद्ध कोई रिट पिटीशन चल रही है ?

(घ) यदि हां, तो कहां और किस अधिकारी की अदालत में और अब वह किस स्टेज में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) दिनांक २३-६-१९५५ को।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह रिट पिटिशन किनके नाम से दर्ज हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-मैंने बताया कि पंचायतों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में कोई रिट दायर नहीं किया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह—कलेक्टर के पास चल रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–कलेक्टर के पास रिट होतीं नहीं, इलेक्शन पिटिशन तो होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह–इलेक्शन पिटिशन किसके नाम से हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–नाम तो मेरे पास नहीं है। वह तो खारिज हो चुकी।

रावराजा श्री सरदारसिंह–कौनसी तारीख को खारिज हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— तारीख तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन काफी दिन हो गये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—पहले भी मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि यह तो सब जुडिस है। एक भी तारीख नहीं पडी है आज दिन तक जब से इलेक्शन पिटिशन पेश हुई है। खारीज कैसे हो गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मेरे पास ऐसी सूचना आयी है कलेक्टर टोंक द्वारा कि वह खारीज करदी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—लेकिन वह खारिज किस बिना पर करदी गई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ८९०

करेडा के निवासियों द्वारा डाके से डर कर करेडा में पुलिस थाना की स्थापना की प्रार्थना

श्री चुन्नीलाल बिडला—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि तहसील मांडल के अन्तर्गत करेडा ग्राम के निवासियों ने गिर्दनवा में पडनेवाले डाकों के डर से पुनः अपने यहां थाना कायम कराने की दरख्वास्तें दी हैं ?

(२) क्या इस स्थान पर पहले पुलिस स्टेशन ही नहीं बल्कि तहसील का हैडक्वार्टर भी था ?

(३) इसके आस पास पुलिस स्टेशन कितने मील की दूरी पर है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त जगह मुस्तकिल थाना बनाये जाने को एस. आई. पी. व तहसीलदार व कलेक्टर जिला ने भी सिफारिश कि है ?

(५) यदि हां, तो सरकार का वहां कब तक थाना कायम करने का विचार है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) जी हां।

(२) रियासत के समय में वहां पुलिस स्टेशन और तहसील हैड क्वार्टर था।

(३) थाना रायपुर इस गांव से १० मील के फ़ासले पर है।

(४) यह मामला डी. आई. जी. के विचाराधीन है।

(५) इसका उत्तर (४) में आगया है।

श्री चुन्नीलाल बिडला—यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा। बहुत समय से मांग हो रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वापिस उनके पास भेजा गया है ; शीघ्र ही विचार होगा।

प्रश्न संख्या ८६१

राजस्थान के बिभिन होसपिटल्स में महिला डाक्टर्स एंड मिडवाइव्ज़ एवं उनियारा व अलीगढ़ डिस्पेंसरीज़ में मिडवाईफ व नर्सों का प्रबन्ध

रावरजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में कौन कौन से हास्पिटल और डिस्पेन्सरीज़ में कितनी महिला डाक्टर्स और मिड-वाइफरी नर्सें हैं ?

(ख) क्या उनियारा और अलीगढ़ डिस्पेन्सरी में कोई मिडवाइफरी नर्सें हैं ?

(ग) क्या वह सत्य है कि जब यह डिस्पेन्सरीज़ ठिकाने की अधीनता में थी तब इस में मिडवफरीज नर्सेज़ की पूर्ण व्यवस्था थी ?

(ङ) यदि हां , तो अब नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) सूची संलग्न है । (सूची अनुपलब्ध)

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—सूची मेरे पास नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष—कल रख देते हैं ।

प्रश्न संख्या ८६२

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूर चन्द ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपा परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८६३

बांसवाड़ा जिले में मोटर बसों का परमिट

श्री धूलजीभाई—क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

[श्री धूलजी भाई भावसार]

(१) बांसवाड़ा जिले में कहां कहां किस रोड पर मोटर बस के मालिकों को परमिट (लाइसेन्स) दिये गये हैं ?

(२) रतलाम रोड पर रोजाना कितनी बार सर्विस जाती है, कितने माह चलती है एवं रेल्वे से मेल खाती है ?

(३) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से रतलाम रोड सर्विस पर चलाने वाले मोटर मालिकों को आर. टी. ओ. के मेम्बरों द्वारा परमिट देना कतई बन्द कर दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (यातायात मंत्री)—(१) बांसवाड़ा जिले में निम्नलिखित व्यक्तियों को परमिट दिये गये हैं :

१. बांसवाड़ा रतलाम	परमिट संख्या १	श्री दिलीपसिंह
२. बांसवाड़ा वांसी	,, २	श्री धीरजमल शर्मा
३. बांसवाड़ा कुशलगढ़	,, १	श्री मुल्ला रसूल भाई
	२	श्री मानकलाल
४. बांसवाड़ा जालोद	१	श्री मुल्ला रसूल भाई
	१	श्री बाबूसिंह
	१	श्री भवानीप्रतापसिंह
	१	श्री पेलेस गैराज
	१	श्री मोतीलाल मोहम्मद
५. बांसवाड़ा गलियाकोट	१	श्री मुल्ला रसूल भाई
	१	श्री बलदेवसिंह
	१	श्री धीरजमल शर्मा
६. बांसवाड़ा सागवाड़ा	१	श्री धीरजमल शर्मा
७. बांसवाड़ा प्रतापगढ़	२	श्री धीरजमल शर्मा
८. बांसवाड़ा धरथूना गलीयाकोट	१	श्री अम्बिका ट्रान्सपोर्ट
९. कुशलगढ़ उदयगढ़	१	श्री मोहम्मदभाई रमजू भाई
१०. कुशलगढ़ बामनिया	१	श्री न्यू भारत बस सर्विस
११. कुशलगढ़ चाकलिया	१	श्री न्यू भारत बस सर्विस

(२) दो गाड़ियां प्रतिदिन बांसवाड़ा से रतलाम रोड और दो ही रतलाम रोड से बांसवाड़ा जाती हैं। ये गाडियें रेल्वे से सम्बन्ध मिलाती हैं | यह रास्ता अच्छे मौसम में चलने लायक है और ४ माह वर्षा के समय में बन्द रहता है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) जी नहीं।

श्री धूलजी भाई भावसार—रतलाम रोड पर जो बसें चलती हैं वे बांसवाड़ा जिला के मोटर मालिकों को अब तक परमिट नहीं दिया इसका क्या कारण है, जब कि वहां ४ मोटरों की आवश्यकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्योंकि मध्यभारत और राजस्थान दो रियासतें बीच में आती हैं इसलिए दो दो परमिट दे दिये गये। उसके बाद श्री भवानी बस सर्विस को २५. ४. ५६. से एक और परमिट दिया गया है। इसी तरह से मध्यभारत ने भी एक परमिट दिया है। अब ३ बसेज़ चलने लगी हैं। अब यदि यह देखेंगे कि इनके लिए सवारियां काफी हैं और अधिक की जरूरत है तो एक एक बस को परमिट और देना स्वीकार कर लेंगे।

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या यह सत्य है कि ३ साल से मध्यभारत की मोटर सर्विस चलती है और बांसवाड़ा वालों में से एक को भी परमिट नहीं दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पुराना इतिहास मुझे मालूम नहीं है। लेकिन श्री दिलीपसिंह को जो परमिट दिया गया है उसकी गाड़ी का नम्बर आर. जे. बी. ११७ है।

प्रश्न संख्या ८६४

जिला जैसलमेर में ग्राम व तहसील पंचायतें तथा सरकार द्वारा हेरफेर की योजना

श्री हनवंतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[क] जिला जैसलमेर में कुल कितनी ग्राम व तहसील पंचायतें हैं व हर पंचायत क्षेत्र में कितने कितने ग्राम है ?

[ख] क्या यह सच है कि सरकार इन पंचायत क्षेत्रों में रद्दोबदल करने का विचार कर रही है ?

[ग] यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)— (क) ग्राम पंचायतें ७६ तथा तहसील पंचायतें ६ हैं। इस जिले के हर पंचायत क्षेत्र के गांवों की सूची राजपत्र दिनांक १३-११-५४ के भाग ६ (ग) में प्रकाशित हो चुकी हैं।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ख) जी नहीं।

(ग) गांव (तले) बहुत छोटे छोटे हैं तथा बहुत दूरी पर स्थित हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा के लोग स्थाई रूप से एक स्थान पर नहीं रहते और उस क्षेत्र की जनता अशिक्षित होने से पढ़े लिखे व्यक्तियों का अभाव होने के कारण।

श्री हनवंतसिंह—गांव जब छोटे छोटे हैं तो वहां पंचायतें कैसे चलेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे गांव पंचायतों में शामिल हैं।

श्री हनवंतसिंह—हर पंचायत में कितने कितने गांव हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैंने निवेदन किया कि तारीख १३. ११. ५४ के गजट में सारे नाम आ चुके हैं।

श्री हनवंतसिंह—गजट के अनुसार एक गांव में एक पंचायत रखी है और वे गांव बहुत छोटे हैं। उन गांवों में पंचायत चल नहीं सकती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आस पास के गांव कों को मिला कर पंचायत बनाई है।

श्री हनवंतसिंह—आपने वह इलाका देखा नहीं है इसलिये आपको मालूम नहीं है कि वहां के गांव कैसे होते हैं ? फिर आप किनको मिलायेंगे, धूड को मिलायेंगे तो बात दूसरी है।

श्री केशरीसिंह—कितनी आबादी पर एक पंचायत क्षेत्र रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां की स्थिति के मुताबिक रखा जाता है। कहीं २ हजार की आबादी और कहीं ५ हजार की आबादी पर।

श्री हनवंतसिंह—वहां के गांवों में १०० घरों की आबादी है फिर २००० की आबादी कहां से लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—He wants to offer his opinion regarding the reconstitution of the Panchayats.

श्री हनवंतसिंह—१०० आदमियों पर पंचायतें कैसे चलेंगी, आमदनी कहां से आयेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्या आप यह चाहते हैं कि वहां की पंचायतों को खत्म कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि १०० आदमियों पर पंचायत रखने का क्या जस्टिफिकेशन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां पर १०. १० या २०. २० मील पर गांव नहीं हैं।

श्री हनवंतसिंह—ठीक ढंग से बिठाना चाहेंगे तो गांव भी मिल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप यदि जानकारी देंगे तो वापिस जांच कर लेंगे और ठीक ढंग से बैठालेंगे।

प्रश्न संख्या ८९५

मानिया बिठनोई डाकू को पकड़ने पर इनाम

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) मानिया बिठनोई नामक डाकू की गिरफ्तारी के लिए क्या कोई इनाम देने की घोषणा की गई थी ?

(२) यदि हां, तो कब और कितने रुपये की ?

(३) क्या उक्त डकैत की गिरफ्तारी की जा चुकी है ?

(४) यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ?

(५) गिरफ्तार करने वाले व्यक्तियों को कब २ कितना २ इनाम दिलाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री):—(१) जी हां।

(२) १००० रु० का इनाम सन् ५१ में घोषित किया गया था।

(३) जी हां।

(४) तारीख ५. २. ५५ को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री गोपालसिंह और उनके साथियों द्वारा।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(५) मुख्य मन्त्री राजस्थान द्वारा २५. ५ ५६ को कमान्डेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है। इनाम वितरित करने का मामला अभी विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—आवाज सुनाई नहीं दी।

श्री रामकिशोर व्यास—फिर से सुन लीजिये। पूरे प्रश्न को बताऊं या पिछले भाग को ?

श्री चांदमल मेहता—भाग (५) का जवाब बतलाइये।

श्री रामकिशोर व्यास—मुख्य मंत्री राजस्थान द्वारा २५. ५. ५६ को कमान्डेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है। इनाम निश्चित तौर से इस मामले में अब दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—२५. ५. ५६ को या ५५ को ?

श्री रामकिशोर व्यास—सोरी। २५. ५. ५५ को।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रुपये सरकार ने दे दिये और दूसरे काम में ले लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—मनी का वितरण नहीं हुआ। रुपये इनाम के लिए सैंकशन हो गये सब रुपये बैंक में रहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रुपये दे दिये गये और दूसरे काम में ले लिए गए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सैंकश्न्ड अमाउन्ट है। अलग रखने न रखने की कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५३ में इनाम डिक्लेअर किया और ५५ में प्रमाण पत्र दिये गए तो अब तक घोषित इनाम नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—५३ में इनाम घोषित किया गया था, लेकिन वह डाकू सन् ५५ में मारा गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रुपये दे दिये गये और दूसरे डकैतों के इनाम में बांट दिए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास—रुपये बैंक में रहते हैं । सिक्कों पर नाम थोड़े ही लिखा रहता है कि ये इस केस के हैं वे दूसरे उस केस के ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो रुपये दिये गये थे फलां डाकू को गिरफ्तार करने के लिए वे उनको नहीं देकर दूसरे काम में ले लिये गए ?

श्री रामकिशोर व्यास—रिकार्ड वगैरा तैयार नहीं हुआ होगा तो तकसीम नहीं किये गये होंगे

श्री अध्यक्ष—कोई डेफिनेट बात है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरे ध्यान में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—कब तक सरकार देने का विचार करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जल्दी ही ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को माकूल आदमी नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—गवर्नमेन्ट एजेन्सीज़ होंगी जिनके मार्फत रुपये जाते हैं, कलेक्टर आदि !

श्री रामकिशोर व्यास—उनके मार्फत नहीं जाते ।

प्रश्न संख्या ८९६

जसलमेर पॉवर हाउस के पुराने एंजिन

श्री हनवन्तसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जैसलमेर पॉवर हाउस में कितने इंजन हैं और वे कब के खरीदे हुए हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि वे काफी पुराने हो गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो कितने साल तक और काम दे सकते हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) जैसलमेर पॉवर हाउस में कुल तीन एन्जिन हैं।

ब्लेक स्टोन	७५ के. डब्ल्यू.
डिज़	३२ के डब्ल्यू.
डिज़	१० के. डब्ल्यू.

(ख) ब्लेक स्टोन एन्जिन १९४८ में तथा डिज़ एन्जिन्स १९४९ और १९३९ में लगाये गये थे।

(ग) ब्लेक स्टोन एन्जिन अभी चालू है और डिज़ एन्जिन पुराने हैं और स्क्रेप कर दिये गये हैं।

(घ) ब्लेक स्टोन एन्जिन अभी सात साल तक और काम दे सकता है।

श्री हनवन्तसिंह—क्या नया इन्जन लगाने की व्यवस्था नहीं की जायगी?

श्री शाह अलीमुद्दीन—समझ में नहीं आया, दुबारा पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नया इन्जन लगाने की क्या कोई व्यवस्था नहीं की जायगी?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी, की जायगी।

श्री हनवन्तसिंह—यह व्यवस्था कब तक हो जायगी?

श्री शाहअलीमुद्दीन—ओर्डर दे दिया गया है, आने वाला ही है।

श्री अध्यक्ष—श्री जयसिंह।

प्रश्न संख्या ८९७

ग्राम रायपुर (त० शाहपुरा) में जिला बोर्ड के सदस्य द्वारा जांच करने पर सरकारी रकम का घोटाला एवं जांच का निर्णय

श्री जयसिंह—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री जयसिंह]

(१) क्या यह सही है कि तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत रायपुर ग्राम में जिला जल बोर्ड के सदस्य द्वारा कुछ महीनों पहिले जांच करने पर सरकारी रकम का घोटाला पाया गया ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ?

(२) क्या यह सही है कि इस घोटाले की जांच उसी दिन एस. डी. ओ. हुरडा की आज्ञा से कराई गई ?

(३) जिस व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी कार्यवाही साबित हुई उसके निस्बत सरकारी जांच का निर्णय क्या रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) जांच जारी है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या और कितनी रकम का घोटाला है।

(२) एस. डी. ओ. की आज्ञा के माफिक जांच जारी है।

(३) इस केस को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है, उनकी जांच भी जारी है, यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री जयसिंह—क्या बात है कि इसकी जांच जल्दी नहीं करवाई जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास—जांच की कार्यवाही जल्दी करवाई जा रही है, पुलिस भी कर रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६८

टोंक जेल के वार्डरों के लिये ऊनी वर्दी की व्यवस्था करना

श्री तनसिंह—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

१ टोंक जेल में वार्डरों को ऊनी वर्दी मिले कितने वर्ष हो गए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सर्दी की रातों में भी वे बुशशर्ट में पहरा देते हैं और उनको गरम कम्बल या कोट पहनने की इजाजत नहीं है ?

[श्री तनसिंह]

(३) क्या सरकार बतायेगी कि किसकी गलती के कारण ऊनी वर्दियां उन्हें नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—(१) ऊनी वर्दियां नहीं दी जाती बल्कि ऊनी जर्सी अथवा ग्रेट कोट दिये जाते हैं और ऊनी जर्सियां टोंक जेल के वार्डरों को सन् १९५२ में दी गई थीं और ६ वार्डर, जो कि दूसरी जेलों से टोंक जेल पर तबदील होकर आये हैं, के पास ऊनी ग्रेट कोट हैं।

(२) जिनके पास ऊनी जर्सियां हैं वे बुस शर्ट के नीचे पहन सकते हैं और इस लिये वर्दी के ऊपर कम्बल ओढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(३) ऊनी ग्रेट कोटों की कमी निस्संदेह अनुभव की जा रही है परन्तु इसको प्रति वर्ष पूरा किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ८६९

त० करनपुर विकास खण्ड की ओर से ग्राम बूरजवाला में पेय जल की डिग्गी बनाने में किये गये व्यय की जांच

श्री प्रभुदयाल—क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील करनपुर विकास खंड की ओर से गांव बुरजवाला में कोई पीने के पानी की डिग्गी बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो विकास खंड की ओर से कितनी और गांव की तरफ से कितनी रकम खर्च की गई है ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त गांव से ३००) रु० लिया गया ? यदि हां, तो वह क्यों लिया गया ?

(४) क्या सरकार इस विषय में जांच करवाने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, अगली टर्न पर इसका जवाब दे दिया जायेगा।

Page No.32

श्री प्रभुदयाल—सुना नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष—सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास—अगले सप्ताह जबाव दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या६०० ।

प्रश्न संख्या ६००

पंजाब के गंगवाल पॉवर हाउस से उपलब्ध बिजली से राजस्थान की विभिन्न तहसीलों को लाभ

श्री हंसराज आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) पंजाब के गंगवाल पॉवर हाउस से मिलने वाली बिजली राजस्थान को कब तक मिल जावेगी ?

(ख) यह बिजली किन किन जिलों की किन किन तहसीलों को मिलेगी ? और इसके राजस्थान में कहां कहां कितने सेंटर होंगे और किस किस सेंटर से किस किस जिले को मिलेगी और हर जिले में कौन कौन से कस्बों को बिजली मिलेगी ?

(ग) क्या यह बिजली कुछ गांवों को भी मिलेगी ? यदि हां, तो कितने गांवों को ?

(घ) यह बिजली किस साल तक कहां तक पहुंच जावेगी और आखिर तक जहां तक जायेगी वह स्थान कौन से होंगे और वहां कब तक पहुंच जावेगी।

(ङ) अब तक इसमें कितना कार्य हुआ है और कितनी जगह काम चालू है ? इस कार्य के लिये कुल कितना स्टाफ रखा गया है और उसका हैड आफिस कहां पर है ?

(च) राजस्थान को किस किस साल में कितने किलोवाट बिजली मिलेगी और कुछ कार्य पूरा होने पर कितने किलोवाट मिलेगी ?

(छ) इस बिजली का फी यूनिट क्या खर्चा वसूल किया जावेगा ?

(झ) क्या यह सारी बिजली गंगवाल पॉवर हाउस से ही मिलेगी या भाखरा और कोटला पॉवर हाउसों से भी मिलेगी ?

[श्री हंसराज आर्य]

(ट) क्या कोटला और भाखरा पॉवर हाउसों के मुकम्मल बन जाने से राजस्थान को मिलने वाली बिजली की मात्रा और बढ़ जाने की आशा है ?

(ठ) इस बिजली की फिलहाल कितनी मील लम्बी लाइन जाने वाली है और इसके लाने में राजस्थान सरकार को कुल कितना खर्चा करना पड़ेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) १६५७-५८ तक।

(ख) बिजली ६ जिलों को दी जायगी। तहसीलों के बारे में इस विभाग के पास कोई विस्तृत सूचना नहीं है।

गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुन्झुनू और नागौर।

(ग) केवल दो फीडिंग पॉइंटस होंगे। श्री गंगानगर और राजगढ़ और विद्युत शक्ति निम्नलिखित अनुसार दी जायगी।

फीडिंग पॉइन्टस	जिले
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
राजगढ़	बीकानेर, चूरू, सीकर, झुन्झुनू और नागौर

६१ कस्बों तथा गांवों को संलग्न सूची के अनुसार विद्युत शक्ति दी जायेगी। ये स्थान कौन कौन सी तहसीलों में हैं इसकी सूचना इस विभाग के पास विस्तृत रूप से नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(घ) तमाम गांव जो ऊपर (ग) में दिये हैं बिजली प्राप्त करेंगे।

(ङ) सन् १९५८ में ऊपर (ग) में दिये गये तमाम स्थानों को बिजली मिल जायगी। अन्त में बिजली देने के लिये मैत्री आदि स्थान रहेंगे जो भाखरा नांगल नहर के आने पर उन्नतिशील अंश होंगे। यह १६५८ के अन्त में बिजली प्राप्त कर सकेंगे।

(च) ट्रान्समिशन लाइन का कार्य निम्नलिखित हस्तागत है—

१	३३	के वी ट्रोन्समीशन लाईन गंगानगर से रायसिंहनगर तक
२	३३	,, ,, ,, रतनगढ़ से सीकर तक
३	११	,, ,, ,, लक्ष्मणगढ़ से नवलगढ़ तक
४	११	,, ,, ,, रायसिंहनगर, जैतसर, सवरूपसर, विजयनगर

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

इस कार्य के लिए निम्न लिखित स्टाफ रखा हुआ है —

एक्जीक्युटिव इंजीनियर प्रोजेक्टस — हैड क्वार्टर जयपुर, तमाम प्रोजेक्टस की देखभाल करता है।

एसिसटेन्ट इंजीनियर ४

डेली पेड स्टाफ १२० औसत

(छ) राजस्थान को हाईड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर की सप्लाई निम्नलिखित होगी—

साल	१९५८	७०१० के० डब्ल्यू
	५९	८४६१६६ ,,
	६०	९८३३६६ ,,
	६१	११२०५ ,,
	६२	११४४८,३३ ,,
	६३	१२०९१,६६ ,, ,,
	६४	१२५३४,९९ ,, ,,
	६५	१२९७८,३२ ,, ,,
	६६	१३४२१,६५ ,, ,,
	६७	१३८६५ ,, ,,

ऑपेरेशन के दसवें साल में सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन ने १३८६५ किलोवाट अनुमानित आंकडे निर्धारित किये हैं।

(ज) भाखरा हाइड्रो सप्लाई की दरें भिन्न काम के लिये भिन्न हैं। ओवर ऑल आंकड़े निम्नलिखित हैं—

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

बड़े उद्योगों के लिये	९ आना प्रति किलोवाट पॉवर
बीच के उद्योगों के लिये	१ आना से १.२५ आना प्रति किलोवाट पॉवर
छोटे उद्योगों के लिये	१.२५ आने से १.७५ आना किलोवाट पॉवर
कृषि तथा कोटेज़ इन्डस्ट्रीज़	१.२५ आने १५०० किलोवाट पॉवर प्रति माप तक के लिये
घरेलू पॉवर व लाईटिंग	५ आने पहले १५ किलोवाट पॉवर तक प्रति माह
	२ आने दूसरे २५ किलोवाट पावर प्रति माह
	१ आने ४० किलोवाट पावर प्रति माह से ऊपर

(झ) यह बिजली गंगवाल तथा भाखरा पॉवर हाउस से दी जावेगी। क्योंकि यह दोनों पॉवर हाउस एक दूसरे से आपस में संबंधित रहेंगे।

(ट) बिजली की मात्रा राजस्थान की मांग पर निर्भर है। राजस्थान का हिस्सा १५.२२ प्रतिशत है और राजस्थान इस अंश तक मांग कर सकता है।

(ठ) इस योजना के लिये निम्न लिखित ट्रांसमीशन लाइन की दूरी प्रस्तावित की हुई है— १३२ के वी ट्रांसमीशन लाइन ६५ मील

६६ के वी	८५
३३ के वी	३०७
११ के वी	११०

(ड) हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई पर राजस्थान की १२२१.६२ लाख रुपया कुल खर्चा करना पड़ेगा।

श्री हंसराज आर्य—क्या इस फहरिश्त की नकल ऑफिस में दे दी गई है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी दे दी गई है, आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री भगवानसिंह तरंगी।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री महादेव प्रसाद बंका

प्रश्न संख्या १०२

सन् १९५३ से ५६ तक जिला झुंझुनूं में पड़ी डकैतियों एवं डाकुओं की गिरफ्तारी तथा माल की बरामदगी

श्री महादेव प्रसाद बंका—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) जिला झुन्झुनू में सन् ५३–५४, ५४–५५ व ५५–५६ में कितनी डकैतियां कहां कहां और किस किसके यहां हुई ?

(२) इन डकैतियों में कितना कितना माल लूटा गया और डाकुओं द्वारा किन किन को मार डाला गया ?

(३) उक्त डकैतियों में अब तक किन किन की गिरफ्तारियां की गई और कितना माल बरामद किया गया ?

(४) डाकुओं द्वारा मारे जाने वालों के कुटुम्बियों को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) इस समय में जिला झुन्झुनू में ६ डकैतियां हुई जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

१. श्री लादूराम महाजन की लारी में मलसीसर के पास।

२. ग्राम बलवा के निवासियों के।

३. श्री सूरजमल के यहां ग्राम पंचलागी में।

४. गोपी और मूला महाजन के पिता की दूकान ग्राम पापड़ा में।

[श्री रामकिशोर व्यास]

५. सर्व श्री गिलीराम, रामेश्वर, रामगोपाल महाजनान के ग्राम ढाणी मीनावाली के मकानों में।

६. श्री बनवारीलाल, प्रह्लादराय महाजन के ग्राम माओधरी में।

(ख) इन डकैतियों में क्रमशः ३६ रु० ६ आ०, २७०० रुपया, ८८७ रुपया, ३००० रुपया, ७४६७२ रुपया १४ आ० तथा १९०० का माल लूटा गया। कोई आदमी मारा नहीं गया।

(ग) १. पंचलंगी डकैती केस में हनुमान जमुना, बिरधा, सुगनियां और नथिया मीना। प्रोपर्टी रिकॉवर ८७५ रुपया।

२. पापरा डकैती केस : में हरनाथा मीना, सुलताना, नारिया, भगवाना, भगवाना, दुर्गला। स्टोलन प्रोपर्टी रिकॉवर हुई कीमती रुपया १५००।

३. ढानी मीनावाली डकैती केस में मुल्जिम मूलसिंह अकेला था जो मर गया।

४. माओथारी डकैती केस में अजीजखां, कासिम अली, रिछपालसिंह, जीतूसिंह, प्रह्लाद, सांवता और बनेसिंह। स्टोलन प्रोपर्टी जो रिकॉवर की गई, कीमती १८००० रुपया।

५. मलसीसर डकैती केस में प्रह्लाद, महादिया, मालिया, चन्दरिया, बोंकल, और माना।

६. बाजवा डकैती केस में : लालिया, जूथा, दुर्गला, भंवरिया मोहना, मालिया, गीगला, रामदेवला, नाथिया, हनुमान, भोला, उदिया, दुर्गला, सुलतानियां, जमना, भगवाना, रामेश्वरिया, भूरिया, जूथा और भागीरथ। स्टोलन प्रोपर्टी जो रिकॉवर की गई २१०० रुपये की।

(घ) कोई आदमी नहीं मारा गया। सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महादेव प्रसाद—क्या यह सही है कि बाजवा डकेती में एक आदमी मारा गया था?

श्री अध्यक्ष—उत्तर में कहा गया है कि कोई आदमी नहीं मारा गया।

प्रश्न संख्या ६८३

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Postponed question Shri Sardar Singh

प्रश्न संख्या ५८०

(२७ अप्रेल, १६५६ का स्थगित प्रश्न)

न्यू कोलोनी जयपुर, की सड़कों का जीर्णोद्धार करने की शासकीय योजना

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) न्यू कालोनी, जयपुर की सड़कें किस वर्ष निर्मित हुई ?

(ख) इस समय इनकी कैसी हालत है ?

(ग) इन सड़कों का जीर्णोद्धार कब हुआ ?

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) १६३८ में।

(ख) साधारणतया ठीक है।

(ग) प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सरदारसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय ने इस सड़क का मुआयना किया है और देखा है कि इस सड़क की हालत ठीक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि साधारणतया ठीक है।

श्री सरदारसिंह—साधारणतया ठीक से आपका क्या मतलब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—साधारणतया से मतलब यह कि ऐसी हालत खराब नहीं है ।

श्री सरदारसिंह—आप मुलायजा करें तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई गर्भवती औरत मोटर में चली जावे तो उसको तकलीफ हो जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सरदारसिंह—विचार कब किया जावेगा जब बिल्कुल सड़क खराब हो जाएगी और बड़े बड़े खड्डे हो जाएंगे !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपकी मोटर खराब हो गई दिखती है ।

श्री सरदारसिंह—कब तक इसकी मरम्मत हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि इस पर विचार जल्दी हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री केसरीसिंह—ओन दी पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, सर, एक प्रश्न १६ तारीख का ह मंत्री को जवाब देने के लिये लिखा गया था । वह प्रश्न संख्या ५०६ था ।

श्री अध्यक्ष— अल्पकाल सूचना प्रश्न श्री भैरूंसिंह ।

(अनुपस्थित)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्रीमती यशोदा देवी ने दिनांक ६ मई, १९५६ से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान लगान-दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक (पुनः प्रवर्तन), १९५६
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

राजस्थान रिव्यू एण्ड वेलीडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल पर अग्रेतर वाद विवाद ।

खन्ड २ ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, व्याख्या, को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खन्ड २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खन्ड ३ के भाग (ग) में संशोधन है ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के (क) और (ख)...

श्री भैरूं सिंह (१६)—ये आपस में रिलेटेड हैं । इसलिये पहले (ग) के संशोधन को ले लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, खण्ड (३) के भाग (ग) में मेरा संशोधन इस प्रकार है : चौथी पंक्ति में 'इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार' शब्दों के स्थान में 'राज्य के लगान निर्धारण करने संबन्धी कानूनों के अन्तर्गत' शब्द निविष्ट किये जावें ।

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३ इस बिल का वह क्लॉज़ है, जिसके ऊपर इस बिल की मूल भावना का आधार बना हुआ है । राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक क्लॉज़ ३ के भाग (ग) पर आधारित है और जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार किन परिस्थितियों में और किन कारणों के आधार पर लगान का पुनर्विलोकन करने की आज्ञा जारी कर सकती है । क्लॉज़ ३ में इन कतिपय परिस्थितियों का उल्लेख है, जिसमें इस प्रकार की आज्ञा उचित कही जाती है । यदि निर्धारण वृत बनाने में या, भूमि के वर्गिकरण में, इन दोनों में किसी प्रकार के जजमेंट में एरर हो गई है और राज्य सरकार को यह मालूम हो जाए और राज्य सरकार को संतोष हो जाए कि इस गल्ती से लगान में किसी प्रकार गड़बड़ हुई और जिसको बदलना आवश्यक है तो सरकार इस प्रकार की आज्ञा जारी करेगी । लेकिन भाग (ग) में लिखा है भूमि की विशिष्ट किस्मों की लगान दरों में निर्णय विभ्रम का पता लगाने के कारण, परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, आज्ञा दे सकेगी कि ऐसे क्षेत्र में लगान दरों का पुनर्विलोकन किया जाय, और तत्पश्चात् पुनर्विलोकन पदाधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना आरंभ कर देगा ।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय अध्यक्ष, कल जिस समय इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजने के बारे में चर्चा हो रही थी उस समय इसके बारे में माननीय राजस्व मंत्री ने कुछ बातें बताईं और मैं समझता हूं कि उनकी बातों में और जिन जिन सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार इस पर व्यक्त किये उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं था। दोनों ओर से इस प्रस्ताव को सहमत किया कि राजस्थान में जहां जहां जिन जिन स्थानों पर लगान की दरें अधिक हैं वहां वहां कम की जावें। अब उनको किस तरह से कम किया जावे और उसका क्या तरीका होना चाहिये, उसके संबन्ध में कतिपय सदस्यों के अलग २ विचार थे। कहीं भी लगान कम करें इससे पहले राजस्थान में इसके लिये एक युनिफोर्म सिस्टम कायम करना चाहिये। जिससे सरकार को समय समय पर आज्ञा प्रसारित करने का अवसर मिले। यदि सरकार इसके लिये युनीफोर्म सिस्टम लागू नहीं कर सकती तो फिर किस तरह से आज्ञा प्रसारित कर सकती है ? इसमें यह आता है कि यदि एसेसमेंट में गल्ती हुई हो या रेट कायम करने में गल्ती हुई हो या स्वायत्त शासन के बारे में गल्ती हुई हो और राज्य सरकार को सेटिशफेक्शन हो जावे कि वाकई में गल्ती हुई है तो वह उसको कम कर सकती है। इसके लिये हमें रूल्स बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि वह रेट कम की जा सके।

लेकिन मेरा संशोधन यह है कि जब तक लैन्ड रेवेन्यू एक्ट पास नहीं हो जाता है उस समय तक हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन रियासतों में पहले इस प्रकार का कोई कानून नहीं था उनके लिये क्या व्यवस्था होगी। आज यह अवश्य कहा जा सकता है कि लैन्ड रेवेन्यू एक्ट नहीं है मगर मैं यह कहूंगा कि जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, कोटा इन चारों रियासतों में अलग अलग इसके लिये कानून थे और जब सेटिलमेंट शुरू हुआ तब वह पुराने कानूनों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। और आज जो स्थिति पैदा हो रही है वह लैंड रेवेन्यू एक्ट के नहीं होने से हो रही है। मगर हम यह कह कर कि लैंड रेन्वेयू एक्ट के पास होने में देर है इस तरह से टालम टोल नहीं कर सकते। क्योंकि जिस कानूनों के अन्तर्गत आपने सेटिलमेंट कराया है उन कानूनों का जब तक यह लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू नहीं हो आदर होना चाहिये।

मैं इस बात को मानता हूं कि यदि किसी जगह लगान ज्यादा है और वहां पर सरकार उस लगान को कम करने की आवश्यकता समझती है तो वह लगान कम करे। मगर मैं यह कहूंगा कि जिन नियमों के अनुसार आपने लगान लगाया उन्हीं कानूनों को ध्यान में रखते हुए लगान का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये और इसमें सोइल क्लेसिफिकेशन, आदि बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये तभी यह गल्ती सुधर सकती है !

अब यह कहा जावे कि सेटलमेंट मेन्यूअल लैंड रेवेन्यू एक्ट की इकाई के रूप में नहीं है। यह आपकी दलील टिक नहीं सकती। जब हमने राजस्थान के दूसरे स्थानों में सेटिलमेंट का

[श्री भैरूंसिंह)

काम शुरु किया उस समय वहां पर जो इस सम्बन्ध में एक्ट लागू थे उन्हीं एक्ट के अनुसार करने की कोशिश की है। जयपुर, मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़ में माल कानून था। इस प्रकार से चार बड़ी बड़ी रियासतों में ये कानून लागू थे और इन्हीं कानूनों के आधार पर आपने सेटिलमेंट की कार्यवाही शुरु की। अब यह कहा जा सकता है कि छोटी रियासतों में इस प्रकार का कानून नहीं था। मैं यह कहूँगा कि जहां पर इस प्रकार का कानून लागू नहीं था वहां पर सेटिलमेंट की कार्यवाही चालू नहीं हुई और जहां सेटिलमेंट ओपरेशन चालू किया गया वहां पर जिस प्रकार का रेंट ठीक समझा उसी कानून के अनुसार रेट मुकर्रर कर दी गई। इसलिये सेटिलमेंट में क्लासीफिकेशन ऑफ सोइल, लैंड रेट आदि देखकर रेन्ट तय करने की व्यवस्था की है और जो नया एक्ट बने उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो, ऐसी चेष्टा की गई है।

माननीय अध्यक्ष, कहने को यह कहा जा सकता है कि हमने इन सब की लैंड रेवेन्यू एक्ट में व्यवस्था की है और वह कानून तो राजस्थान भर में लागू होगा। मगर अभी तो वह कानून लागू नहीं हुआ है जब वह लागू होगा देखा जाएगा। जब तक वह लागू नहीं हो तब तक के लिये यह व्यवस्था की गई है। मसलन कानून के अन्तर्गत उसको नोटिस दिया जावेगा। एसेसमेंट सोइल लैंड रेट के सम्बन्ध में नोटिस दिया जावेगा। कहने का मतलब यह कि हर समय उसको नोटिस ही नोटिस दिया जाता रहेगा और अगर इस कानून के अंतर्गत रूल बना दिये गये तो पुनर्विलोकन प्रपोजल के आने पर भी उसको नोटिस दिया जावेगा। सोइल के बारे में नोटिस देंगे। पहले की गल्ती सुधारने के लिये नोटिस देंगे। इससे उसको बड़ी दिक्कत होगी। यहां बैठे हुए जो काम करना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि हम किसी भी सूरत में उनकी कठिनाइयों को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। आज यह कहा जावे कि यह जागीरदारों के लिये है कि वे किसानों पर जुल्म नहीं कर सके तो मैं यह कहूंगा कि यह जागीरदारों के लिये है ठीक नहीं है। जागीरदारी प्रथा आज समाप्त हो गई। अब झगड़ा इस संबन्ध में होगा तो काश्तकारों और सरकार के बीच होगा। आप जागीरदारों के लिये इस प्रकार के कानून बनाने की चेष्टा करते मगर अब तो वह बात नहीं रही। अब तो वह नौबत आने वाली है कि किसान लोग कहेंगे कि लगान ज्यादा है लगान कम किया जाए। इस पर सरकार कानून न लगान कम कर सके इसलिये यह कानून में रखना चाहते हैं।

इसलिये मैं आपसे इस संशोधन के द्वारा यह मांग करूंगा कि जो इस नियम के अंतर्गत धारा ४ और ५ में पुनर्विलोकन अधिकारी नोटिस देगा उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि जिन बातों को रेट कम करने के लिये ध्यान में रखेगा वे सब चीजें दूसरे कानूनों में मौजूद हैं। इसलिये धारा ४ और ५ को भी हटाना होगा। इस संशोधन को मन्जूर करने से लैंड रेवेन्यू के जितने कानून हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इस बात को लेकर मैंने अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ पर श्री भैरूसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३ में यह बताया गया है कि पार्ट (ग) में यह बताया कि पहले कानून बन चुका है और उसके अन्दर जो लगान की दरें दर्ज की गई हैं उन कानूनों को रद्द किया जाएगा, या उनको हटा दिया जाता तो इस बिल में इस तरह की धारा लानी चाहिये थी और हाउस में पेश करनी चाहिये थी परन्तु जब दूसरे कानूनों में लगान की दरें तय कर दी गई और उनके तय करने के बावजूद इस कानून के जरिये नोटिस और हक दे दिया जावेगा कि सरकार लगान की दरें कम कर सकती है तो यह ठीक नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि सारे काश्तकारों के लिये एक ही कानून सारे राजस्थान में होना चाहिये। अलग अलग कानून में अलग अलग चीजें होंगीं, तो ओफिसर लोग कानून को अच्छी तरह से पढ़ते तो हैं नहीं, और जब जरूरत होती है वो इतनी परेशानी होती है कि जिसकी हद नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन इस क्लॉज़ पर श्री भैरूसिंहजी ने रखा है वह ठीक है क्योंकि अगर सरकार इसको रखेगी तो सरकार को ऐसी ही बड़ी दिक्कत होगी और आज के दिन जितनी दिक्कत होती है उससे भी ज्यादा दिक्कत किसानों और हर आदमियों को होगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भैरूसिंहजी ने जो संशोधन रखा है वह ठीक है।

माननीय अध्यक्ष, आज इस तरह के कानून बना कर एक कानून के होते हुए भी दूसरा कानून बनाकर रखते हैं। इससे पहिले कानून को भी आप अमल नहीं कर सकते तो ऐसे कानून बनाने की क्या आवश्यकता है, जिनको आप अमल में नहीं ला सकते।

(घन्टी)

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि भैरूसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसको मान लिया जाए। जब कानून में इस तरह की क्लॉज़ तय कर दी है तो फिर इसमें लाने की क्या आवश्यकता थी।

रावत श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक पर जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

लेन्ड रेट डिटर्मिन करने के लिये लेन्ड रेवेन्यू एक्ट पास हुआ है। उसमें व्यवस्था की है और इस वक्त जो हमारे सामने बिल है उसमें लगान की दरों का पुनर्विलोकन करने का समावेश है तो जब तक नया रेवेन्यू एक्ट जैसा कि यहां से पास हुआ है गजट में प्रकाशित होकर लागू न हो जाता तब तक लैंड रेट लागू करने के लिये जो भी कानून है वे लागू रहते हैं और उनका असर अब तक उसी प्रकार है जैसा पहले था, इसलिए जब तक इन कानूनों को प्रभावहीन नहीं कर दें, इन कानूनों की तहत में होनेवाली कार्यवाही को नहीं रोकी जावे। इस बिल के अनुसार जैसा कि क्लॉज़ ३ में एक कन्सिडरेशन के लिये ३ पोइन्ट रखे गये हैं और पहले के कानून हैं उसमें लेन्ड रेट कन्सिडरेशन के लिये जो पोइन्ट हैं, अगर उन दोनों की तुलना

[श्री शंभूसिंह]

की जावे, इसके अनुसार होगा तो वह अपूर्ण होगा और आप कोई बात नहीं कर पाएंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि जो प्रचलित कानून हैं उसके अनुसार लेन्ड रेट डिटर्मिन होनी चाहिये। इस वास्ते मैं निवेदन करता हूँ कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, वह स्वीकार किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—यह जो अमेन्डमेंन्ट माननीय सदस्य, दांता रामगढ़, ने पेश किया है उसके लिये कल भी में अर्ज कर चुका हूँ कि हमने लेन्ड रेवेन्यू बिल बना लिया है और सारे राजस्थान के लिये एक प्रोसीजर सेटलमेन्ट का रख लिया है। इसके सैंक्शन होकर आने में और एन्फोर्स करने में देर हो रही है। इस वजह से सिर्फ टेम्परेरी अरेन्जमेन्ट इस द्वारा किया गया है और ज्यादा से ज्यादा महीन दो महीने के लिये यह बिल लाया गया है और ऐसा ही बिल लास्ट ईयर ५५ में ऑर्डिनेन्स के जरिये पास किया गया और फिर असेम्बली में पेश करके उसे साल भर लागू रक्खा और इसकी तहत में नियम बनाये गये। तो अगर आप उन नियमों को देखते तो साफ मालूम हो जाता कि जो नियम बनाये गये हैं उनमें सारे तरीके हैं कि किस तरह से सैटलमेन्ट की रेट्स रिवाइज़ की जावेंगी और फिर इस तरह के अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती।

मैं कहता हूँ कि जो अमेन्डमेन्ट कराना चाहते हैं वह मुमकिन भी नहीं है क्योंकि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के अलावा कहीं भी लैन्ड रेवेन्यू एक्ट था नहीं और बाकी अलग अलग जगह सरक्यूलर, नोटिफिकेशन्स और रूल्स आदि थे और उनके जरिये सेटलमेंट अमल में लाया गया था। इसलिये इसमें क्लॉज़ १० में रूल मेकिंग पॉवर गवर्नमेन्ट को दी गई है और इसकी तहत जो रूल बनाये हैं उनमें तमाम प्रोवीज़न्स सैटलमेन्ट के रख दिये हैं इसलिये इसको मन्जूर करने में आपत्ति यहां है कि चूंकि राजस्थान में एक रूल नहीं होने की वजह से यह आवश्यक है कि इस तरह के रूल्स बना दिये जावें जो सभी जगह लागू होंगे, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स में यूनीफाइड रूल्स थे नहीं। इसलिये आशा करूंगा कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री ने जो बात बताई वे सारी बातें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो इस सदन मे पास कर दिया गया है, उसके उपर आधारित होना, यह कह कर मेरे संशोधन को गैर आवश्यक बताया। माननीय अध्यक्ष, मैं मानता हूं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है और वह व्यवस्था जब तक वह कानून लागू न हो तब तक लागू नहीं हो सकेगी और इस अन्तरिम काल में हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी है तो उसको करने के लिये यदि कानून बनाया जावे तो ज्यादती नहीं होगी लेकिन यदि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जो हमने पास

[श्री भैरोंसिंह]

किया है उसकी धारा २१६ बी में रैंट रेट्स के बारे में उल्लेख किया गया है, उसमें आगे चलकर उसके भाग (२) में यह है :

"The setlement Ofiicer shall thereupon proceed to frame his modifed proposals in the prescribed manner and the provisions of section 152 (d) and 153 shall apply thereto. "

लेकिन जो कानून हम आप बनाने जा रहे हैं उसके अन्तर्गत हमने क्लॉज़ ६ में केवल इतनी सी व्यवस्था रक्खी है कि पुनर्विलोकन अधिकार क्लॉज़ ४ के अन्तर्गत तैयार किये गये अपने प्रस्तावों को निर्धारित प्रणाली के अनुसार प्रकाशित करेगा और उनके सम्बन्ध में ऐसी आपत्तियों, जो ऐसे प्रकाशन से ३० दिन के अन्दर प्राप्त हों, पर विचार करके उनका निपटारा करेगा।

"(२) पुनर्विलोकन अधिकारी ऐसे परिवर्तनों के निमित्त, जो आवश्यक हों, तथा जो धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) से खण्ड (घ) तक में वर्णित प्रकार के हों, अपने अन्तिम प्रस्ताव, मण्डल को प्रस्तुत करेगा।

(७) मण्डल द्वारा कार्यवाही—मण्डल, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, पुनर्विलोकन पदाधिकारी द्वारा करवाने के पश्चात् और ऐसी जांच यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, स्वयं करने के पश्चात् पुनर्विलोकन पदाधिकारी के प्रस्तावों को, उन पर अपना मत प्रकट करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

यह इसमें व्यवस्था की है। लेकिन इन दोनों में विशेष प्रकार का अन्तर है और वह अन्तर चाहे राजस्व मंत्री की जानकारी में न हो तो मैं उनके समक्ष रख दूं।

धारा १५२ डी है जिसमें लिखा है :

"The Settlement Officer shall also record for each village whether the rent-rates evolved by him therefor are applicable without modification or the extent to which they require modification either for the village as a whole or for a specified area or a specified soil class therein."

और फिर इसके बाद में प्रोपोजल का पब्लिकेशन होगा और उसमें भी बाद में है :

"The Settlement Officer shall then submit the proposals, along with the objections received and the orders passed by him thereon, to the Settlement Commissioner."

[श्री भैरोंसिंह]

अब इसमें यह व्यवस्था हमें देखनी है कि एक तरफ हमने सैटलमेंट अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि वह गांव वार, असेसमेन्ट के सर्किल बनें तो सर्किल वार और वे न हों तो खास तौर से भूमि की तरफ से जिस प्रकार का मोडिफिकेशन की आवश्यकता समझता हो उनके बारे में सरकार के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करे और अब जो कानून बन रहा है उसमें केवल इतना है :

"अपने अन्तिम प्रस्ताव मंडल की निर्धारित प्रणाली के अनुसार," अब वह निर्धारित प्रणाली कहने को कही जा सकती है कि जयपुर स्टेट ग्रान्ट टेन्योर एक्ट के मातहत जो व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था हम इस कानून के अन्तर्गत करने जा रहे हैं। लेकिन व्यवस्था सारे राजस्थान के हिस्सों में लागू हो जावेगी और सारे राजस्थान के साथ साथ जोधपुर, मारवाड, मेवाड़, बीकानेर के व्यक्ति भी इसके मातहत कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दिये जावेंगे, जो उनके सामने एक अव्यवस्था पैदा करेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह कहा है कि क्लॉज़ १० में जो रूल्स बनाये हैं वे सब प्रोसीजर प्रैस्क्राइब करते हैं। इस क्लाज़ में तो गवर्नमेन्ट को रूल्स बनाने का अधिकार है। जो सैटलमेंट के सम्बन्ध में जयपुर स्टेट टेन्योर एक्ट में नियम बना रक्खे हैं उसी प्रकार के नियम बनावेंगे।

श्री अध्यक्ष—गजटेड हैं रूल्स तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री भैरोंसिंह—यदि इस प्रकार भी नियम बनाते हैं तो जयपुर स्टेट वालों को तो एतराज नहीं है, पर दूसरों का जो सेटलमेन्ट हो रहा है उसके लिए आप जयपुर स्टेट ग्रान्ट टेन्योर एक्ट को लागू करेंगे तो बाधा होगी। उनके लिए आवश्यक है कि जब तक लैण्ड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान में लागू न हो जावे उससे पहले जो प्रचलित कानून वहां के थे और उनके द्वारा जो नियम वहां के लिए बनाये गये थे उन नियमों की व्यवस्था के आधार पर हमें इन सारे रेवेन्यू के प्रोवीज़न्स को एडजस्ट करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि मेरा संशोधन न्यायसंगत है। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो सदन की अनुमति के लिए अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं मन्जूर करते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन (ग) में जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, (क), (ख) व (ग) पूरे के पूरे स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन (क, ख और ग) विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ४, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता दोनों को ही, क्योंकि इन दोनों में ही कान्सीक्वेंश्यल अमेन्डमेंट्स हैं।

श्री अध्यक्ष—खण्ड ५ व ६ भी साथ में लेलें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४, ५, और ६ स्वीकार किये जांय?

(स्वीकृत)

खण्ड चार, पांच और छ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड ७।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ७ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"मण्डल, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, पुनर्विलोकन पदाधिकारी द्वारा करवाने के पश्चात्, और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, स्वयं करने के पश्चात् पुनर्विलोकन पदाधिकारी के प्रस्तावों को, उन पर अपना मत प्रकट करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।" इन शब्दों के स्थान पर शब्द "पुनर्विलोकन पदाधिकारी के प्रस्तावों को, उन पर अपना मत प्रकट करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित करेगा," इन शब्दों को हटाया जाकर "ऐसे परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, मन्जूर कर सकेगा" रख दिये जावे।

माननीय अध्यक्ष, इस बिल में यह एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था है कि यदि जैसा कि मैंने पहले संशोधन प्रस्तुत किया था और उसके द्वारा राजस्थान में प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत की जनो

[श्री भैरोंसिंह]

वाली व्यवस्था को ही लेकर एक मांग आई थी वह भी स्वीकृत नहीं हुई तो हमें उसको दूसरे रूप से देखनी की चेष्टा करनी पड़ेगी। इस कानून के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को जो हमने अधिकार दिया है कि राजस्थान सरकार कतिपय परस्थितियों के अन्दर यह आवश्यक समझे कि लगान का पुनर्विलोकन किया जाना निहायत जरूरी है तो वह उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए पुनर्विलोकन के लिये नियुक्त अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही पर आज्ञा प्रदान करे। आगे हमने यह व्यवस्था की है कि पुनर्विलोकन अधिकारी सरकार के इन आदेशों को निकाले एसेसमेंट सर्किल के संबन्ध में, स्वाइल क्लासिफकेशन के सम्बन्ध में, रेन्ट रेटस प्रेस्क्राइब करने के संबन्ध में; यह सारी कार्यवाही करने के पश्चात् एक नोटिस देगा और उस नोटिस के ऊपर संबन्धित लोगों के ओब्जेक्शन्स इन्वाइट करेंगे। आब्जेक्शन इन्वाइट करने के बाद अपनी राय के साथ उन सारे कागजात को रेवेन्यु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आगे हमने इस क्लॉज़ में यह व्यवस्था की है कि रेवेन्यु बोर्ड उसमें सारी बातों को देखने के बाद अपनी राय के साथ वे कागजात स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेगा।

श्री अध्यक्ष (श्री राजस्व मन्त्री से)—आप इसको मन्जूर करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—जी नहीं। ऑलरेडी प्रोविजन है। I have already submitted a copy of that.

श्री भैरोंसिंह—इस कानून में स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि अन्तिम रूप में रेन्ट रेटस के बारे में फैसला करे और मेरा संशोधन है कि अन्तिम रूप से फैसला करने का अधिकार रेवेन्यु बोर्ड को होना चाहिये और वह इसलिए कि मैं जैसा कि निवेदन कर रहा था कि नोटिस के पश्चात् उन सब शर्तों को रेवेन्यु बोर्ड के पास भेजेंगे अगर रेवेन्यू बोर्ड उसके ऊपर यदि आवश्यकता समझे, यदि उचित समझे तो किसी भी हेर फेर के पश्चात् अपनी उन बातों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मैं यह चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जहां हम एक उचित प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं कर सकें तब तक इन्टेरिम मेजर किसी भी विषय में लें उस इन्टेरिम मेजर के लिए बहुत ज्यादा प्रिकाशन बरतनी चाहिये। जहां कहीं इमरजेन्सी ला बनाते है, जहां कहीं इन्टेरिम किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है, जहां कहीं एक विशेष परिस्थिति के अन्दर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करया चाहते हैं; वैसी जितनी व्यवस्था करने की सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी उनकी है। हम हर चीज में जितना जुडिशियस माइन्ड देना चाहें उतना दिया जाय, हम हर चीज में जितना न्यायप्रदान कर सकें उतना प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। आज मन्त्री जी किसी विशेष प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए उस व्यवस्था को बनाये रखें। इसमें माइन्ड एप्लाई नहीं करें। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस कानून में हम किन्हीं लोगों को आघात नहीं पहुँचा सकें, इसके लिए हम जितने प्रिकाशन्स ले सकें उतने प्रिकॉशन्स हम लें। इस प्रकार का यह कानून है। हम दो तीन महीनों के लिए यह कानून बना रहे हैं। १ जनवरी १६५६ तक तो इस प्रकार का कानून लागू था और एक-दो महीनों के अन्दर लेन्ड रेन्वेयु

[श्री भैरोंसिंह]

वक्त लागू होगा, तो इन तीन-चार महीनों के इन्टेरिम काल के लिए जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वह व्यवस्था किसी विशेष कारण से बनाई है। हम विशेष कारण से कानून बना रहे हैं, विशेष कारण से परिस्थितियां बना रहे हैं, विशेष परिस्थिति के अन्दर हम प्रिकाशन लेने को रजामन्द होते हैं। जिन प्रिकाशन्स के नहीं लेने से, जुडिशियल माइन्ड नहीं होने के कारण से, जुडिशियली केसेज़ आ डिसपोज़ ऑफ नहीं होने के कारण से, लोगों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो जाय, तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ही नहीं भारत के किसी प्रान्त में रेवेन्यु बोर्ड को राजस्व की उच्च सत्ता मानते हैं और रेवेन्यु बोर्ड के जो फैसले राजस्व संबन्धी मामलों में होते हैं वे अन्तिम फैसले माने जाते हैं। मुझे यह शक होता है कि रेवेन्यू बोर्ड कहीं धोखा न दे, नहीं तो यह संकोच क्यों ? रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान सरकार का है। रेवेन्यु बोर्ड के पदाधिकारी राजस्थान सरकार के नियुक्त किये हुए हैं। रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान सरकार की राजस्व की उच्च सत्ता है। वैसी सूरत में यदि यह अधिकार उसके पास दे दिये जायं तो क्यों संकोच करती है, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे निस्संकोच भाव से ऐसे मामलों को जो जुडिशियल माइन्ड के हिसाब से डिस्पोज़ आफ होते हैं उनको अधिकार देना चाहिए और उनके फैसले अन्तिम होंगे और गवर्नमेंट उनको स्वीकार करेगी। तो एक प्रकार से यह उचित व्यवस्था होगी। यह कहा जा सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड किसी बारे में कमी कर दे और सरकार के उस प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दे, जो प्रस्ताव किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण हमने पुनर्विलोकन के लिए दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हाई कोर्ट के अन्दर गवर्नमेंट का एडवोकेट रहता है और गवर्नमेंट के केसेज़ को प्लीड करता है उसी तरह से रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष भी सरकार के प्रवक्ता के रूप में सरकारी एडवोकेट उपस्थित होकर सरकार की कतिपय परिस्थितियों को रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष दिग्दर्शन करायेगा जिनके कारण से रिव्यू करने की परिस्थितियां बनी हैं। रेवेन्यू बोर्ड उचित समझेगा तो कहेगा कि रेट्स का रिव्यू किया जाय, उसे कोई आपत्ति नहीं है, सरकार इस प्रकार के आदेश दे। रेवेन्यू बोर्ड एक्जीक्यूटिव ऑथोरिटी नहीं होने के कारण यह हो सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड को हर सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि किस सम्बन्ध में जजमेंट का एरर हुवा है, किस जगह स्वाइल क्लासिफिकेशन में गलती हुई है। उस बारे में रेवेन्यू बोर्ड की शायद जानकारी पूरी नहीं हो तो उसकी जानकारी सरकार को होती है तो वैसी सूरत में सरकार को अधिकार देदें कि सरकार इस सम्बन्ध में मूव करे। सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विलोकन अधिकारी नियुक्त करे और सरकार की इस सम्बन्ध की कार्यवाही को अन्तिम निर्णय नहीं समझा जाय। सरकार को एक प्रकार से इस तरह से पार्टी बनाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष वह एक पार्टी बन कर जाये और अपने केस को प्लीड करे। यदि रेवेन्यू बोर्ड आवश्यक समझे कि सरकार ने जो परिस्थितियां पुनर्विलोकन के लिए बताई हैं अगर वे परिस्थितियां इस प्रकार से रेन्ट को रिव्यू करने के लिये ठीक है तो इस प्रकार का आदेश रेवेन्यु बोर्ड देगा, मैं समझता हूँ कि रेवेन्यु बोर्ड की उच्च सत्ता को प्रतिष्टित करने वाली होगी, वह रेवेन्यु बोर्ड की प्रतिष्टा को साबित करने वाली होगी। इस प्रकार का संशोधन जो है मैं समझता

[श्री भैरोंसिंह]

हूँ कि उससे माननीय मन्त्रीजी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और वे अवश्य ही स्वीकार करेंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष क्लॉज़ ७ में कुछ शब्दों का लोप करने के लिये दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मै यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो कानून राजस्थान रिव्यू एन्ड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स सरकार बनाने जा रही है उसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि जहां पर लगान की दरें ऊंची हो गई हैं वहां उन दरों को कम किया जाय और कम करके कश्तकारों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जाय। अध्यक्ष महोदय, यह राहत काश्तकारों को उस समय पहुंचा सकते हैं जब कि इसको अमल में लाने के लिये जिन अफसरान की, जिन व्यक्तियों की, सेंक्शन लेना है उनकी संख्या जितनी अधिक कम होगी उतनी ही जल्दी यह काम हो सकेगा।

इसके अन्दर कमी करते वक्त हमको यह बात देखनी पडेगी कि इसमें बीच में जो इन्टरमीजियेरीज़ हैं उनको किन किन को किस प्रकार से कम किया जाय, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड हाई कोर्ट की तरह मे राजस्थान में रेवेन्यू के मामलों में सब से बड़ा न्यायालय है। यह हम मानकर चलते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि रेवेन्यू बोर्ड उन उच्च आदमियों का होता है कि जिनकी रेवेन्यू के मसलों के ऊपर की काबलियत को कोई चेलेन्ज नहीं कर सकता। यह मानकर चलने के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि यह जो रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर यह धौंस लागाई जाती है कि बोर्ड के फैसले किये वे स्टेट गवर्नमेंट के पास जायं और वहां पर उसके लिए छाप और मोहर लगे, इस बात को मैं अनुचित मानता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी इस चीज को ले जाना, इस चीज को खत्ते में डालना है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जब मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिये निवेदन कियाथा तो मैंने काफी चर्चा की थी और मैंने बताया था कि यह बिल जिस मतलबसे बना है उससे मतलब हल नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल्स जब मैं थर्ड रीडिंग पर बोलूगां तब निवेदन करूंगा। लेकिन यह एक छोटा सा संशोधन आया है वह समयानुकूल संशोधन है। आज हम रेंट रेट्स से को जल्दी से जल्दी कम करना चाहते हैं तों हमको रेवेन्यू बोर्ड को फाइनल ऑथोरिटी मानना पडेगा। इसलिए मानना पडेगा अध्यक्ष महोदय, कि आज हमारी सरकार के मंत्रियों को दौरो से, मानपत्र लेने से, उदघाटन करने से इतना समय नहीं मिलता है कि वे अपने काम को जल्दी से जल्दी कर सकें और। इसका नतीजा, अध्यक्ष महोदय, यह होता है कि रेवेन्यू बोर्ड जो प्रोपोजल्स सेक्रेटेरियेट में भेजेगा वे प्रोपोजल्स वहां पर कई दिनों तक खत्ते मे पडे रहेंगे। अगर मंत्रीजी दौरों के लिये और उनके लिये इन्कार करे तों देख लिजिये कि १।। महीने के लिये असेम्बली मे आना पडा है। जमुवा रामगढ़ की तहसील की मिसाल ले लीजिय उनके पास प्रोपोजल्स कई दिनों से पडे हुए है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे पास तो प्रोपोज़ल्स नहीं हैं जमुआ रामगढ़ के।

श्री **मानसिंह महार**—आकाश में होंगे, अध्यक्ष महोदय। तो मैं यह समझूंगा कि जमुआ रामगढ़ पहली तहसील है जिसको राहत देने के लिये सोचा था और आज तक उसको राहत नहीं मिली है और नया कानून लाकर सदन का समय और दीगर समय भी वेस्टक्यों किया जाय, यह मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय। तो मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी बहुत उत्सक हैं इसको जल्दी करने के लिए, इसको मैं चेलेन्ज नहीं करता।

रेवेन्यू कानून में वे कितने समझदार हैं यह भी मैं मानता हूं। उधर बैठने वाले किसी सदस्य ने तो, कहने के लिए तैयार नहीं हूं, कि वे रेवेन्यू में पहली क्लॉस तक पढ़े हुए हैं।

(घंटी)

लेकिन फिर भी मेरा यह सुझाव है अध्यक्ष महोदय, कि........

श्री **अध्यक्ष**—All these jock between the memhers Should take place out side the House.

श्री **मानसिंह महार**—जोक नहीं है, अध्यक्ष महोदय। यह तो मैं बिलकुल सही निवेदन कर रहा हूं कि यदि राजस्व मंडल को अधिकार नहीं दिये जाते हैं और अध्यक्ष महोदय, दुख इसलिए होता है कि सारा कानून जिस मंशा से बनाया जाता है वह मंशा ही खत्म हो रही है। इस सदन ने दो वर्ष पूर्व इस प्रकार का एक कानून बनाया अध्यक्ष महोदय, और उसको बनाने के बाद हमने समझा कि जयपुर डिविजन में कई इलाकों को राहत मिलेगी उनके तहत में लेकिन हमे यह देखना है कि कार्यवाही क्या हुई। आज एक तहसील को भी राजस्थान के अन्दर राहत नहीं मिली जैसा कि मंत्रीजी ने फरमाया, तो ये रेड टेपिज़म की बातें हैं उनको कम कर सकें तो उचित होगा। इसलिए दांता रामगढ से आये मित्र का जो संशोधन है रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार देने के बारे में, उसी को मान लेते तो राजस्थान की जनता के हित में अच्छा होता।

एक बात इस कानून में अटपटी सी कह दी जाती है कि इसका सारा समावेश लैंड रेवेन्यू बिल में हो जाता है और इस तरह से यह प्रोविजन है, यह मान नहीं सकता। इसके लिए यह अर्ज करूं अध्यक्ष महोदय, कि लैंड रेवेन्यू बिल राजस्थान में लागू हो जायगा, उसमें यदि कोई ऐसी गलतियां हैं तो उनको अमेन्ड कर दिया जावेगा, लेकिन जब तक लैंड रेवेन्यू बिल राजस्थान में लागू नहीं करते हैं, यह जो कानून बनाने जा रहे हैं, तो उस बिल को आड़ में नहीं जाना है अध्यक्ष महोदय। हमें देखना है कि यदि दो महीने में वाकई में कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं तो हमको वह करना चाहिए। लैंड रेवेन्यू बिल में यदि कोई प्रोविजन है तो वह दो महीने बाद लागू हो जावेंगे लेकिन इस बिल को पास करते वक्त बीच में लैंड रेवेन्यू बिल को लाकर इसको अटका दिया जाय, यह तो उचित नहीं है। जबाब यह दिया जाता है, या लैंड रेवेन्यू बिल के रेफरेन्सेज़ पढ़ कर सुनाये जाते हैं लेकिन दो चार महीने तक यह कानून रहेगा उस वक्त तक तो लैंड रेवेन्यू बिल लागू नहीं होने वाला है। अगर इसी में कोई नई बात रख दे तो उससे जनता को

[श्री मानसिंह मद्दार]

लाभ पहुंचा सकते हैं और इसमें यदि नई बात रखेंगे और तजुर्बे से अच्छी बात साबित हो तो, राजस्व मंडल को अधिकार देने की बात अच्छी साबित हो, तो लैंड रेवेन्यू बिल में भी वह आ जायगी। अख्तियारात को छोड़ते वक्त दुःख नहीं होना चाहिए। किसी कानून के अन्तर्गत कोई पावर्स हैं तो उनको सहर्ष छोड़ कर जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सदन से और माननीय मंत्रीजी से खास कर कि यह बड़ा उचित संशोधन है और यदि इसको मंजूर कर लें तो उससे कोई हानि होने वाली नहीं है और जनता का कम से कम इससे फायदा हो जायगा। जो एक्शन लेंगे वह दो महीने पहले परिपक्व हो जायगा; इसलिए मैंने इस अमेन्डमेन्ट पर दो शब्द कहे हैं।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष—पहले मुक्तिलालजी को बोल लेने दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा ७ में जो संशोधन रखा है और उस संशोधन में यह बताया है कि रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दे देने चाहिये। माननीय अध्यक्ष, मैं हर वक्त सरकार से यह निवेदन करता रहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड भी सरकार का है, और एक क्लर्क भी होता है वह भी सरकार का है परन्तु ये मंत्री लोग बैठे हैं वे अपने पास अधिक मात्रा में अधिकार क्यों लेते हैं? कारण यह है कि कुछ लोग उनके पास सुबह से लेकर शाम तक डोलें, उनको समय मिले नहीं, उनका भी समय खराब हो और दूसरे लोगों का भी।

श्री अध्यक्ष—यह आप रेवेन्यू बोर्ड पर बोल रहे हैं या बिल के क्लॉज़ पर?

श्री मुक्तिलाल मोदी—थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष, अगर रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दे दिये जाते हैं तो सरकार का समय भी बचेगा और सरकार का समय बचने के बावजूद आज सरकार के अन्दर कई चीजों में डिले होती है और हाउस में क्वेश्चन्स आते हैं और सरकार की बदनामी होती है और सरकार के ऊपर किसी न किसी तरह से यह एक चीज़ फिट होती है कि सरकार के अन्दर जो कागज जाते है वे छः महीने और १२ महीने तक वापिस नहीं निकल पाते हैं। अगर सरकार रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार दे देती है तो उसको एतराज क्या है?

माननीय अध्यक्ष, आज सेटलमेंट के अन्दर, एक जगह का सेटलमेंट होता है, तो आठ आठ और दस दस साल बाद रेटें बांटे जाते हैं। जैसी चीज सरकार करना चाहती है, एक लैंड

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

रेवेन्यू बिल भी पास किया इस हाउस में, अगर सरकार चाहती तो उसको तीन महीने के अन्दर अन्दर लागू करके, उस कानून पर अमल करना चाहती तो कर सकती थी। परन्तु एक साल से सरकार से लैंड रेवेन्यू बिल जनता के सामने नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? यदि कोई बिल पास करते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी जनता के सामने लाया जाय। मैं मंत्रीजी से कहूँगा कि यह चीज़ सरकार के अन्दर नहीं है। कोई बिल पास हो जाय, हाउस के अन्दर पास हो जाय और उस बिल को लागू न किया जाय. . .

(घन्टी)

मैंने गलत बात तो नहीं कही, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—इर्रिलेवेन्ट नहीं बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वह बिल जल्दी से जल्दी जनता में लाया जाय और उसका जल्दी से जल्दी पालन किया जाय। अगर नहीं, तो फिर उसका पास होना न होना हाउस में बेकार है और इस कानून में जब तक जनता के अधिकार लागू नहीं करेंगे तब तक काम पार नहीं पडेगा। हाउस के जो मेम्बर हैं उनको भी जनता के अधिकार काफी मालूम होंगे। यह कानून पास करके आज जनता को सब मिल सकते हैं तो मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आज यदि कोई चीज राजस्थान के सदन में करना चाहते हैं, कई कानून बना कर जल्दी जल्दी धारा तय करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के कानून थे, आज वे लागू हैं उनसे काफी दिक्कत हो रही है। माननीय अध्यक्ष, आज हमारे जयपुर स्टेट में पास ही के गांवों में एक में ६ रू० बीघा के हिसाब से लगान लिया जाता है और दूसरे में ४ रू० बीघा के हिसाब से लगान लिया जा रहा है। १ मील का फासला तो दूर रहा ५० गज के फासले पर भी इतना फर्क है। यदि राजस्व मंत्रीजी यह सोचते है कि रेवेन्यू बोर्ड को कानून के द्वारा अधिकार दिया जाय कि वे पूरी तरह से देख कर तय कर दें कि कहां कितना लगान लगना चाहिये तो ज्यादा अच्छा हो। इस तरह का कानून जल्दी पास करके राजस्थान में जो असुविधा हो रही है वह मिटादें तो ज्यादा अच्छा हो। और यदि यह अधिकार मंत्रीजी सरकार को दिलाना चाहते हों तो जो काम ३ महीनों में होना चाहिये वह १२ महीनों में भी पूरा नहीं होगा। ऐसे कानून को पास करना बेकार है। रेवेन्यू बोर्ड को यह पॉवर्स देने के लिये जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

रावत श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। क्लाज ५ में जो शब्द हैं, "मण्डल उन पर अपना मत प्रकट करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित करेगा संशोधन के अनुसार"

(रावत श्री शम्भूसिंह)

उसके बजाय "ऐसे परिवर्तनों तथा परिवर्धनों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे मंजूर करेगा" यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इसका तात्पर्य यह है कि रेवेन्यू बोर्ड को अंतिम अधिकार प्रपोजल मंजूर करने का दे दिया जावे और यह वाजिब है क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड जिस तत्परता और लगन से काम अंजाम पहुंचा सकेगा, उसे सरकार द्वारा अंजाम पहुंचाने में देरी लगेगी और सरकार के लिये भी ऐसे कामों में हाथ डालना मुनासिब नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले रेन्ट रेट्स रिव्यू करने के लिये कानून बनाया था जिसकी मयाद हाल ही में खत्म हुई है। सरकार उसके अंतर्गत एक भी मामले में राहत पहुंचाने में सफल नहीं हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि भविष्य में भी सरकार पर यह भार डाल दिया जायगा, तो सरकार उसको वहन करने में असफल रहेगी इसलिये लगान की दर के बारे में अंतिम निश्चय का अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को दे दिया जावे। सरकार के पास काम की ज्यादती रहती है और दूसरे भी कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से किसानों को राहत पहुंचाने के कार्य को जल्दी नहीं निपटाया जा सकता। यह संभव तभी हो सकता है जब कि यह काम रेवेन्यू बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जावे। रेवेन्यू बोर्ड को ऐसे मामलों का एक्सपीरियेन्स होता है इसलिये उनके काम में देरी होने की संभावना नहीं है। इसलिये काम को जल्दी अंजाम देने के लिये यह आवश्यकता है कि रेवेन्यू बोर्ड पर अंतिम भार डाल दिया जावे। इसके अलावा मान लीजिये कि सरकार इसमें पार्टी हुई मोडिफिकेशन ओफ रेन्ट में एबेटमेन्ट ही नहीं बल्कि एन्हेन्समेंट का केस हुआ और सरकार यदि उसमें पार्टी हुई तो क्या यह अधिकार सरकार को देना वाजिब होगा। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू मामलों के लिये एक निष्पक्ष मण्डल होता है जो सही फैसले दे सकता है। इस वास्ते भी इसका निर्णय रेवेन्यू बोर्ड पर ही छोड़ना चाहिये। फिर रेवेन्यू बोर्ड के विरूद्ध किसी को उज्र हो तो अपील के द्वारा सरकार के पास पहुंच सकता है और सरकार को फिर अपना निर्णय देने का पूर्ण अधिकार है। जब तक अपील न हो रेवेन्यू बोर्ड से नहीं कराना उचित नहीं है। जब कि शक्ति को डिसेन्ट्रलाइज़ करने की बात कही जाती है तो हरेक शक्ति को सरकार को अपने हाथ में नहीं रखना चाहिये। ये पोवर्स रेवेन्यू बोर्ड को जरुर सौंपना चाहिये। इससे सरकार पर से भार कम हो जायगा और सरकार इसे रेवेन्यू बोर्ड को सौंप कर खुद निश्चिन्त हो जायगी और अपना काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) —इस क्लॉज़ के बारे में मैंने जैसा अर्ज किया था यह क्लॉज़ वैसी ही है जैसा कि लैंड रेवेन्यू बिल में है, जिसे सदन ने पास किया है। लैंड रेवेन्यू बिल की इस तरह की धारा पर सिलेक्ट कमेटी में काफी चर्चा आई थी कि सरकार के पास पोवर रखनी चाहिये या नहीं और बहुत सोच विचार के बाद सदन ने यह निश्चय किया और निर्णय दिया कि रेवेन्यू बोर्ड इसकी छानबीन करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे। अन्तिम रूप से स्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास रखा गया। इस प्रकार का अधिकार सरकार के पास अन्य जगह भी है। सिर्फ यह कहना कि सरकार के पास अधिकार रहने से देरी हो जाती है, ठीक नहीं है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

इतना जरूर अर्ज करता हूं कि सरकार के पास कभी कभी देरी लग सकती है लेकिन आयन्दा इसे जल्दी निपटाया जायगा और कोई देरी नहीं होने दी जायगी। श्री शम्भूसिंह जी ने यह कहा कि जब तक अपील नहीं हो तब तक सरकार के पास नहीं जाना चाहिये। इसमें अपील का कोई सवाल नहीं है। फाइनल सेंक्शन के लिए सरकार के पास कागज जाते हैं। इसमें कोई अपील का सवाल नहीं है। सैटलमेंट तक छानबीन का मामला खत्म हो जाता है, फिर रेवेन्यू बोर्ड उसकी स्क्रुटिनी करता है और फाइनली सरकार के पास सेंक्शन के लिए आता है जिस पर निर्णय दिया जाता है। यह जो संशोधन रखा गया है उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं आशा करता हूँ, माननीय सदस्य इसको विद्ड्रा कर लेंगे, नहीं तो सदन से निवेदन करूंगा कि वह अपनी राय दें।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मेरे संशोधन के उत्तर में कोई खास बात नहीं कही गई है इसलिए मुझे संतोष नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि सदन को भी संतोष नहीं हुआ होगा। ऐसी सूरत में मैं अपना संशोधन सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन खंड ७ में श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है, क्या उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ७ विधयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ८

श्री भैरोंसिंह — (१६)—अध्यक्ष महोदय, खण्ड ८ में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "प्रथम पंक्ति में लिखित 'मंडल' शब्द से लेकर चतुर्थ पंक्ति में लिखित 'और' शब्द तक के शब्दों को लोप किया जावे।"

(श्री भैंरू सिंह)

मैं समझता हूँ, मेरा यह संशोधन राजस्व मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।...

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं समझता हूं यह संशोधन पहले के संशोधन के बाद रह नहीं जाता । यह कॉंसीक्वेन्शियल है ।

श्री भैरोंसिंह—मेरे समझाने के बाद पता चलेगा कि कॉंसीक्वेन्शियल है या क्या है । क्लॉज़ ८ में यह व्यवस्था है कि आगे क्या व्यवस्था होगी । इसमें लिखा है कि, "मंडल के मत सहित प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार, पुनर्विलोकन पदाधिकारी के अंतिम प्रस्तावों को मंडल द्वारा स्वीकार किये गये रूप में ऐसे परिवर्तनों तथा परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, मंजूर कर सकेगी" इन शब्दों को डिलीट कराने से मेरा मतलब यह है कि रेवेन्यू बोर्ड यदि सेंक्शन करना चाहता है तो उसे ओमिट करने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिये ।

अभी अभी राजस्व मंत्रीजी ने बताया था कि कोई प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें सरकार को सेंक्शन करने का अधिकार नहीं है और इस बात की आड़ में वे राजस्थान सरकार को भी ऐसे अधिकार दिलाना चाहते हैं । सेंकशन करने का अधिकार यदि राजस्थान सरकार को हो, जैसा कि बहुमत के आधार पर वे इसे मंजूर कराना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि सेंक्शन करने का अधिकार आप ले लें लेकिन रद्दोबदल करने का अधिकार आपको नहीं होना चाहिये । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है । जहां मूल में सरकार को सब अधिकार दे दिये हैं...

श्री अध्यक्ष— That comes to the same thing,

श्री भैरोंसिंह—वह दलील और है ।

श्री अध्यक्ष—वही प्रोविजन है जो लेंड रेवेन्यू बिल में है ।

श्री भैरोंसिंह—लैंड रेवेन्यू बिल के समय भी हमने विरोध किया था लेकिन बहुमत से पास करा लिया । यदि हम और ध्यान दिलावें और लोगों का उससे भला हो सकता हो तो हमें प्रयत्न करना चाहिए । उसके फलस्वरूप हमने यह संशोधन पेश किया है ।

और अब मांग करता हूं सदन से कि हमें आगे भी रेवेन्यू बोर्ड को उच्च सत्ता मानने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए । रेवेन्यु बोर्ड अगर सरकार के पास प्रोपोजल्स रखता है तो रेवेन्यु बोर्ड के काम में सरकार को किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । सरकार द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप किसी प्रकार सह्य नहीं है ।

[श्री भैरोंसिंह]

इसलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है और सदन से निवेदन करता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी को इसे स्वीकार कराये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, यह संशोधन तो महज पहले वाला संशोधन है जो कोन्सिक्वेन्शियल है। जो लाइन्स ये लोप करना चाहते हैं क्लॉज़ ८ में से तो उन लाइन्स को लोप कर देने से यह सारा सेक्शन ही बेमानी हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल चलने लायक नहीं है, इसलिए इसे नामंजूर फरमाया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ में जो संशोधन श्री भैरुसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खंड ९

श्री भैरों सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड ९ का लोप किया जाय। माननीय अध्यक्ष, कल भी इस सदन में थोडी बहुत चर्चा हुई थी, सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस और आकर्षित किया था कि खंड ९ अनडेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को मूलभूत से आघात पहुंचाने वाला है। इसमें व्यवस्था की है कि १ जून, सन् १९५१ से आज ता० ९ मई, सन् १९५६ तक सरकार ने बिना किसी कानून के रेंट रेट्स के मॉडिफिकेशन में यदि कोई आज्ञा जारी कर दी है तो वे आज्ञाएं सात साल बाद इस कानून के अन्तर्गत आ जायगी, और इस कानून के अन्तर्गत वैध समझी जायंगी।

[श्री भैरोंसिंह]

मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का कलॉज़ इस कानून में रख दिया जाता है तो इस एक्ट की, टिनेन्सी एक्ट की और इस प्रकार के दूसरे कानूनों की कोई आवश्यकता हीं नहीं। ५ साल तक सरकार जिस प्रकार आज्ञा दे उसी प्रकार सेटलमेंट करे, रेंट रेट्स मुकर्रर करे, रेंट रेट्स में मोडिफिकेशन करें, रेवेन्यु बोर्ड के सामने प्रोपोज़ल्स पेश करे और कोई नियम की, कोई रूल्स की, कोई कानून की आवश्यकता नहीं, सरकार जिस तरह चाहे वैसे करे और इस सदन के ५ वर्ष पूरे हों तब इस सदन के सदस्यों की उन सब कामों और मनचाही आज्ञाओं पर मुहर लगाने के लिये इस प्रकार की एक धारा पास कर दे कि १ मार्च, सन् १६५१ से आज तक इन पांच वर्षों में सरकार ने जो भी अपनी इच्छानुसार काम किये, राजस्थान सरकार ने जो जो आज्ञाएं जारी की, वे सब वैध समझी जायं। डेमोक्रेसी में इससे बढ़ कर और कोई बड़ी मखौल आज तक न तो कहीं हुई है और न कोई इस प्रकार की चेष्टा ही करेगा। हम इस प्रकार कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लाना चाहते हैं, किसानों को राहत देने के लिए, इस प्रकार कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है तो राहत पहुँचाने का भी एक तरीका होता है। हमें उन पर्टीक्यूलर ऑर्डर्स को, उन रूल्स को, जिनके आधार पर सारी कार्यवाही की है, उन सब को सदन में पेश करना पड़ेगा कि इन ओर्डर्स के कारण हमने सेटलमेंट में रिव्यू किया है, पुनर्विलोकन अधिकारी मुकर्रर करके दूसरे प्रोपोज़ल्स जो आयें उनको स्वीकार किया गया है। यह जानकारी सदन को नहीं दी जाती तब तक ब्लेंक पेपर पर सदन के दस्तखत कराना, यह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है।

पहले हमने कानून बनाया था उसमें इस प्रकार की धारा थी, सदन के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था कि ब्लेंक पेपर पर हम दस्तखत नहीं करते, फिर भी उस धारा को बहुमत के बल से स्वीकार किया गया और इस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या की गई। आज फिर दूसरी बार डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। १० अप्रेल, १६५१ से १ जनवरी, १६५६ तक की जितनी कार्यवाही थी वह सारी कार्यवाही तो पहले वाले कानून के अन्तर्गत ऐसी धारा रखी थी उसके अनुसार वैध करार हो गई, उसको मान्यता प्रदान हो गई, फिर आज यहां कौन सी आवश्यकता है कि एक जनवरी, १६५६ से ८ मई, १९५६ तक जो बातें हुई हैं, पांच वर्ष की कुल बातें हैं, उनके लिए यह करें कि हम उन बातों को भी उचित मानें।

मैं माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की धारा सदन में न रखें।

धारा ६ में है : "लगान दरों का वैध करण" इसमें ३ शब्द यह हैं :

"किसी विपरीत प्रथा, रिवाज या अमल के होते हुए तथा तत्समय प्रभावशील किसी विधि, विधायन, नियम, आज्ञा या लेखपत्र में किसी बात के होते हुए भी १० जनवरी, १६५१ को या उसके पश्चात् तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व पहले मन्जूर की गई लगान दरों, भूमि के वर्गीकरण तथा निर्धारण वृत्तों और अन्य सम्बन्धित मामलों में परिवर्तनों के रूप में राज्य

[श्री भैरोंसिंह]

सरकार द्वारा किसी समय की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई समझी जायेगी और उसकी वैधता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जावेगी।"

यह मानने की चीज नहीं,हमें नैतिकता से देखना पडेगा। बहुत मुमकिन है सरकार ने कोई गलत आज्ञा नही दी, कोई गलत कार्यवाही नहीं की पर जो हमारे खास सिद्धान्त होते हैं, उन कन्वेन्शन्स को सामने रख कर यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जहां तक आवश्यक नहीं हो वहां तक ऐसा ऑर्डर इश्यू न करें। पर गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इश्यू कर दिया उसकी तो तामील करनी पड़ेगी।

मैं समझता हूं, इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही किसी सदन में आज तक देखने को नहीं मिली है, जैसी आज राजस्थान विधान सभा में देखने को मिल रही है। १० जनवरी तक इस प्रकार का कानून लागू था। जब कानून लागू था तो उसके पहले की जितनी कार्यवाही थी वह उसके अनुसार वैध हो गई। अब उसे दुबारा वैध किया जाय, इसके लिये दुबारा कार्यवाही क्यों कर रहे हैं?

अब अगर यह प्रश्न है कि १ जनवरी, ५६ से ८ मई,५६ तक जो यह पांच महीने का अर्सा निकला है यदि इस अर्से में हमने कोई विशेष प्रकार की आज्ञा दी है वह किसी कानून के अन्तर्गत नहीं दी हुई है। उन सब आज्ञाओं को हम इस कानून द्वारा दी हुई आज्ञा समझेंगें इस, प्रकार का प्रोवीजन हम इसमें कर रहे हैं। इस संबन्ध में सदन को यह अधिकार है कि जब कि हम इस कानून को रिट्रोस्पेक्टि इफेक्ट देने जा रहे हैं तो उन सब चीजों की जानकारी हमें मिलनी चाहिये जो कि इस अरसे में की गई। क्या रूल्स लागू हुए, किस प्रकार के ऑर्डर हुए कौन कौन सी कोन्स्टी टयूएन्सी में हुए, किस प्रकार की व्यवस्था की गई, किस किस प्रकार के रेन्ट रेट्स मुकर्रर किये गये, इन सब बातों की जानकारी माननीय राजस्व मंत्री को सदन को देनी चाहिये। इस प्रकार की जानकारी देने के बाद ही सदन अगर यह उचित समझे कि वास्तव में जो कुछ आज्ञायें हुई वे काश्तकारों के हित में हुई, सार्वजनिक हित में हुई तो सदन उसको उचित समझेगा और उस पर अपनी छाप लगायेगा। हमने राजस्थान विधान सभा में यह देखा है कि किसी भी कानून को हम रिट्रोस्पेक्टिव देना चाहते हैं, हर कानून में हम देखते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की व्यवस्था करते हैं। आप इस कानून को भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं, हो सकता है। आप अपने बहुमत के आधार पर इसमें जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की व्यवस्था की है उसको पास करवा लेंगे, हाई कोर्ट के फेसले को भी रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की प्रणाली राजस्थान विधान सभा में सरकार द्वारा चलाई गई प्रणाली है उसका हर समय विरोध किया गया। अगर आप उचित ढंग से किसी चीज को करते हैं तो हम कभी विरोध नहीं करेंगे लेकिन आम चीज बनाकर अगर आप करने जाते हैं तो

[श्री भैरोंसिंह]

उसका हर कदम पर विरोध करना पड़ेगा, उसका विरोध हर समय हर सूरत में करने की चेष्टा करेंगे ।

(घंटी)

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमने इस कानून को पहले मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में पास किया था । दी राजस्थान रिव्यू एण्ड वेलीडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल की क्लॉज ९ में है, वह क्लॉज इस प्रकार था, उसके जरिये से पिछले अरसे के तो आर्डर्स जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के थे वे वेलिड हो चुके, आज उन आर्डर्स के वेलिड कराने का प्रश्न नहीं है । इसी के लिए माननीय सदस्य को बहुत आपत्ति है, इसलिए मैं इसमें अपनी तरफ से एक संशोधन पेश करता हूं, वह यह कि इसमें १० जनवरी, ५१ के बजाय १ जनवरी, १६५६ रख दिया जाय । क्योंकि १ जनवरी, ५६ को पिछले कानून की मियाद खत्म होगई थी । उसके बाद के जितने भी राजस्थान गवर्नमेन्ट के एक्शन्स है उनको वेलिड करने के लिए सदन से प्रार्थना है कि उसको वेलिड करना खास प्रश्न है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि जमवा रामगढ़ की चकबन्दी तथा फागी तहसील रेन्ट रेट्स पुनर्विलोकन की आवश्यकता है जो गजट में भी शाया हो चुकी है, जिसकी कार्यवाही दरपेश है । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसमें जहां १० जनवरी, १९५१ रखा है वह १ जनवरी, १६५६ दर्ज कर दिया जाय, इससे मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं यह अमेन्डमेन्ट पेश करने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री **भैरोंसिंह**—मैं अध्यक्ष महोदय, इसका भी विरोध करता हूं । यह ठीक है कि जो संशोधन ६ वर्ष की जगह चार महीने का आया, यह संशोधन मानने लायक हो सकता है ।

श्री **अध्यक्ष**—१ जनवरी, १६५६ कर दिया, अब क्या आपत्ति है ?

श्री **भैरोंसिंह**—यह तो भ्रम है । ये बातें भी पहले वाले एक्ट के नीचे आती हैं, यह ठीक है, जो यह रिडन्डेन्ट था उसको हटा दिया अच्छा हुआ । लेकिन फिर भी जिस चीज को हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दें उसकी जानकारी हमें अवश्य करानी चाहिए । अगर जानकारी दिलाकर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय तो वह ज्यादा उचित हो सकता है । इन सब बातों की जानकारी देकर कि इसका रेन्ट रेट्स पर कहां-कहां इफेक्ट होगा, इन सब बातों को आप बताकर यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करें तो ज्यादा उचित हो सकता है । अभी जैसा कि राजस्व मन्त्री द्वारा बताया गया कि जमवा रामगढ़ और फागी तहसीलों में हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इन दो तहसीलों के लिए ही विशेष प्रकार की व्यवस्था करना है तो इन दो चीजों को पुनर्विलोकन के लिये कोई आर्डर्स इश्यू हुए, उन दोनों के लिये आर्डर्स के पुनर्विलोकन के

[श्री भैरूं सिंह]

अधिकार का प्रोवीजन रखकर हम उसे पास कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे अधिकर देन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं यह अनुचित चीज होगीं।

अब यह प्रश्न आता है कि इन चार महीनों में या पांच महीनों का अरसा जो बिना किसी कानून के निकला है, इन पांच महीनों के अरसे में क्या ऑर्डर्स इश्यू हुए या नहीं ? जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है जमवा रामगढ़ और फागी रेन्ट रेट्स को पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में सरकार की आज्ञा जारी हुई है। पुनर्विलोकन अधिकारी की नियुक्ति की। इसके बारे में ऑब्जेक्शन इनवाइट किये गये लेकिन इस कानून के पास होने से १ जनवरी, ५६ के बाद के जितने भी इस प्रकार के ऑर्डर्स आदि हुए वे इस कानून के अन्तर्गत वैध हो गये। उसके बाद में सरकार द्वारा कोई आज्ञा नहीं दी गई। जब कि हमारे सामने किसी प्रकार की आज्ञा नहीं, आदेश नहीं, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं, उसके बाद हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की चेष्टा करते हैं तो यह एक प्रकार से रिडन्डेन्ट क्लॉज़ की कोई आवश्यकता नहीं।

दो चीजों को लेकर जमवा रामगढ़ और फागी के अन्दर जो कार्यवाही चल रही है जो पुनर्विलोकन के अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं, उस कार्यवाही को कानूनी प्रिकॉशन नहीं मिलता, हाईकोर्ट अवैध करार दे सकता है। मैं मानता हूं इस प्रकार की सूरतें पैदा हो सकती हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि जमवा रामगढ़ और फागी तहसीलों के पर्टिकुलर इन्स्टान्सेज़ को सामने रखकर और उसी आधार पर इस कानून में व्यवस्था करते और संशोधन करते तो ज्यादा उचित होता।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, केवल यही मानकर नहीं चलना चाहिये कि इन दो जगहों की लगान दर को पुनर्विलोकन के लिए यह कानन लाया गया है। There are many.

श्री अध्यक्ष—आप डिटेल्स दे सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—डिटेल देना तो नामुमकिन है।

श्री भैरोंसिंह—(जारी) अध्यक्ष महोदय, एक भी नहीं। दिक्कत तो यही है, कानून तो बना रहे हैं हम सारे राजस्थान के लिये और वह सभी जगह के लिये लागू होगा। रेन्ट रेट्स इम्पोज़ किये हैं वे पर्टिकुलर सरकम्सटान्सेज के अन्दर पर्टिकुलर एरिया के अन्दर, उन्हीं रेन्ट रेट्स को कायम करना चाहते हैं या उनमें कमी बेसी करना चाहते हैं। इस प्रकार सारे राजस्थान के लिये इसमें व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। इसलिये जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया, वह अपर्याप्त है और अपूर्ण है, अन डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी के कन्वेंशन्स हैं उनको

[श्री भैरोसिंह]

खत्म करने वाला है, जिन कनवेन्शन का हम इस हाउस में निर्माण करने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधन मैंने रखा है इस क्लॉज़ में वह स्वीकार किया जावे, उससे माननीय राजस्व मन्त्री ने जो क्लॉज़ में संशोधन रखा है वह अपने आप खत्म हो जायगा।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री ने रखा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष, इस धारा के अन्दर जो संशोधन रखा गया है उसके लिये यह कहा गया है कि जमवा रामगढ में जो आजतक कार्यवाही की गई वह अगर इस बिल को पास नहीं करते हैं तो वह सारी अवैध हो जायगी इसलिये यह बिल लाया गया है। इसके अलावा और तहसीलें भी हो सकती हैं। मेरा यह निवेदन है कि जहां तक इस कानून के तहत जमवा रामगढ में कार्यवाही की गई वह इतनी अन्यायपूर्ण है कि अगर वह सारी कार्यवाही अवैध घोषित हो जायगी तो वहां की जनता के लिये यह बहुत हितकर चीज़ होगी, जैसा कि सरकार ने फरमाया कि जमवा रामगढ की रेन्ट रेट्स रिकन्सीडर की गई और इससे जनता को बहुत राहत पहुंची। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं रखी कि हमने जो राहत दी है वह कैसे दी, यह स्पष्ट रुप से नहीं कहा गया। मैं केवल इस बात का क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं। जमवा रामगढ़ की जनता को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मेरे इस विरोध को लेकर इसलिये मैं यह पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वह मेरी कोन्स्टीटयूएन्सी है, वहां के लोगों को मुगालता न दिया जाय इसलिये मैं स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझता हू। जमवा रामगढ में लगान की दरें दो तरह की कायम थीं, एक तो जागीर एरिया में और दूसरी खालसा एरिया में, जागीर एरिया में मैं आपके सामने अचरोल का उदाहरण रखूंगा जहां लगान की दरें १८ और बीस रुपया तक है दूसरी खोवा जो महाराजकुमार की जागीर थी इस जागीर की रेन्ट रेट्स बहुत हाई थीं। दूसरी ओर खालसा एरिया में ६ और दस के बीच, पर बीघा रेन्ट रेट थी। खालसा और गैर खालसा में रेन्ट रेट्स में आधे से ज्यादा फर्क था। तो ऐसी सूरत में गैरखालसा के किसानों ने एतराज पेश किया कि हम तो इतनी रेन्ट रेट्स बरदाश्त नहीं कर सकते। सरकार ने जिस दिन से सेटलमेंट हुआ उसी दिन से आज तक बीस परसेन्ट गैर खालसा से अनुपात से रेमिशन दिया,। बीस परसेन्ट ही लगान वसूल किया गया। लेकिन जब इस कानून की तहत इनके रेन्ट रेट्स को रिकन्सीडर का सवाल आया, खालसा वालों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गैर खालसा वालों की भी रेन्ट रेटस खालसा के बराबर कर दी गईं। अब क्या होता है कि खालसा और गैर खालसा दोनों ने यह आवाज उठाई कि हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि इसे रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न दिया जाय। आज की परिस्थिति को देखते हुए जमवा रामगढ़ की रेन्ट रेट्स को रिकन्सीडर किया जाना चाहिये, आज जहां ९-१० रूपया है उसकी जगह तीन या चार रूपया सरकार बांधे तो इस तहत में यदि कोई कार्यवाही करे तब तो

[श्री मानसिंह महार]

उचित कहा जा सकता है। आज के युग में अध्यक्ष महोदय, ६, १० रुपया बीघा के हिसाब से रेन्ट रेट्स कायम करना चाहें और उसको भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो यह मैं निवेदन करूंगा कि यह नाकाबिले बरदाश्त है। यह एक प्रकार से वहां के लोगों के साथ अन्याय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि इस प्रकार का क्लॉज़ लोप करने का जो संशोधन मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह बहुत ही न्यायोचित है। यह क्लॉज़ अगर लोप होता है तो मेरी कोन्स्टीटयूएन्सी के साथ जो अन्याय हुआ है वह खत्म हो जायगा। सरकार को दुबारा इस सारी बातों पर विचार करना चाहिये और चार रुपया प्रति बीघा लगान तय किया जाना चाहिये। यह तो कहीं न्यायोचित बात हो सकती है। गैर खालसा में जो लगान दरें उंची थी उनको तो आपने नीचा ला दिया लेकिन खालसा में जो ६ और १० रुपया है वह वहीं की वहीं पड़ी रहे, यह कदापि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मैं, राजस्व मंत्री ने जो अमेंन्डमेंट पेश किया है और जो जमवा रामगढ़ का नाम लिया है, इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न देकर वहां की जनता पर जो ६, १० रुपया प्रति बीघा लगान दर है उसको आप तीन चार रुपया प्रति बीघा करने का प्रयत्न करेंगे, तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी। वहां के लोगों से जो अधिक लगान लिया जाता है वह अन्याय है, अगर दूसरी तहसीलों के मुकाबले देखा जाय तो जमवा रामगढ़ में जो लगान लिया जाता है वड़ा ही अन्यायपूर्ण है। वास्तव में इतना भारी लगान का बोझ वहां की जनता पर डाल कर उनको दबाया जाता है, इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि सदन दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करे, जनता के फायदे के लिये और खास तौर से जमवा रामगढ़ की जनता को नये सिरे से लाभ पहुँचे और उनको इस ओर प्रगति करने का सुअवसर मिल सके।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आये हुये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस खंड के द्वारा यह व्यवस्था की गई है और जैसा कि अभी माननीय मंत्रीजी ने फरमाया और जो संशोधन उन्होंने रखा १ जनवरी, ५६ का जितने भी एक्शन गवर्नमेंट ने इन पांच महीनों में लिंये वे सब वेलिड समझ जायेंगे। इसमें यह तो ठीक है कि ५२ से लेकर ५६ तक के समय को एक्जेम्प्ट कर दिया। इसमें एक बात रह जाती है नये कानून बनाने से राहत भविष्य में किनको मिलने वाली है? उन राहतों से फिर भी जनता वंचित रह जायगी, जिनके वास्ते एक्शन १ जनवरी, ५६ से लगा कर आज तक पहले ले लिये गये। हम यह चाहते थे कि गवर्नमेंट सचमुच इस कानून को बना कर और किसानों को राहत पहुंचाना चाहती है; तो उन किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये बल्कि न्याय होना चाहिए। जिन किसानों के वास्ते एक्शन आज से पहले ले लिये गये उन किसानों के मामले भी दुबारा गौर किये जा सकते हैं, उनको भी इस कानून के अनुसार समानान्तर राहत मिलनी चाहिये। इस वास्ते यह आवश्यक है कि इस खंड को लोप करें ताकि सब किसानों को समान रूप से राहत मिल सके।

[रावत श्री शम्भुसिंह]

इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस खंड को लोप करदे ताकि सब किसानों को समान रूप से राहत देने में यह कानून सहायक बन सके।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, वह यह कि जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी कोन्स्टीटयूएन्सी की बहुत हमदर्दी जाहिर की और उसकी वकालात सदन में की। उनका यह कहना कि वहां की जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली यह उनके भाषण से ही कट जाती है। उन्होंने अपने भाषण में इतना तो मन्जूर किया कि जहां गेर खालसा इलाके में रेन्ट रेट्स १९,२० थी, वहां आठ और ६ कर दी गई। इतनी बात तस्लीम करते हुए भी वे यह कहते रहे कि उनकी कोन्स्टीटयूएन्सी की जनता को किसी प्रकार भी राहत नही मिली। मैं इसके ऊपर बगैर किसी कमेन्ट के सदन के सदस्यों पर ही इस बात को छोडता हूं। वास्तव में जैसा कि जमवा रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी कोन्स्टीटयूएन्सी में जहां जागीर इलाके में १९, २० रूपया लगान दरें थीं वहां आठ और ९ कर दी गईं। क्या यह वहां कि जनता को राहत नहीं है, १९ और २० की जगह ८ और ९ लगान की दर कर दी गई और इन्टेरिम रिलीफ दिया गया फिर भी यह कहना किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, उचित बात नहीं है।

इसके अलावा दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा तब मैंने उनके कथन के मुताबिक १ जनवरी, ५६ का अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया और इसी को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिये कहा। मैं उनके भाषण के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि वे कोई माकूल आर्ग्युमेन्ट नहीं दे सके, इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो कुछ इन दिनों में एक्शन लिये गये उनको लीगेलाइज़ करना प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्तव्य है और उसी के लिये यह क्लॉज़ रखा गया है।

एक तरफ तो यह कहा जाता है कि लगान की दरें कम की जांय और जब इस प्रकार का कानून लाया जाता है तो इस प्रकार की बातें कहीं जाती हैं। एक तरफ तो किसानों के साथ हमदर्दी प्रदर्शित करते हैं और दूसरी तरफ इस बारे में राजस्थान सरकार ने जो कुछ एक्शन लिये लगान की कमी के लिये उनको रेक्टीफाइ करने के लिये तैयार नहीं होते। इन दोनों में से माननीय सदस्य का क्या इन्टेन्शन रहा है, मैं कह नहीं सकता। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेंट मैने मूव किया है उसको स्वीकार किया जाय और दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री **भैरोंसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव के पक्ष में और कोई विशेष बात न कहकर माननीय मंत्रीजी ने जो दो बातें बताईं उनका उत्तर देना चाहता हूं। जहां एक तरफ लगान

[श्री भैंरू सिंह]

की कमी करने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ लगान की कमी करने की कार्यवाही हो उसको यदि कानून द्वारा वैध कराना चाहते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और उस व्यवस्था का विरोध किया जाता है। मैं उनके भाषण से समझ नहीं पाया कि मेरे संशोधन को अस्वीकार क्यों किया जा रहा है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कमी रेन्ट रेट्स की कमी करने की निश्चित रूप से कोई कार्यवाही हो और उसको करने के लिए कानूनी किसी प्रकार की अड़चनें आती हों तो उन अड़चनों को दूर करने में हम हमेशा सहयोग देने के लिये तैयार हैं। यद्यपि हमें ऐसी किसी बात का पता नहीं कि कौनसी आज्ञा दी और किस तहसील में किस प्रकार रेन्ट रेट्स कम करने की आज्ञा दी और किस तहसीलमें रेन्ट रेट्स में मोडिफिकेशन हुआ, किसमें इनहान्समेंट हुआ, वैसी सूरत में कोई कार्यवाही अगर सरकार करती है उस कार्यवाही को रेक्टीफाई करने के लिये इस प्रकार की क्लॉज़ की आवश्यकता है। सरकार अगर चाहे, अमुक आज्ञा अमुक कार्यवाह की गई उसका नकशा सदन के समक्ष लावे, जितनी भी इस सम्बन्धी जानकारी है वह सब जानकारी सदन को दें। उस सारी जानकारी के पश्चात् काश्तकारों के हित में यदि वह हुई तो मैं नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता और पहले वाले आपके काम को रेक्टीफाई नहीं करेगा। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप एक ऐसी परम्परा का निर्माण करें जिस परम्परा के कारण रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिन जिन क्लॉज़ेज़ में आये, उन क्लॉज़ेज़ों के संबन्ध में जो कुछ भी कठिनाइयां हैं उनको वे सब हमारे सामने रखकर उनकी जानकारी सदन को दें। इसलिये मैं दुबारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस क्लॉज़ के अनुसार जो कार्यवाही आप करने जा रहे हैं वह एक तरह से ब्लैंक चैक पर दस्तखत लेने जैसी है, जिस पर मन चाहा लिख दिया और हमारे दस्तखतों का फायदा उठा लिया। इसलिए इस क्लॉज़ में जो व्यवस्था की गई मैं उसका विरोध करते हुए माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि मेरा जो संशोधन इस क्लॉज में है उसे स्वीकार करें ताकि वे सारी चीजे अपने आप ठीक हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ६ के अन्तर्गत श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—अब श्री भैंरू सिंहजी का संशोधन है। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरू सिंहजी ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

श्री भैरोंसिंहजी का संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खंड ९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १०.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १० को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खंड १० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १ व प्रीएम्बल

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ व प्रीएम्बल को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड १ और इसका प्रीएम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनः प्रवर्तन) विधेयक, १९५६ पारित किया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। (श्री महार से) थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे ?

श्री मानसिंह महार—नहीं साहब, मेरा इस पर मौलिक मतभेद है।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात कह दूं। यह विधेयक सदन में तीसरी बार आ चुका है, मैंने तीनों बार की प्रोसीडिंग्ज़ देखी तो पता लगा है कि तीनों ही बार यह सर्व सम्मति से पास हुआ है। पर इस बार इसके हर रीडिंग पर विरोधी पक्ष ने विरोध किया है। यह उनका अधिकार है बहस करने का, मुझे अधिक नहीं कहना है। But sooner we transact the business, sooner we adjorn. If we go on discussing we wan't finish it early.

श्री मानसिंह महार—मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं।

श्री अध्यक्ष—इसकी आवश्यकता नहीं। मैं बहस सुन रहा हूं सब जानता हूं।

श्री मानसिंह महार—(जारी) माननीय अध्यक्ष, यह कानून सदन के अन्दर दो बार पहले भी आ चुका है।

श्री मोतीलाल—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, थर्ड रीडिंग को कल के लिए रख दिया जावे और आज दूसरा बिल ले लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्या कोई खास बात है इसमें ?

(घंटी)

श्री मानसिंह महार—यह कानून सदन के समक्ष दो बार आ चुका है और इस दर्मियान में अध्यक्ष महोदय, जो बात देखी गई और आज यह तीसरी बार जब सदन में आया तो इसका विरोध क्यों हुआ, इसके कुछ बहुत ही मौलिक कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले-पहल जब यह कानून इस सदन में आया था और हमने पारित किया था तो हम यह आशा करते थे कि जयपुर रियासत में फोर्मर जयपुर स्टेट में जो लगान की दरें बहुत ऊंची थीं उन दरों को इस कानून की तहत में सरकार बहुत जल्दी गिराकर राजस्थान के दूसरे जो भाग हैं उनकी बराबर ले आवेगी। यही वजह थी कि इसके अन्दर कुछ त्रुटियां थीं या नहीं थी, जो थीं वे थीं पर हमने इस कानून को सर्व सम्मति से बिना किसी विरोध के पास किया।

[श्री मानसिंह महार]

लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इसकी तहत में यह एक रिकार्ड करने की बात है अध्यक्ष महोदय, कि आज तक जयपुर डिविज़न की एक भी तहसील को राहत नहीं मिल सकी। यह कहा जावेगा कि जमुआ रामगढ़ को राहत मिल गई। इसका केस भी आजतक फाइनेलाइज़ नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि हमें ऐसा कानून तो जल्दी पास करना चाहिये जिससे किसानों को राहत मिलती हो। मैं यह निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से इस कानून को हम तीसरी बार भी पारित करने जा रहे हैं वह तरीका बिलकुल गलत है। मेरा इस कानून को अमल में लाने के तरीके से मौलिक मतभेद है। मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए निवेदन किया था। अभी भी अर्ज किया था जिस प्रकार से यह कानून ड्राफ्ट किया गया है इस प्रकार से इसे पास कर दिया जावेगा तो इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे किसानों को किसी प्रकार का राहत नहीं मिलने वाला है। मैं आज भी यह बात मानकर चलता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि इस कानून के तृतीय वाचन में भी अगर मन्त्रीजी थोड़ा बहुत भी वाजिब बात की ओर ध्यान दें और इसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट करें कि इस कानून की तहत में ६ महीने के अन्दर पूरी कार्यवाही हो सके तब तो किसी को कोई राहत मिल सकती है वरना वही रेडटेपिज्म है। इस कानून को दो बार पास किया है और चला आ रहा है, उसी प्रकार से चला आ रहा है। कहा यह जाता है कि हम उसको किसी प्रकार से ऐसा बनावें कि जिससे जल्दी राहत मिले। इसके लिए मैंने कल भी निवेदन किया था। मेरी राय यह है कि राजस्थान के अन्दर पहले आप दो तहसीलों को चुनिये। एक तहसील वह जिसको आप मानें कि यह सबसे ज्यादा उपजाऊ है। दूसरी वह जो सब से कम उपजाऊ हो। इस प्रकार की दो तहसीलें चुनकर पहले हम उनका लगान निश्चित कर दें। अधिक से अधिक लगान उसमें क्या रखा जावे और कम से कम क्या रखा जावे। लोएस्ट जो रखा जावे यह दो आना तीन आना या एक आना रखा जावे। ये दोनों लिमिट्स सीलिंग्स तै हो जावेंगे, फिर जो बाकी की तहसीलें हैं उनको उसी माफिक एडजस्ट करें तब तो कुछ राहत मिल सकती है, वरना किसी को कभी कोई राहत नहीं मिल सकती। राजस्थान वह प्रान्त है जहां आज भी २५ रु० ३०) बीघा का लगान मौजूद है। एक तरफ सरकार कानून बनाती है कि छुटा बांटा लिया जावेगा और दूसरी तरफ जब सेटलमेंट में रेटें फिक्स की जाती हैं तो वहां पर ३०), २०) बीघा की रेन्ट फिक्स की जाती है। इस तरह से ३०) रुपया बीघा तो चाही का है बारानी को देखेंगे तो शेखावाटी में ६ रुपया तीन आना बीघा या ६ रुपया तीन आना एकड़ के हिसाब से रेंट रेट है जो कि हिन्दुस्तान के किसी भाग में नहीं है। तो हमको यह एक मौलिक सिद्धान्त तै करना है कि हम कम से कम और अधिक से अधिक कितना लगान रखेंगे। आज तो मतभेद इस बात पर है कि अधिक से अधिक लगान कितना लगावें, जमुआ रामगढ़ के किस स्थान पर अधिक से अधिक लगावें। इसके लिए कहा गया कि एक रुपया पांच आने की रेट से बढ़ाकर नौ नौ रुपया कर दिया गया। और क्या राहत चाहते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, यह तो मौलिक कारण है जिसके लिए निवेदन करना पड़ता है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जमुआ रामगढ़ वह तहसील है वहां पर चार रुपया बीघा से अधिक लगान हरगिज नहीं होना चाहिये। यह बैकवर्ड तहसील है और वहां पर नौ रुपया रखा

[श्रीमानसिंह महार]

जाता है और यह कहा जाता है कि हमने किसानों को राहत पहुंचाई है। यह बात अन्यायपूर्ण है। कोई प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई है। वह भी राहत नौ रुपये की तब की जब कि उन किसानों ने आजतक १६ बीस बीघा का लगान नहीं दिया। तब उनके आंसू पूंछने के लिए, धोखा देने के लिए ९) बीघा करके यह कहा गया है कि खालसा और गैर खालसा को बराबर ले आये। बराबर ले आये यह तो उचित है, पर इस पर भी जो लगान रखा है वह कानून के माफिक है यह भी देखने की बात है। तो इसके लिए निवेदन कर रहा था कि हमें जो सबसे बड़ी बात जो पुनरावलोकन में करनी चाहिये वह यह है कि हम अधिक से अधिक फी बीघा पर कितना लगान दें। तो अधिकतम और न्यूनतम सीमा जब तक निर्धारित नहीं होती है तब तक यह कानून किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। मेरी यह निश्चित भावना है कि लगान का सीलिंग मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान में कोमलगढ़ ऐसी तहसील है जहां पर २० मन पक्का फी बीघा पर गेहूँ पैदा होता है और उसी जमीन में २० मन पक्का मक्का पैदा होती है तो इस प्रकार से एक साल में वहां पर ४० मन पक्का अनाज पैदा होता है। तो इस प्रकार से एक साल में ४० मन पक्का अनाज पैदा होता है। जहां तक मेरी इन्फोरमेशन है तो मंत्रीजी उसे करेक्ट कर देंगे, लेकिन यह निश्चित बात है कि इधर जमुआ रामगढ़ में जहां कि एक फसल पैदा होती है दो फसलों के पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक फसल में बाजरा मन, डेढ़ मन पैदा होता है एक बीघे में। जौ और गेहूँ अधिक से अधिक २, ३ मन के होती है वह भी कुए के पानी से। कुओं में भी पानी नहीं है। वे भी सूखे पड़े हुए हैं। इसकी भी जांच हो सकती है। यह होने के बाद भी आज जमुआ रामगढ़ में रेन्ट रेट्स रिव्यू करने के बाद ६ रुपये रखकर यह फरमाया जा रहा है कि न्याय किया है। ६ रुपये बीघा कर दिया है १८ रुपये बीघे का यह कहां का न्याय है। राजस्थान में लगान की दरें पूरे प्रान्त में एक सी होनी चाहिये। अभी मौका यह आज आया है। आज मौका पहले वाला नहीं है। लगान की दरों में थोड़ी बहुत कमी की थी। उस से गांव वालों ने समझ लिया था कि वाजिब बात है। आज जो प्रगति चल रही है उसको देखना पड़ेगा। आज इस प्रकार से है कि रेन्ट रेट्स में काश्तकारों के साथ अन्याय होगा तो उसका नतीजा यह होगा कि जिस प्रकार से जमुवा रामगढ़ के काश्तकारों ने लगान देना बन्द कर रखा है उसी तरह से और जगह भी नो रेन्ट केम्पेन चलेंगे और सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस सूरत में मेरी यह प्रार्थना थी कि आज पुनर्विलोकन का जो कानून है उसमें सरकार को बहुत सूझ बूझ से काम लेना चाहिऐ। सरकार को सोच समझ कर सीलिंग मुकर्रर करनी चाहिए। फिर सीलिंग से जिन तहसीलों में जिस प्रकार की पैदावार हो उसके मुआफिक लेना चाहिए और इस प्रकार से प्रत्येक तहसील को किस रेन्ट रेट्स के अन्दर लिया जाय एक इस प्रकार का नक्शा तैयार होता, अध्यक्ष महोदय, और वह होने के बाद वर्तमान सेटिलमेंट में उनके जो रेट्स लग रहे हैं उन रेट्स को और उस नक्शे के मुताबिक जो

[श्री मानसिंह महार]

नक्शे में रेट्स हैं उनको और उन रेट्स का दोनों का कम्पेरिजन होना चाहिए। वह कम्पेरिज़न होने के बाद जो फर्क उसमें मालूम होता है, अध्यक्ष महोदय, उस फर्क को रिएडजस्ट इसके तहत में किया जाता है तो वह न्यायोचित होता है। लेकिन यह नहीं किया जाकर, अध्यक्ष महोदय, अन्याय क्या हो रहा है कि जहां पूरे ऊंचे रेट्स लगे हुए हैं वहां पर सरकार ५० पर्सेन्ट रिडक्शन कर देती है तो फर्क समझ लेते हैं। हमने तो अपनी समझ से लगा दिया। २० रुपये से १० रु० कर दिया। इससे अधिक क्या चाहते हो ? हमारी मांग यह है कि जहां दो रुपये से डेढ़ रुपया कर दिया है तो जहां आलरेडी इतना डाउन है वहां आठ आने से भी बड़ी भारी राहत पहुंच जाती है, लेकिन २० रुपये वाले को जब तक ४ रुपये नहीं करें तब तक राहत कैसे मिले ? आज वास्तविक स्थिति, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की है। तो हमको यह देखना है कि रेन्ट रेट्स रिव्यू और वेलिडिटेशन के लिए कानून बना रहे हैं वह कानून महज इसलिए नहीं बना रहे हैं परन्तु इसलिए बना रहे हैं कि काश्तकारों को सही तरीके से राहत पहुंचाई जाय और सही तरीके से राहत पहुंचाने के लिए जनरल रिव्यू नहीं किया जायगा तब तक कोई राहत नहीं पहुंचेगी। अध्यक्ष महोदय, इस जनरल रिव्यू से एक फ़ायदा और होने वाला है। वह फायदा क्या होने वाला है कि उदयपुर और कोटा डिविजन में जो सेटिलमेंट रेट्स रखे गये हैं वे बहुत ही न्यायोचित रेट्स हैं। मैं वे रेट्स नीचे हैं यह नहीं निवेदन कर रहा हूँ...

श्री अध्यक्ष—वह किस कानून के तहत में हैं ? उदयपुर में किये गये हैं, वे इसी कानून के तहत में किये गये हैं।

श्री मानसिंह महार—वे पहले से ही सेटिलमेन्ट रेट्स हैं। कोटा में २) ३) रु० बीघा है।

श्री अध्यक्ष—वह इस कानून को नहीं पास करने से कैसे हो सकते हैं ? जो २० रुपये से ६ रुपये बतलाये है अगर यह कानून नहीं पास हो तो क्या वह गवर्नमेंट कर सकती है ? I want to ask because there is a scope prescribed for the debate.

श्री मानसिंह महार—मैं बिल्कुल वही अर्ज कर रहा हूं। सरकार के वे रेट्स हैं। अगर इस कानून को पास नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से मैं निवेदन कर रहा हूं उस प्रकार से तो उसमें यह डिफिकल्टी आ जाती है कि सरकार उसका यह समझ लेती है कि ५० पर्सेन्ट कर रहे हैं तो वह बहुत अधिक हो जाता है। तो एक स्केल जब तक सरकार मुकर्रर नहीं करेगी मैं बिल्कुल आपसे अर्ज करूंगा कि पहले जैसा फरमाया गया है उसे...

श्री अध्यक्ष—I wanted that the discussion on the third stage of the bill is limited to certain principles, and it is nice if the arguments are given whether the bill be passed or rejected; a particular clause of the bill or particular incident cannot be referred to. Either the member will have to say and lay down certain grounds that this bill should be passed or that this should be rejected. ? If the member goes to the details for his constituency or for a particular tehsil, that will not be permitted.

मैं हिन्दी में स्पष्ट कर दूं क्योंकि मुक्तिलालजी भी बोलना चाहेंगे। वह यह है कि केवल वे ही तर्क दिये जा सकते हैं कि जिन तर्कों के आधार पर या तो यह बिल पास किया जा सकता हो या इसको खारिज किया जा सकता हो। यह एक प्रस्ताव नहीं हो सकता है, यह बिल है। आप गवर्नमेंट का साथ देना भी नहीं चाहते हैं तो फिर यह २० रुपये के बजाय १० रुपये इस, बिल को पास नहीं करते, तो हो ही कैसे सकेंगे ? यह दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो वाजिब समझती है वह आपकी समझ में वाजिब नहीं है। बाकी बहस वगैरह जो करें वह उसके ऊपर कहें न कि केवल आपकी कॉन्स्टीटुएन्सी के बारे में।

श्री मानसिंह महार—यह बिल मेरी कन्स्टीटुएन्सी से ताल्लुक नही रखता है। मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जिस प्रकार से ड्राफ्टेड है उस प्रकार से बिल्कुल ही बेकार है और सदन को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। यह मेरा स्पष्ट मत है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर यह आज तक जो कुछ रेन्ट रेट्स रखे हैं, जो कुछ यह बिल है, यह बिल जिस प्रकार से मौजूदा स्थिति में ड्राफ्टेड है यह कम्प्लीट फेल्योर साबित होगा।

श्री अध्यक्ष—वह स्टेज की गई। That was the second stage. The discussion on the principles was the first stage. The ... ing stage was the second one, and now if there are any arguments for not passing the bill these can be advanced.

श्री मानसिंह महार—वह मैं एडवान्स कर रहा हूँ। इस कानून में जो रेन्ट रेटस रिव्यू करने की बात है वह बिल्कुल ही गलत है। रेन्ट रेट्स रिव्यू केवल एक ही तरीके से हो सकतीं थीं कि हाईएस्ट लिमिट ले लेते और लोएस्ट लिमिट ले लेते और उसके बाद में बाकी की तहसीलों को एडजस्ट किया जाता तो बीच की तहसील वालों को राहत पहुंच सकती थी। सरकार ने यह बात बिल्कुल नहीं की।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह रिपीटिशन हो रहा है। सभी आरग्युमेंट्स पहले कहे जा चुके हैं। यह उन्हीं को रिपीट कर रहें हैं, only to take the time.

श्री अध्यक्ष—आप कहिये कितना टाइम और लेंगे ?

श्री मानसिंह महार—मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था, अपना एक प्वाइन्ट या उसको इल्यूसिडेट कर रहा था कि यह हाईएस्ट और लोएस्ट वाली बात क्यों ली जाती। इसलिए ली जाती कि हाईएस्ट और लोएस्ट को फिक्स करने के लिए कोटा और उदयपुर डिविजन में जो रेन्ट रेट्स हैं वह कन्सीडिरेशन में आते, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविजन में कोमलगढ़ एक तहसील है जिसकी पैदावार को यदि हम देखते हैं तो कोमलगढ़ राजस्थान में फर्स्ट है। कोमलगढ़ की जब पैदावार के हिसाब से वह आता तो १० रुपये बीघे का रेन्ट लगता है और उसी मुताबिक कन्सीडर किया जाता। २, ३ रुपये कोटा डिविजन के हिसाब से वह ३, ४ रु० बीघे आता और वह एडजस्ट होता और लोएस्ट चूरू का लेंगे कि जहां २ आने बीघा है। इसके बाद में इन रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है तो जमुआ रामगढ़ में २ या २॥ रुपये फी बीघा का होता और उस मुताबिक अगर रेन्ट रिवाइज़ किये जाते तो काश्तकारों को राहत पहुंचती, अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को काफी लाभ मिलता, लेकिन उस तरीके को नहीं करके सरकार ने इस कानून के अन्दर एडहॉक रिवाइज्ड सेटिलमेंट के अनुसार देखें, स्वाइल क्लासिफिकेशन के अनुसार देखेंगे, और कन्डीशन्स को देखेंगे, यह देखेंगे वह देखेंगे, दिया है, तो वह देखने से लाभ क्या हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि आज सेटिलमेंट के रेट्स रिव्यू का प्रश्न है वह सिर्फ रेन्ट्स रेट्स कितनी हो, उस जमीन की पैदावार कितनी है, इस पर निर्भर नहीं करता है। मुझे इस बात से मतभेद है कि जो सेटिलमेंट के रेट्स के रिव्यू का प्रश्न है वह इस तरह से भी देखना है कि जयपुर रियासत में सेटिलमेंट किस तरीके से हुआ था? जोधपुर में किस प्वाइन्ट को लेकर, उदयपुर में किस प्वाइन्ट को लेकर हुआ और कोटा में किस प्वाइन्ट को लेकर हुआ। कोटा में रेन्ट रेट्स लो हैं, उदयपुर में लो हैं तो फिर जयपुर और जोधपुर.....

(कुछ अनौपचारिक चर्चा के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—Carry on please

श्री मानसिंह महार—तो जयपुर और जोधपुर को भी नीचे गिराना चाहिये। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से यह कानून सदन में प्रस्तुत हुआ है वह अनुपयुक्त है। इस कानून को पास करने से किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आप अगर ९, १० रुपये बीघे के हिसाब से लगान रख सकते हैं तो फिर वह कानून कानून नहीं है। एक जमाना वह आयगा कि दो तीन रुपये बीघे से ज्यादा काश्तकार कभी लगान नहीं देगा। मैं यह कहता हूं कि हाईएस्ट दो तीन रुपया बीघा लगान सरकार वसूल करना चाहेगी तो कर सकेगी, वरना सरकार को लगान नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस कानून को सदन को पास नहीं करना चाहिए और इसको ठुकरा देना चाहिए और मन्त्री जी को बाध्य करना चाहिए कि लगान की मॅक्सिमम लिमिट दो तीन रुपया ही रखी जाय। यह मेरा निश्चित मत है अध्यक्ष महोदय।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—दो तीन रुपया बीघा, इससे नीचे और ऊंचे हो सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, यह कानून हाउस में पहले दो दफा आया और उस कानून के द्वारा आज हम लोग सोचते थे कि इस कानून को असेम्बली में लाने के बावजूद मैं इस कानून का विरोध करता हूं। साहब, फिर आप टोकेंगे। इस कानून से लोगों को, किसानों को राहत मिलेगी। तो माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये यह बताना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की अलग २ स्टेट्स में जो सर्किल रेट्स थे और जागीरदारों के इलाकों में जिस तरह के सर्किल रेट्स थे वे, इस असेम्बली में कानून दो दफा पास करने के बावजूद भी, रेट्स उसी तरह से बनी हुई हैं और एक ही तहसील में चार तरह के रेट्स हैं। आज की रेट्स क्या हैं? आज से पांच वर्ष पहले जिस तरह से पर्चे बांटे गये थे और सेटलमेंट हुआ था वहां जागीरदारों की ओर से आधा बांटा लिया जाता था, उसके हिसाब से रेट्स तय की गई थीं, वे ही रेट्स आज हमारी कई तहसीलों में लागू हैं और खालसाई इलाकों में भी वे ही रेट्स हैं जो दस वर्ष पहले पर्चे बांटे गये थे। उन रेट्स के अलावा भी रेट्स को बढ़ा कर खालसे के इलाकों में पर्चे बांटे गये थे। ऐसे कानून की आवश्यकता क्या है जब उसके दो दफा असेम्बली से पास होने पर भी किसानों को कोई राहत नहीं मिली? ऐसे कानून को तीसरी दफा हाउस में लाकर यह बतावें कि ऐसे कानून को हाउस में लाकर अमल करना चाहते हैं तो मैं माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये बताना चाहता हूँ कि कुछ तहसीलों में तो ऐसी चीजें हो जावेंगी लेकिन अगर राजस्थान के अन्दर सारी तहसीलों में और जिलों में यह चीज सरकार करे तो जनता को इससे बड़ी सुविधा होगी। परन्तु मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि यह राजस्थान सरकार सारे राजस्थान के लिए किसी तरह की रेट्स फिक्स नहीं कर सकती है और इस कानून में यह होना चाहिए कि आज चाही की रेटस जहां दो फसलें हों उसकी क्या रेट होगी, और जहां बंजर भूमि है उसकी ये रेटेस होंगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कानून हाउस में पास करें तो उससे जनता को सुविधा हो सकती थी लेकिन ये जो गोलमाल बातें रखी हैं, दो दफा पहले पास करा लिया और फिर तीसरी दफा पास करा रहे हैं तो इसको इस तरह से हाउस से पास कराके जनता को असुविधा में डालना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे कानून को पास करके जनता को यह कह देना हमने यह पास करा दिया है, हाउस के आपके मेम्बरों ने इसको पास कर दिया है यदि यह आप हम लोग करेंगे तो वह उचित नहीं है। मैं आपके जरिये बताऊं कि हमारे बैराठ तहसील में चार तरह की रेटस हैं।

(घंटी)

उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप हुक्म दे दें तो नहीं बताऊं।

(विराम)

तो उदाहरण के तौर मैं बताऊं कि बैराठ तहसील में चार तरह की रेटस है और कुछ खालसाई इलाकों में १६) की रेट है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां चार रुपया है, वहां भी एक

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

ही फसल होती है और दूसरी जगह भी वैसी ही एक फसल होती है और कुछ जगहों में ठिकानेदार आधा बांट लेते हैं, उस आधा बांटा के हिसाब से लगान तय किया था, सेटलमेंट हुआ, पर्चे बांटे गये, तो माननीय मन्त्री जी, जब इस तरह का प्रश्न आता है, मुझे इस तरह की चीजें बतायी सेटलमेंट ऑफिसर ने, बीस साल पहले या दस साल पहले जो सेटलमेंट किया था, उस वक्त जागीरदार लगान लेते थे, या रेट्स तय की वे ही पर्चे में लगा करेंगी, यह कहां का न्याय है? जागीरें खत्म हो गईं। आज राजस्थान की सरकार कानून बनाने जा रही है, उन रेट्स के बारे में पर्चे बंटे और फिर उसी तरह से लगान वसूल करे तो फिर राजस्थान बनने और न बनने का कोई फायदा नहीं, यदि उन बैराठ तहसील के किसानों के लिए नहीं करते हैं तो। राजस्थान के जागीरदार पहले वे थे और अब राजस्थान के चुने हुए नुमाइन्दे जागीरदार हो गये। उनको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है।

तो इस तरह से अलग २ तहसीलों में, डिस्ट्रिक्टस में लगान की दरें हैं और जैसा मैंने अर्ज किया कि दो फसलें होती हैं वहां अलग दरें होती हैं, जमीन में एक फसल काश्त होती है, जहां एक काश्त ही नहीं होती वहां अलग रेट्स हैं, बंजर जमीन पड़ी हुई है, दो तीन किस्म को उसमें हैं, अलग अलग रेटस हैं और जब तक सारे राजस्थान के लिए दरें फिक्स नहीं होंगी तो मैं इस कानून के अन्दर आपके जरिये माननीय अध्यक्ष, बता देना चाहता हूं कि जिन तहसील में दबाव है, प्रभाव है, वहां पर रेट्स जरूर कम हो जावेंगी लेकिन जिन तहसीलों में प्रभाव नहीं है, पहले भी असेम्बली से पास शुदा कानून पड़ा हुआ है, मैं आपके जरिये बता देना चाहता हूं कि इन तहसीलों में वैसी की वैसी ही रेटस रहेंगी जैसी कि भोमियों और जागीरदारों ने लगान लिया था वे ही रेटस हैं। जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट पास हो गया, टिनेन्सी एक्ट पास हो गया और भी कई हो जावेंगे। अगर मैं हाउस को गलत बता रहा हूं तो माननीय मंत्रीजी बतावे कि गलत बोल रहा हूं, मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं बता रहा हूं कि इस कानून को पास करने से और पहले दो दफा पास करने से इस तरह हाउस का समय खराब करने से क्या फायदा है? (घंटी) इतनी रेट्स कम की, इतनी सुविधा जनता को मिलीं, यह बतावे तब तो यह कानून पास करना चाहिए। इसलिए यह जो कानून पास हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं कि पहले भी दो दफा पास हुआ, किन्तु उसको अमल में नहीं लाया गया। उसमें से कितना फायदा हुआ वैसा कानून आना चाहिए नहीं तो वह कानून हाउस के सामने नहीं आना चाहिए।

श्री शंभुसिंह—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—There is an exception for Muktilalji but other members should confine to the scope."

श्री शंभुसिंह—राजस्थान लगान दर पुर्विलोकन तथा वैधकरण बिल पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—फर्स्ट रीडिंग पर भी तो बोले थे। Not less than fifteen members have spoken in the discussion on principles of the Bill.

श्री शंभुसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें लगान दर को तरमीम करने की व्यवस्था जैसी बात कही गई है, मगर जो मौजूदा सेटलमेन्ट ओपरेशन्स होते हैं उन ओपरेशन्स के दोष की वजह से इस प्रकार की आवश्यकता कैसे आती है। उन सैटलमेन्ट ओपरेशन्स के दोष को मिटाने के वास्ते तो इस कानून में कोई व्यवस्था दिखाई देती है नहीं और जब तक इस प्रकार के ओपरेशन्स में जो दोष है उसको नहीं मिटा दिया जायगा तब तक इस प्रकार के कानून से किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो प्रचलित रियासतों के विभिन्न कानून हैं उनको सदन ने मोडिफाइ करने की व्यवस्था की है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस कानून को लागू करके सरकार क्या मंशा पूरी करना चाहती है और इस प्रकार का कानून हम सदन में पास कर चुके हैं लेकिन हम देखते हैं कि उस कानून से आज तक किसी प्रकार की राहत किसानों को नहीं मिल पाई है, तो फिर इस कानून को और पास करके, इस कानून को रिवाइव करके हम क्या करने जा रहे हैं, यह समझ में नहीं आया। इस वास्ते जो एग्ज़िस्टिंग एक्ट हैं रियासतों के जब तक रिवेन्यू एक्ट की कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक उसको तहत जो राहत मिल सकती है, उन्हीं को काम में लाना ज्यादा मुनासिब होगा। इस कानून में रेंट रेट्स को रीकंसीडर करने के लिये दो तीन बातें कही गई हैं। लेकिन बहुत सी बातें छूट गई हैं। एक अहम बात यह छूट गई है। इसमें मीन्स ओफ इर्रिगेशन को मद्दे नजर रखकर कन्सीडरेशन करने की कोई बात नहीं आई है। और भी कई बातें हैं जो एगजिस्टिंग ला में प्रोवाइड की गई हैं लेकिन इस में छूट गई हैं और कुछ छुट पुट बातों को लिया गया है और इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। लेकिन जिन किसानों को किसी प्रकार ओब्जेक्शन है उनको ठीक करने का कोई उपाय नहीं हैं। अब उन ओब्जेक्शन के मुताबिक इस कानून में कोई राहत मिलनेवाली नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यह होगा कि अब तक जिन किसानों को हानि पहुंची है उसको रेक्टिफाई नहीं करने जा रहे हैं और बिल में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाकर यह घोषणा करना चाहते हैं कि जिन को हानि पहुंची हैं उनको दुरुस्त नहीं किया जायगा और भविष्य में भी कुछ राहत देना नहीं चाहते। पहले जो गलतियें हो गई हैं वे उसी चलती रहेंगी और भविष्य में भी उनको किसी प्रकार की राहत नहीं पहुंचाई जायगी। इस प्रकार का दोषपूर्ण कानून पास करके सही तौर से किसानों को राहत नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं इस कानून को अनावश्यक समझता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का प्रश्न है, स्टेटमेंट ओफ ओब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में बहुत स्पष्ट है उसके बाद बहुत ज्यादा तर्क की गुंजायश नहीं रहती।

[श्री श्रीदास गोयल]

इस बिल के समानान्तर एक बिल पेश हुआ और पास हुआ और क्योंकि उसकी मयाद खत्म होगई और यह जरूरी हुआ कि कुछ आवश्यक ओर्डर सरकार जारी करें। इस दृष्टि से आना था और आया है। इसमें कानूनी बात करने के लिये कुछ एक्ट होना चाहिये था जिससे कि बल और सपोर्ट मिलता हो। जैसा कि इसमें आया है बल और सपोर्ट पहुँचाने के लिये यह आया है। लैंड रेवेन्यू बिल इस हाउस में पास हुआ। वह अब तक एन्फोर्स नहीं हो पाया हालांकि उसमें सेटिलमेंट वगैरा को प्रोविजन रखा है और इसमें भी प्रोविजन रखा है, उसको मुला हजा किया गया तो भूतपूर्व जयपुर रियासत और दूसरी रियासतों में टिनेन्सी एक्ट वगैरा थे उनके अंतर्गत जो सेटिलमेंट ओपरेशन्स की कार्यवाही होती थी उनको यहां रेफर किया है। यह परिस्थिति कि सेटिलमेंट ओपरेशन्स राजस्थान में हो चुका औरहोरहा है, जहां नयाओपरेशन होता है वहां नेग्लीजेन्स और जल्दबाजी के कारण कुछ खामियें रह जाती हैं, सही तरीके से रेन्ट फिक्स नहीं हो पाता और बादमें मुश्किलात सामने आती हैं। सरकार के सामने जब यह बातें दोहराई जाती हैं तोउसके बाबत प्रोविजन लॉ में रखा है। जिस एरिया में सेटिलमेंन्ट ओपरेशन्स खत्म नहीं हुए है वहां ऐसी कोई बात आवे तो सेटिलमेंट ओफिसर, असिस्टेन्ट सेटिलमेंट ओफिसर्स, जो रिव्यू ओफिसर्स हैं उनको रिव्यू करने का अधिकार दिया है। लेकिन वह अधिकार फाइनली डिस्पोज़ल का नहीं है। बल्कि जो रिव्यूइंग ओथोरिटी है वह अपने दृष्टिकोण के माफिक रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ओफ रेवेन्यू जो जुडिशियल के माफक ही एक बोर्ड है, उसके पास भेज दें और वे उसको देख कर निर्णय करें कि वाकई जो रिव्यूइंग ओफिसर्स ने राय दी है वह वाजिब या दुरुस्त है या नहीं। यदि वे इस बात को पायेंगे कि उनकी राय दुरुस्त है तो उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के पास फोर्वर्ड करेंगे और गवर्नमेंट द्वारा फाइनल निश्चय ले लिया जायगा।

मेरा इतना निवेदन यह है कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड ओर्डिनेन्स एंड फंकसन्स एक्ट में यह गुंजाइश रखी है कि बोर्ड ओफ रेवेन्यू को हाई कोर्ट के जैसा स्टेटस देते हैं रेवेन्यू मेटर्स में वो रेंट रेट के लिये इसको अंतिम सीढ़ी माना था लेकिन यहां गवर्नमेंट को अंतिम माना है। मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जो एडिशन एण्ड ऑल्टरेशन का अधिकार गवर्नमेंट को दिया है वह शायद इस विचारसे दिया है,कि गवर्नमेंट को अंत तक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और यह देखना पड़ता है कि कितना रेंट है, कैसा हो, और उसको बजट का संतुलन भी बैठाना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहां ऐसी जरूरत ही होती है। लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि बोर्ड ओफ रेवेन्यू को आधारशिला मान कर निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि इसी तरह की परंपरा डाली गई तो यह बिल स्वागत योग्य है और बिल्कुल ठीक है।

बहुतसी जगह गड़बड़ियें हुई हैं। मेरे नोटिस में भी हैं कि पुरानी जयपुर रियासत के इलाके में सात सात हजार रुपये लगान के लगाये जहां चार चार हजार लगते थे और उन्हीं जगहों के लिये सेटिलमेंट ओफिसर्स ने बाद में चार चार हजार रुपये तय किये और रेवेन्यू बोर्ड की मुहर लगाई। इस तरह की कई असमानताएं हैं जिनको दूर करने के लिये इसका स्वागत करना चाहिये।

[श्री श्रीदास गोयल]

एक बात जरूर है कि कोई कानून कितना ही अच्छा है, उपयोगी है लेकिन उसका उपयोग यदि ठीक ढ़ंग से नहीं होता, सात्विकता को छोड़ कर राजसी और तामसी प्रवृत्तियों की तरफ चले जाते है तो वह एक्ट हानिकारक हो जाता है। मैं यह कहूंगा कि जहां एक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी मूल भावना का ख्याल करते हुए उसका दुरुपयोग नहीं हुआ और उसके अनुसार चला गया तो उसका फायदा किसानों को और सरकार को अवश्य होगा।

एक बात हमारे सामने है और वह है आमेर की। वहां पर एक खेत में लगान के ७ रु. फी बीघा के हिसाब से वसूल किये जाते हैं और उसी के पास से दूसरे खेत से १० रु० फी बीघा वसूल किया जाता है। और भी कई जगह इस तरह की चीज चल रही है। मेरे जिले में भी इसी तरह की असमानताचली आ रही है। यदि इस कानून का उपयोग सही ढंग से होकर समाजवादी ढांचे की ओर आगे बढ़कर असमानता को दूर करना चाहेंगे तो यह इसमें सहयोगी सिद्ध होगा। यदि इस तरह की चीज है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिये और मैं इसके पक्ष में विचार रखता हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान रिव्यू एण्ड वेलिडेशन ऑफ रेन्ट रेट्स बिल, १९५६ के तृतीय वाचन के सिलसिले में, मैं भी सदन के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

कल भी सदन के अन्दर इस बात पर काफी चर्चा हुई और मैंने यह उम्मीद की थी कि कल शाम को जो मीटिंग होने वाली थी, उसमें इस बिल पर विचार करके आवश्यक सुधार कर दिये जावेंगे पर आज वह उसी रूप में हमारे सामने लाया गया है.......

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के तृतीय वाचन के समय अभी जो भाषण हो रहे हैं, वे उसी प्रकार के भाषण हो रहे हैं जैसे कि इस बिल के प्रथम वाचन के समय हुए थे। इस बिल के थर्ड रीडिंग के समय भी उन्हीं बातों को रिपीट किया जा रहा रहा है जो पहले कही गई हैं।

श्री अध्यक्ष—I am very much pained to hear all this. But I am afraid, I may not be accused of cutting short the debate. The hon'ble members should themselves realize the responsibility of best utilizing the valuable time of the House. As I had already remarked this bill has passed three stages in the House and not one We are taking so much time in the third reading of the Bill and it is the responsibility of the hon'ble members. On the arguments which are now being advanced, I have already opined. So those hon'ble members who do not want to hear the mebers, can hoot them down.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग जो कुछ कह रहे हैं कि वह प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है, यह निर्णय करने का अधिकार आपको है न कि किसी और को....

श्री अध्यक्ष—In spite of my observations if the members go on, what can I do except to seek the protection of the House that it should hoot down the members.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—हमने उम्मीद की थी कि इसमें सुधार होगा, पर आज मुझे इसमें कोई सुधार नजर नहीं आता, यह बिल उसी रूप सदन के समक्ष है। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान कुछ क्लॉज़ों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने कल जो कहा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और जो कुछ खास मुद्दे हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे जो सैद्धान्तिक एतराज हैं उनको ही मैं रखूंगा। मेरा सबसे बड़ा एतराज यह है कि इस बिल में रेवेन्यु बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं वे अधिकार कुछ नहीं हैं। इस बिल के द्वारा रेवेन्यु बोर्ड की पोजिशन ऐसी बना दी है कि जिससे वह सिर्फ एक एडवाइजरी बोडी बना दी गई है। अगर रेन्ट रेन्ट्स का रिव्यू करका चाहते हैं तो इसका निर्णय रेवेन्यु बोर्ड से कराना चाहिये। सैद्धान्तिक रूप से रेवेन्यु बोर्ड ही इस मामले में सबसे ज्यादा सिद्धता और अधिकार रखता है अत: रेन्ट रेट्स के रिव्यू का काम सरकार अपने ऊपर न लेकर रेवेन्यु बोर्ड के ऊपर छोड़ देती तो ज्यादा अच्छा होता। इस बिल के अन्दर जो क्लॉज़ ७ है उसकी ओर मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं: "The Board shall, after causing such further inquiries, if any, to be held by the reviewing officer as........"

श्री अध्यक्ष—This is not relevant. The scope has been defined in Rule 147:—"The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. In making this speech a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं जो आर्ग्युमेन्ट्स पेश कर रहा हूं वह इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि इसमें सुधार हो जाय...। तो मैं यह कह रहा था कि इस बिल में रेवेन्यु बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और यह कहूंगा कि न तो रेवेन्यु बोर्ड के साथ न्याय किया गया है और न जनता के साथ न्याय किया गया है। अगर आप यह चाहते हैं कि जनता के साथ न्याय किया जाय तो रेवेन्यु बोर्ड को रेंट रेट्स रिव्यु करने के अन्तिम अधिकार दे देने चाहिये। इन पावर्स को स्टेट गवर्नमेन्ट अपने पास रखती है तो इनका दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम मन्त्री महोदय को यह तो करना चाहिये कि रेवेन्यु बोर्ड को ये इस मामले में Final Authority दे दें।

Page No.79

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

दूसरी बात यह है कि रिव्यूइंग ऑफीसर काम करने के लिए प्रणाली अख्त्यार करेंगे, इसको भी मैंने देखा है, इसमें खास डिफेक्ट यह है कि रिव्यूइंग ऑफीसर अपने प्रोपोजल्स पेश करता है, उनमें किसी को एतराज हो तो एतराज पेश करने के लिए सिर्फ तीस दिन की मयाद रखी है जो बिल्कुल कम है। एतराज करने की यह जो मयाद रखी है, वह अपर्याप्त है, इसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अगर इसको नहीं बढ़ाया गया तो इसका बहुत बुरा प्रभाव गरीब ग्रामीणों पर पड़ेगा।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि क्लॉज़ ८ को लागू करने से एक कठिनाई उत्पन्न हो जायगी और इस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष— Again the clauses are coming in.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह कह रहा था....

श्री अध्यक्ष—As a matter of fact there is nothing to say more than what has been said already and the hon'ble members should desist from referring to the clauses over and over again.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और इसलिये कर रहा हूं कि इसमें सुधार हो, मैं दो मिनिट और बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—All right. बोलने के लिए ही समय दिया है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्लॉज़ ८ में कहा गया है कि रेन्ट रेट्स के बारे में जब निर्णय हो जायगा तो रेंट रेट्स उस दिन से फोर्स में आयेंगी जिस दिन से गवर्नमेन्ट इसे लागू करने के लिये एलान करेगी। मान लीजिये पुराने Rent rates पहले १ जनवरी, १९५३ से लागू थे और अब नये रेंट रेट्स Review के बाद गवर्नमेंट १ जनवरी, १९५३ से ही लागू करना चाहती है तो इसमें कठिनाई यह होगी कि जो लगान पुराने Rent rats के आधार पर वसूल हुआ है, उसमें से सरकार या Landlord को देना पड़ेगा। इसलिये क्लॉज़ ८ में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस दिन से नये Rent rates गजट में शाया किये जायेंगे उसी दिन से नये रेंट रेट्स लागू होंगे।

बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री द्वारकादास पुरोहित—मानकीय अध्यक्ष, इस बिल के थर्ड रीडिंग के अवसर पर मैं नहीं समझता कि अपोज़िशन की तरफ से कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किये कि इसको पास नहीं किया जाय, यह किस बिना पर है। राजस्थान प्रदेश में सदियों से पीड़ित हमारे यहां का काश्तकार जो फ्यूडल सिस्टम, जागीरी प्रथा से पीड़ित रहा है और जिसको ऐसा आज अगर हम रखें कि यह पोपुलेराइज्ड पीज़न है, उस टिनेन्ट को राहत देने के लिए जो हमारे यहां पर रिफोर्म हुए हैं उनको देखने से मालूम होता है कि काश्तकारों को राहत दिलाने के लिए ही सब किये गये हैं। जागीर रिजम्प्शन एक्ट और टिनेन्सी एक्ट सब उनको राहत दिलाने के लिये ही पास किये गये और इनसे उनको राहत मिल सके उसी तरह के लेजिसलेशन पास करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि उन्होंने किस भावना से इसका विरोध किया है। उस समय जब हमारे यहां टिनेन्सी एक्ट और जागीर रिजम्प्शन एक्ट पास हुआ उस समय सरकार किसानों की तरफ देख रही थी कि इससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन सेटलमेंट डिपार्टमेंट से जो यह काम शुरू हुआ वह पुराने जमाने के तरीकों से हुआ और सेटलमेंट में जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिये था नहीं रखने से ऐसी हालत पैदा हुई है कि जो काश्तकार लगान पहले देते थे उससे भी बहुत सी जगह ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आपको ऐसी मिसालें हजारों की तादाद में मिल सकती हैं और मोजूद हैं। कई जगह पहले १५ रुपये लगान के थे और सेटलमेंट होने के बाद वहां पर १५ रुपये के बजाय ५८ रुपये हो गये। इस तरह की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसलिये कोई न कोई तरीका उनको राहत देने का निकालना जरूरी था और जब यह तरीका निकाला गया और कानून पास किया तो वहां भी विरोध मोजूद है। जब कोई कानून बनता है तो भावना यह बताई जाती है कि किसानों को राहत दे रहे हैं। मगर कदम उनको राहत नहीं दिलाने कि तरफ बढ़ाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि बड़े काम को करते समय कई प्रकार की कमियें अवश्य रहती हैं और यहां पर भी सीलिंग मुकर्रर नहीं हो पाई और सिलिंग रेट भी मुकर्रर नहीं की जा सकी। इन बातों का फैसला सरकार इतने लंबे अर्से में नहीं कर सकी और इसलिए इस कमी से यह गलत तरीका और गलत चीज पैदा हुई है। पुराने जमाने में हमारे यहां फ्युडरल स्टेट थे। मगर फिर भी वहां पर भय मौजूद मगर आज कल हम देखते हैं कि किसानों के बीच में एक्टिव एजेन्ट जाते हैं और कहते हैं कि इतना चन्दा हमको दे दो, जिसकी तादाद आज बहुत ज्यादा है, कई डिस्ट्रीक्ट में लोग जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट का बात मुझे मालूम है वहां पर एक्टिव एजेन्ट इकठे हुए और किसानों से कहा कि एक लाख रुपया हमको दोगे तो लगान कम करा दिया जाएगा। मगर इस बात पर झगड़ा हो गया और दूसरे एजेन्टों ने कहा कि हमको २० हजार रुपया दे दो हम काम करा सकते हैं। इस प्रकार झगडा होने से बात बिगड़ गई।

चूंकि इस तरह की कमियें रही हैं कि हम इस बात का सीलिंग नहीं लगा पाये कि ज्यादा से ज्यादा लगान कितना रहेगा और कम से कम कितना। इसलिए जल्दी से जल्दी सीलिंग का होना आवश्यक है और आज जब हम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने जा रहे हैं जो हमारे समाज के बेक बोन हैं, उनकी स्थिति को सुधारने जा रहे हैं और नया समाजवाद मुकर्रर कर रहे हैं

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

और उनको समाजवाद के ढांचे में ढालने जा रहे हैं इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो यह की जमीन की सर्वे हो और दूसरा यह की लगान कितना होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ। इससे किसान बेचारे पिसते जा रहे हैं। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि लैन्डलेस किसान बहुत हैं जिसके लिए हम रेंट कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ काश्तकारों को जमीन देने जा रहें हैं।

मैं यह कहूंगा कि आज के जमाने में जो लोग काश्तकार नहीं हैं उनके पास भी बहुत जमीन मौजूद है। और किसानों के पास भी जमीन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है और मैं यह कहूंगा कि वे दूसरे फोर्म में लैन्ड लोर्ड हैं। उनके पास जरूरत से बहुत ज्यादा जमीन है। कहीं २ तो १० हजार से भी ज्यादा जमीन हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—We are discussing the Review and Validation of Rent Rates Bill and rot either the Ceiling or the distribution of lands to landless peasants. I think the hon'ble member should kindly confine to the Bill under discussion.

श्री द्वारकादास पुरोहित—मैं माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में बता रहा हूं कि इस एक्ट में कमियें रही हैं। मैं तो इसको पारित करने की सिफारिश कर रहा हूं और मुझे तो एतराज इस बात का है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—But this is something in disguise.

श्री द्वारकादास पुरोहित—डिसगाइज़ में समझाने की जरूरत नहीं है। जो कानून में कमीं रह जाती है उसको हाउस के सामने रखने का मौका है। हाउस के सामने जो कमियें हैं वे रखी जावें ताकि वे खामियें इसमें नहीं रहें। मेरे कयास से इससे किसी प्रकार का एतराज होने की गुंजाइश नहीं।

मैं सदन के सामने यह निवेदन कर रहा था कि किसानों को राहत देने के लिये जो नीति अख्त्यार की है उसमें बड़ी बड़ी कमियें रह गई हैं और उस कारण से हमारे कानून के इम्प्लीमेशन में दिक्कत पड़ रही है और उस कारण से ओपोज़िशन की तरफ से भी आवाज आती है कि इसको पास नहीं किया जावे। मेरे खयाल से इसको पास नहीं करना बहुत ही ज्यादा गलत होगा क्यों कि जिस तरह से सेटलमेंट हुआ है और किसानों पर दरें कायम की गई हैं उसको देखें तो मालूम होगा कि एक तरफ दरें बहुत बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ बहुत कम हैं।

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

अब लोगों को इसके बारे में कि आया सरकार इस प्रकार के कानून को लागू कर सकेगी या नहीं, शक होता है और वह इसलिए कि इतने बड़े राजस्थान में सरकार इसको किस तरह से ठीक कर सकेगी। किस तरह से किसानों को इस कानून से राहत मिल सकेगी और इसमें किसी प्रकार से पारशियलिटी नहीं होगी और जो एक्टिव एजेन्ट हैं वे अपने अपने लोगों को लाकर राहत दिला देंगे और दूसरे लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी । क्योंकि यह एजेन्टों की बीमारी इतनी फैली हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक खेत के पास दूसरा खेत है जिसमें एक ही तरह की पैदावार होती है, मगर आप देखेंगे कि उनकी लैंड रेट में फर्क है। इतनी बड़ी बीमारी को इस कानून के जरिये से जो सरकार पास करने जा रही है किस तरह से मिटाएगी और काश्तकारों को किस तरह से राहत दिलाएगी।

इसलिए माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि इसको इम्पलीमेन्ट करने के लिये और रूल्स के बनाते समय सरकार को सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

(घंटी)

जिससे कि लोगों को राहत दी जा सके और जो ऊंची नीची दरों में फर्क है उसको कम करके वास्तव में लोगों को न्याय दिया जा सके, यही मेरा निवेदन है। अतः इसको पास करने में किसी को किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको पास करने के बाद काश्तकारों को राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—You had the benefit of the views of the hon'ble member more than once.

श्री भैरोंसिंह (१६)—मेरी नई बात है।

श्री अध्यक्ष—They are always new. Very briefly.

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने इस बिल को पास करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। लेकिन इसके समर्थन में सदन में कुछ बातें प्रस्तुत करूं इससे पहले मैं सदन के और खास तौर से माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस बिल के करेक्टर की ओर दिलाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष, इस बिल की मंशा यह है कि यदि राज्य सरकार की निगाह में सेटलमेंट के समय जहां सेटलमेंट ओपरेशन चालू है, उस क्षेत्र में यदि तीन चार बातें जो इस विधेयक में दी गई हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी या ऐसी चीज जिसमें परिवर्तन करने की आवश्यक बात हो और वह सरकार के ध्यान में आवे तो सरकार पुनर्विलोकन की आज्ञा देगी"।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय अध्यक्ष, जहां तक इसकी भावना का प्रश्न है, ठीक है लेकिन हम इसमें एक ही दृष्टिकोण रखते हैं और वह है काश्तकारों पर लगान ज्यादा है उसको कम करने का। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से होता कि एसेसमेंट सर्किल, सोइल क्लासीफिकेशन, रेन्ट रेट कायम करते समय ध्यान में रक्खी जावेगी तो ज्यादा अच्छा होगा और अगर इन बातों को ध्यान में रख कर सरकार लैंड रेट में परिवर्तन करने की जरूरत समझे तो आज्ञा प्रदान करेगी, तो मैं समझता हूं कि सारे बिल की भावना स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती।

लेकिन भावना है रेंट रेट्स में जो गलती हुई है उसके कारण परिवर्तन और परिवर्द्धन करने की। इस भावना की मंशा यह भी हो सकती है जहां कहीं रेट में कमी हो अगर सरकार यह समझे कि यहां रेंट रेट्स ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सरकार रेट्स बढ़ाने के संबन्ध में किसी प्रकार की रुकावट पैदा हो ऐसी बात नहीं होगी। यहां मैं यह कहूँ कि दृष्टिकोण कानून बनाने का है वहां यह भी है। तो सरकार के ऊपर है कि वह कौन सा दृष्टिकोण अपनाती है, हम इस कानून द्वारा सरकार को दोनों प्रकार के अधिकार रेंट रेट्स में कमी करने के और रेंट रेट्स बढ़ाने के दोनों अधिकार देते हैं। वैसी सूरत में एक ही दृष्टिकोण को लेकर कानून को बनाना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हमारे सामने दोनों दृष्टिकोण हैं। अगर इसमें से एक दृष्टिकोण लिया गया इनहान्समेन्ट का ही दृष्टिकोण लिया गया तो मैं समझता हूँ जहां किसानों को राहत पहुँचाने की बातें करते हैं वैसा न होकर किसानों को नुकसान ही पहुँचेगा हर सूरत में, फायदा नहीं हो सकता।

जिस तरह की व्यवस्था इस कानून में की गई है उसके बारे में मैं पहले काफी कह चुका हूँ, उन सबको दोहराना मैं उचित नहीं समझता। अब केवल मैं इतना ही निवेदन करूंगा जब कि किसी चीज की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर लेते हैं तो हमारे लिये किसी नतीजे पर पहुँचना मुश्किल है। क्या हम राजस्थान के अन्दर एक प्रकार की रेन्ट रेट्स कायम करना चाहते हैं तो उसके लिये यह आवश्यक है कि हमें पहले यह देखना होगा कि राजस्थान के अन्दर किस किस प्रकार की भूमि है एक तरफ तो सबसे बढ़िया भूमि और सब से बढ़िया हिस्सा कौनसा है वह किस प्रकार की भूमि है, उसी प्रकार ऐसी कौनसी भूमि का हिस्सा है जो सब से कम उपजाऊ है वह किस प्रकार की भूमि है, और वहां पर किस प्रकार की काश्त होती है। इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखकर राजस्थान के लिये रेंट रेट्स की सीमा निर्धारित करें। सबसे अच्छी भूमि की आमदनी और उसका रेंट पांच रुपया बीघा या चार रुपया हो तो उसके मुकाबले जिस भूमि में कम पैदावार होती है उसका रेन्ट पांच आना बीघा या ६ आना बीघा से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार का आप कोई उचित मापदंड अपने सामने रखें। आज जिस मापदंड के अनुसार सेटिलमेंट की कार्यवाही हो रही है उसी मापदंड से हम इस रेंट रेट्स को भी तोलें। जब हम एक मापदंड स्थिर कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि असेसमेन्ट में गलती हुई है या सोइल क्लासिफिकेशन में गलती हुई है, उसके बाद हमें किसी रेन्ट रेट्स को कायम करते हैं तो यह उचित और ठीक बात हो सकती है।

Page No.84

[श्री भैरोंसिंह]

मोट मोटी चीजों की ओर तो ध्यान न दें असेसमेंट ठीक हुआ या नहीं, सोइल क्लासिफिकेशन ठीक प्रकार से हुआ या नहीं इनको तो ध्यान में न रखें और रेंट रेट्स किस प्रकार से लागू होंगे, उनके लिये कौनसे रूल्स होंगे, हम उन रूल्स को कहां प्रेसकाइब कर रहे हैं इन सब बातों का अभाव है। इस एक्ट में जो ये तीन चीजें रखी गई हैं वे बिल्कुल बेकारसी हैं। इन तीनों चीजों का समावेश लैन्ड रेवेन्यू बिल में अवश्य है, लेकिन लैंड रेवेन्यू बिल अभी तक लागू नहीं है, तो उन सारी चीजों का समावेश रहना जब कि वह कानून लागू नहीं उस सूरत में तीन तीन मोटी बातों के एक्स्प्लेनेशन की कोई व्यवस्था नहीं जिनके नीचे रूल्स की व्यवस्था नहीं कि रूल्स कैसे बनेंगे, ये बातें स्पष्ट नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास – माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य फिर उन्हीं बातों को रिपीट करते जा रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कही थीं।

श्री अध्यक्ष—Moreover, it is not discernible whether the arguments are in favour or against the Bill.

श्री भैरोंसिंह–मैं अर्गुमेंन्ट ही दे रहा हूँ। मैं तो इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, लेकिन कुछ आश्वासन मिलने के साथ साथ। मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ खामियां है जिसे दूर करने की चेष्टा की जाय।

श्री अध्यक्ष—कमियों को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है। Your arguments Should be either in support or for the rejection of the Bill.

श्री भैरोंसिंह—मैं स्पष्ट कर रहा हूं इसमें जो कमियां दूसरे माननीय सदस्यों ने बतायी हैं उनका निराकरण हो सके, ताकि उनको सन्तोष हो जाय, इसी लिये मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—But these arguments do not go to support the Bill. पांच मिनिट में समाप्त कर दीजिये

श्री भैरोंसिंह-(जारी रखते हुए) जो कमियां माननीय सदस्यों द्वारा बतायी गयी हैं अगर उन कमियों का निराकरण नहीं हुआ तो बिल पास नहीं होगा, अगर पास नहीं हुआ तो हमारी जो मन्शा है वह रद्दी की टोकरी में चली जायगी। मैंने यह आवश्यक समझा है उनकी शंकाओं के निराकरणार्थ सरकार के सामने कुछ सुझाव रखूं जो इसका विरोध करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनकी तरफ से इसके विरोद्ध स्वरूप जो बातें कही गई हैं उनका निराकरण उस सूरत में हो सकता है, रूल्स इस सम्बन्ध में बनते और सदन की जानकारी में रहते। कौनसे रूल्स बनेंगे, किस प्रकार की जानकारी होगी। हम यह जानते हैं कि सरकार ने किन रूल्स के मुताबिक यह

[श्री भैरोसिंह]

कार्यवाही होगी सब तैयार करके रखे होंगे। अगर उन्होंने तैयार करके रखे हैं तो उनकी जानकारी सदन को देनी चाहिये ताकि विरोध करने वाले जो सदस्य हैं वे विरोध न कर सकें। हम इसकी मूल भावना का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जो तरीका अपनाया गया है उसका विरोध किया जा रहा है। यह बिल तो ऐसा है कि इसको सर्व सम्मति से पास किया जाना आवश्यक है। जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं, अगर आप हमको कन्विन्स करा सकें तो हम कभी ऐसे प्रगतिशील बिल का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा और सदन से यह अनुरोध करूंगा कि इस बिल को सर्व सम्मति से पास किया जाय और विरोधी दल को जो भी कुछ शंकायें हैं उनका निराकरण किया जाय और उसके बाद इसको पारित किया जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के मुतल्लिक माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वे सब बातें इस बिल के फर्स्ट रीडिंग और सेकन्ड रीडिंग में कही जा चुकी थीं। खास बात की दलील जो दी गई वह यह कि यह बिल एक्ट के फॉर्म में साल भर तक रहा और फिर भी सरकार की तरफ से किसानों को राहत पहुंचाने की कार्यवाही नहीं की गई। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में जब इस बिल को हमने पहले कानून बनाया, उसके बाद हमने कई तहसीलों के रेन्ट रेट्स को रिवाइज़ किया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करूं; जमवा रामगढ़, फागी तहसील, तहसील मोजमाबाद, ठिकाना करोलगांव, ठिकाना शाहपुरा, तहसील बैराठ जहां की रेन्ट रेट्स को इन कानून की तहत रिव्यू करने का निश्चय किया गया। इस तरह से इन तहसीलों के किसानों को इस कानून की तहत में इन्टेरिम रिलीफ दिया गया। गये साल से जमवा रामगढ़ के किसानों को ६० परसेन्ट लगान में कमी को गई और करीब ६० पर्सेन्ट का इन्टेरिम रिलीफ दिया गया। फागी और मौजमाबाद में २० और २२ पर्सेन्ट इन्टेरिम लगान का दिया है। तहसील शाहपुरा बैराठ में करीब १६॥ और १७ पर्सेन्ट रिलीफ दिया गया। इन सब बातों को अर्ज करने का मकसद यह है अध्यक्ष महोदय, कि इस कानून के बनने के बाद किसी तरह से राहत नहीं दी गई, यह जो बातें कहीं गई वें बिलकुल गलत हैं। मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को या तो मालूम नहीं या उन्होंने इस विषय में पूरी जानकारी करने का प्रयत्न नहीं किया।

दूसरी बात यह कही गई कि राजस्थान में एक ही प्रकार रेन्ट रेट्स होनी चाहिये। ऊपर और नीचे का सीलिंग एक सा हो, यह जो सुझाव दिया गया इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य को सेटलमेंट का अगर कुछ भी ज्ञान होता तो जो प्रोब्लम उन्होंने रखा है सदन के सामने वह बिल्कुल नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। किसी भी हालत में इसको प्रेक्टिकल शेप नहीं मिल सकता। आज जब कि हम किसानों को राहत देने के लिए इन्टेरिम रिलीफ के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उसमें माननीय सदस्यों को पूरा समर्थन देना चाहिए। जब तक हम लेन्ड रेवेन्यू बिल को फाइनल शेप नहीं दे देते तब तक के लिए यह बनाया है, ताकि किसानों को इन्टेरिम रिलीफ मिल सके और लगान में कमी हो सके। मैं नहीं समझ पाया, अभी

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

तक कि सदस्य विरोधी पक्ष के जो बोले उन्होंने किसानों के साथ बहुत हमदर्दी दिखाई और कहा कि उनके प्रति न्याय होना चाहिये, लगान में कमी होनी चाहिए। पर इस प्रकार का कानून पास नहीं होना चाहिये। यह है उनका दृष्टिकोण। या यों कहिये कि यह है उनकी अन्दरूनी भावना। इससे पता लगता है कि वे क्या चाहते हैं। किसानों के साथ एक तरफ तो उनको हमदर्दी है पर दूसरी ही तरफ लगान में कमी करने का जो कानून है उसका वे विरोध करते हैं।

इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करता हूँ कि उन माननीय सदस्यों ने जितने मुद्दे उठाये हैं उन पर ऑलरेडी प्रथम और द्वितीय वाचन के वक्त काफी बहस हो चुकी है और इसलिए अर्ज करूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण (पुनः प्रवर्तन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान कृषि-भूधारण (संशोधन) विधेयक, १९५६

(विचारार्थ)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का अमेंन्डिंग बिल प्रस्तुत हुआ। इसके लिये मेरी राय यह है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष ५५ में जो टीनेन्सी बिल पास हुआ उस समय भी हमने बहुत कोशिश की थी कि उस कानून को पास करने में स्पीड को थोड़ा धीरे किया जावे। हमारी शुरू से यह मान्यता रही है अध्यक्ष, महोदय कि कानून पास करते समय बहुत ही संजीदगी से काम लेना चाहिये।

[श्री मानसिंह महार]

हमको जो भी कानून पास करना हो वह इस प्रकार से सोच समझकर पास करना चाहिये कि उसमें बार बार रोज रोज अमेंडमेंट लाने की जरूरत न पड़े। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा है अध्यक्ष महोदय, कि आज तक जो कानून पास किये गये हैं या किये जा रहे है जो कानून पास किये जा रहे हैं उनको पास करने में कुछ ऐसी जल्दबाजी बरती जाती है कि कुछ क्लॉजेज़ आपस में ऐसी कन्ट्राडिक्टरी रह जाती हैं कि जिनके कन्ट्राडिक्टरी रह जाने से वह कानून या तो ..

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हाई कोर्टों से अवैध करार दिये जाते है या फिर, मन्त्रीजी तो हैं नहीं किसे सुनाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष—हाउस करेगा फैसला।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बैंच पर तो है कोई न कोई।

श्री मानसिंह महार—तो अच्छा है, तब तक मैं जनरली निवेदन करुंगा।

तो उपाध्यक्ष, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि कानून बनाते समय ऐसी जल्दबाजी की जाती है कि जिससे कानून में ऐसी खामियां रह जाती हैं कि सब कानून हाई कोर्टों में जाकर चैलेन्ज हो जाते हैं, वहां पर अवैध करार दे दिये जाते हैं या उनके इन्प्लीमेन्टशन में ही सरकार को ऐसी खामियां महसूस होती हैं कि उसके लिये अमेन्डमेन्ट्स लाने पडते हैं।

मैं यह मानकर चलता हूँ कि टीनेन्सी बिल का जो यह अमेन्डमेन्ट आया है और इसको जो सिलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार संशोधित करके भेजा है उस प्रकार से रखना उचित नहीं है। मेरी राय यह है कि इस कानून ने, इस अमेन्डिंग बिल ने टीनेन्सी बिल की कुछ ऐसी अहम धाराओं को रिओपन किया है कि जिनको रिओपन करने से वे धाराएं रिओपन हो गई हैं, जिनका सीधा सम्पर्क जनता जनार्दन से है। ये ऐसी इम्पोर्टेन्ट धाराएं हैं कि जिनको अगर हम जनमत के लिये प्रसारित नहीं करेंगे तो जनता की राय जाने बिना पास करेंगे तो न तो जनता का ही इसमें फायदा हो सकेगा और न उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करुंगा कि जनता के अलावा सरकार को भी कई ऐसी डिफिकल्टीज़ आवेंगीं जिनके लिये सरकार को फिर कई अमेन्डिंग बिल लाने पड़ेगे अमेडिंग बिल और इस प्रकार आते जावेंगे, कानून में बढ़ते जावेंगे। कानून की जो इज्जत हमारे दिलों में होनी चाहिये वह कम होती जावेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन करना था कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावे। जनमतकरने की सबसे बडी वजह उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं समझता हूं वह यह है कि इसके अन्दर कुछ ऐसे के लिये प्रसारित ऐसे परिवर्तन किये गये हैं कि जो कुछ विचित्र से लगते हैं।

इसके अन्दर क्लॉज़१८० को ले लीजिये। क्लॉज़ १८० के अन्दर एक विचित्र सी बात की गई। क्लॉज़ १८० के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, यह बात रक्खी गई है कि सन १९४८ के बाद जो भी

[श्री मानसिंह महार]

काश्तकार काश्त करता होगा उसको एक दम से चाहे वह दो दिन का ही हो, काश्तकार पर उसको खातेदारी राइट्स एन्यू हो जावेंगे इस कानून के तहत। लेकिन अगर किसी लेन्ड होल्डर को इस धारा के तहत में खातेदारी राइट लेने होंगे तो उसे बताना होगा कि ४८ से पहले वह पांच वर्ष तक लगातार काश्त कर रहा है या नहीं। आज यह देखने की बात है कि एक ओर तो दो दिन के अन्दर खातेदारी राइट एन्यू हो जावेंगे और दूसरी तरफ ५ वर्ष की कैद लगाई गई। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह सोचकर चलना है कि इस कानून को जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने एक एन्टी जागीरदार या एन्टी लैन्डलार्ड वायस लेकर बनाया है। हम यह मानते हैं कि चाहे यहां सदन में बैठनेवाले लोगों में कुछ की लैंड लार्ड वायस हो सकती है पर आम जनता की इस प्रकार की कोई वायस नहीं है। आम जनता यह चाहती है कि आज के युग में वह चाहे टीनेन्ट हो या सब टीनेन्ट हो या लैन्ड लोर्ड हो, कोई भी हो, प्रत्येक को समान अधिकार होना चाहिये, प्रत्येक का हक हकूक बराबर होना चाहिये और इस प्रकार असमानता नहीं होनी चाहिये। परन्तु क्लॉज़ १८० के अन्दर जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाया गया है उससे यह होता है कि एक तरफ तो टीनेन्ट्स को दो दिन के अन्दर खातेदारी राइट्स मिल जाते हैं और लैन्ड लोर्ड की जब खातेदारी का प्रश्न आता है तो पांच वर्ष की लगातार कल्टीवेशन बतानी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, देखा जावे तो यह कहां की न्यायसंगत बात है और इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स के आने से उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के लोगों को दिक्कत महसूस होती है, डिफिकल्टीज़ आती हैं। इसका मैं एक नग्न उदाहरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आमेर तहसील में एक आतनौदा ग्राम है, वहां पर एक छोटा सा लेन्डलार्ड है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—पब्लिक ओपीनियन के लिए ही कहें।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल इसी के लिए कह रहा हूं कि पब्लिक ओपीनियन के लिए क्यों भेजा जाय?

तो उपाध्यक्षजी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि आमेर तहसील के अन्दर एक छोटा से लेन्ड लोर्ड को अपनी जमीन पर काश्त करते मुद्दतें हो गई थीं। लेकिन सन् १९४८ में ६ महीने के लिए उस लेन्ड लोर्ड के बीमार हो जाने से वह जमीन एक हरिजन को काश्त करने के लिये दे दी। ६ महीनों में उस हरिजन ने बाजरा बोया। बाजरा बोने के बाद जमीन लेन्डलार्ड ने अपनी वापिस सम्हाल ली। सन् १९४९ से वह लेन्ड लार्ड मुतवातिर काश्त करता आ रहा है। पीछे भी आप देखेंगे तो लेन्डलोर्ड का १० वर्षों से कब्जा है। सन् १९४८ के ६ महीने के अलावा

[श्री मानसिंह महार]

सन् ४६ से तो लगातार आज तक लेन्ड लोर्ड का कब्जा है । लेकिन इस कानून के तहत में सबटेनेंट को जिसने ६ महीने तक उस लेन्ड लोर्ड के बीमार होने पर काश्त की थी उस लेन्ड लोर्ड के खिलाफ यह क्लॉज़ गई और रेवेन्यू बोर्ड तक ने उस सबटेनेन्ट को मुआफिक फैसला दिया। तो हमको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखना है आज वहां की पब्लिक ओपीनियन को। वहां के आस पास के गांवों के आम लोगों से पूछिये, आम किसानों से पूछिये। वह कहते हैं कि क्या कानून है ? इस कानून को देखते हुए इस प्रकार के कानून बनाने से क्या होने जा रहा है । यह तो कानून रसातल की ओर ले जाने वाला है । एक आदमी ने ३, ४ महीने काश्त कर ली तो उसके खातेदारी राइट्स एक्यू हो गये । यह कहां का न्याय है । कुछ आज तक समझ में नहीं आता कि १० वर्षों का काश्तकार ३ महीने के लिए बीमारी की वजह से दूसरे को जमीन दे देता है काश्त करने को तो उस आदमी के खातेदारी राइट्स एक्यू हो ही कैसे सकते हैं ? यह एक गांव की नहीं आसपास के ३-४ गांवों की निश्चित धारणा है। कानूनी शहादत का मामला आता है तो १०० आदमी वही कहते हैं कि इन ३ महीनों के अलावा हमेशा से वही आदमी काश्त कर रहा है। आवश्यक रेकार्ड में यह चीज मौजूद है। सब कुछ है, लेकिन इस धारा १८० के तहत में वे सारी चीजें खत्म होजाती हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की जो जनता को ठेस पहुँचाने वाली धाराएं हैं उन धाराओं को जब तक हम जनता जनार्दन के समक्ष नहीं प्रस्तुत करेंगे, मैं नहीं समझता कि जनता को क्या लाभ पहुँच सकता है ?

आज के जमाने में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि टिनेन्सी का कानून बनाते वक्त हमारे मित्र कुछ भावुकता में बह जाते हैं और भावुकता में बहने के कारण जागीरदार, जमींदार या लैंडलार्ड रूपी भूत सामने आ जाता है। वह चाहते हैं कि इस भूत को किसी भी प्रकार से खत्म किया जाय। तो उपाध्यक्षजी, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून बनाते वक्त किसी भूत या भय नहीं होना चाहिए। किसी देवता की आराधना नहीं होनी चाहिए। हमको कानून बनाते वक्त केवल आराधना करनी चाहिए न्याय की। कानून बनाते वक्त सबसे बड़ा कन्सीडरेशन होना चाहिए न्याय का। हमको कानून बनाते वक्त यह देखना चाहिए कि सब के लिये न्याय कर रहे हैं और न्याय का सबसे बड़ा हमारा स्लोगन होकर ही कानून हमें बनाने चाहिए। तो इस प्रकार के कानून बनाते हैं, ऐसे बायस से तो वह कानून न्यायरूपी कानून नहीं है। उन कानूनों में अन्याय का समावेश होता है, चाहे जानबूझकर किया जाय चाहे अनजाने में ऐसा क्या जाता हो। उपाध्यक्ष, महोदय, तो सब से बड़ी बात जो है वह धारा १८० की है।

एक क्लॉज़ ५ को ले लीजिये। मूल एक्ट की पांचवी धारा में, उपाध्यक्ष महोदय, तो अब जो संशोधन किया गया है उस संशोधन के अन्दर रेन्ट फ्री गारन्टी को हटा दिया गया है। आप देख लिजिये, उपाध्यक्ष महोदय, मूल एक्ट की जो धारा में संशोधन किया गया है या इस कानून की २६ [२) में [घन्टी] उसके अन्दर रेन्ट फ्री ग्रान्टी को हटा दिया गया है।

[श्री मानसिंह महार]

तो अब देखना यह है कि रेन्ट फ्री ग्रान्टी को हटा देने से उस रेन्ट फ्री ग्रान्टी को इस कानून में कैसे समावेश हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रेन्ट फ्री ग्रान्टी यह बात आते ही कि यह तो बड़ी वैसी चीज है इसलिए उसको हटा दिया गया है। उस समय मुमकिन है कि कोई बात हुई हो। लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा जायगा, जब पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जायगा तो रेन्ट फ्री ग्रान्टी वगैरह होंगे वे भी अपने रिप्रेजेन्टेशन प्रस्तुत कर सकेंगे, अपनी राय दे देने में कि हमें इस कानून में रेन्ट फ्री ग्रान्टी 'शब्द रहना चाहिये और सिलेक्ट कमेटी ने 'रेन्ट फ्री ग्रान्टी शब्द को हटा दिया है। वह एक ऐसा लेकुना इस कानून के अन्दर आगया है कि जिससे यह कानून अपूर्ण हो जाता है।

इसी प्रकार से १६ वी क्लॉज़ को देख लिया जाय | उसके अन्दर जो कुछ किया गया है वह ऐसे बहुत ही गलत तरीके से किया गया है।

एक, उपाध्यक्ष महोदय, तालाबों के बारे में इसके अन्दर जो किया गया है उसके जिये यह किया गया है कि पानी का बहाव जिस तरफ से होगा, तालाब का उस जमीन के खातेदारी राइट्स किसी को नहीं देगें। इस बात को भी मैं अन्यायपूर्ण मानता हूं। क्या वजह है कि अगर किसी तालाब में उधर से पानी का बहाव होता है और उधर पानी आकर जाता है तो उस पानी के बहाव की जमीन की अगर कोई आदमी वर्षों से काश्त करता आ रहा है तो क्यों नहीं उसको खातेदारी राइट्स दिये जायं? क्या वजह है कि खातेदारी राइट्स का जो हक दिया गया है उस हक को सरकार छीनना चाहती है।

तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे कानून को, यह निवेदन करूंगा, एक दूसरे ही नुक्ते निगाह से देखता हूं। मैं यह मानता हूं कि सन् १९५५ के अन्दर जिन परिस्थितियों में हमने टेनेन्सी एक्ट पास किया था वह बातें आज बिल्कुल बदल चुकी हैं, और आज यह हमारा सौभाग्य है कि सरकार ने इस टिनेन्सी एक्ट की कुछ बहुत ही महत्पूर्ण धाराओं को, जिनसे कि जनता जनार्दन का बड़ा भारी संपर्क है उन धाराओं को रिओपन किया है। इस रिओपन करने के मौके पर अगर हम जनता से उनकी राय लेते हैं कि वह इन धाराओं के अन्दर क्या २ रद्दोबदल करना चाहती है तो मैं यह समझता हूं कि कोई अन्यायरूपी बात नहीं है। कहा जा सकता है कि सिलेक्ट कमेटी ने बहुत ही संजीदगी से कन्सीडर किया है | बहुत दिन तक इस पर विचार विमर्श के बाद हमने जिस तरीके से भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस तरीके को लेकर सदन के समक्ष रखते हैं, यह बड़ा परिपक्व है। लेकिन उपाध्यक्षजी, यह सब होने के बाद भी मैं यह मानता हूं कि इसके अन्दर जिस प्रकार के नुक्ते निगाह से इस कानून में एमेंडमेंट लाकर करना चाहते थे वह बात नहीं हुई है।

[श्री मानसिंह महार]

इसके अन्दर जितने अख्तयारात किसान को मिलने चाहिए उतने, उस हद तक नहीं मिले हैं। इसके अन्दर कुछ थोड़े बहुत अख्तयारात दिये गये हैं तो वह एक तरह से देखा जाय तो मैं यह कहूंगा कि वह अख्तयारात में मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय,...

[१२ बजे का भोंपू बजने के कारण बोलते हुए रूक जाने पर]

श्री उपाध्यक्ष—बोलिये।

श्री मानसिंह महार—वह कह रहे हैं कि साहब सुनाई नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष—जोर से बोलिये।

श्री मानसिंह महार—इस कानून के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि भोंपू के साथ साथ मंत्रीजी भी पधार आये हैं इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा उसका आखिर में कुछ जबाब तो मिल सकेगा, वरना मैं तो इस बात को लेकर बैठा हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन के मेम्बरान को सुना दूं वरना कुछ जबाब आना नहीं है। इसलिए इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को मैंने पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए सरकुलेट करने का प्रस्ताव किया है वह बहुत ही उपयुक्त और व्यवस्थित है आज के युग में उपाध्यक्ष महोदय। कोई भी आदमी आज ऐसा नहीं होगा कि जो इस बात को मंजूर न करे कि अगर काश्तकारी कानून बनावें तो उसमें काश्तकारों की राय भी ले लेना आवश्यक नहीं है। आज के युग में उपाध्यक्ष जी, कुछ ऐसा चक्कर पड़ रहा है

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, सूरत यह है, मैं निवेदन करूं कि आज काश्तकार पढ़े लिखे कम लोग है और उनके नुमाइन्दे बनने की जो लोग डींग हांकते हैं उनमें कुछ वकील हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—भाव कम बता रहे हैं और खाली भाषा ही बता रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—भाव मेरे समझ में नहीं आ सकते हैं। आज के युग में कानून ऐसे बनाते हैं कि हम किसानों के, अदालतों में खाक छानते हुए, पैर टूट जाते हैं, उनके जूते टूट जाते हैं और फिर भी उनको वहां न्याय नहीं मिलता। अगर एक बीघा जमीन की लड़ाई है, अगर बाहमी फैसला करे और उसकी कीमत सौ रुपये की है और यहां तक हो जाता है कि सौ रुपया के लेन देन पर सौदा तय हो जाता है और अगर कोई पार्टी कहती है कि सौ रूपया क्यों दें, अदालत से न्याय कराऊंगा और फिर अदालत में जाते हैं तो वहां हजार रुपया खर्चा करने पर भी वह न्याय नहीं मिलता। यह कानून की हालत है। काश्तकारों के कानून बनायें, उनसे पूछ कर कानून बनायें, उनकी राय के लिए भेजें कि यह जो कानून बना रहे हैं उनमें किस तरह से उनको राहत मिल सकती

[श्री मानसिंह महार]

है। आज तो जमाना उपाध्यक्ष महोदय, यह आ रहा है कि कानून बनाते वक्त किसानों के आपस में मुकदमे होते हैं, कानून तो यह कर देना चाहिये कि अगर दो किसान आपस में लड़ें तो उनको वकील करने की जरुरत नहीं। जितनी गड़बड़ियां आज होती हैं वे सारी गड़बड़ियां इन वकीलों की वजह से ही होती है और अगर आप सिलेक्ट कमेटी के नाम भी देखेंगे तो आपको उसमें ज्यादा वकील ही मिलेंगे:

श्री दामोदरलाल व्यास—वकील

श्री चांदमल मेहता—वकील

('ये कहां वकील हैं!' ऐसी आवाज)

श्री जवानसिंह —वकील

(घंटी)

नाम तो पढ़ कर बताने दीजिये।

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करुंगा कि माननीय सदस्य रिलेवेन्ट रहें। इस तरह से सदन का टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा, मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि वे रिलेवन्ट रहें।

श्री सोहनलाल भटनागर—तैयार नहीं हैं तो बैठ जाइये।

श्री मानसिंह महार—मैं बिलकुल समझता हूं और ऐसे डिस्टर्बेन्सेज़ से तो मैं घबराता नहीं हूँ। परन्तु मंत्रीजी ने फरमायी टाइम वेस्ट की बात, तो मैं मान सकता हूं लेकिन मंत्री जी ने और साथियों ने सिलेक्ट कमेटी मे बैठ कर जो पैसा बर्बाद किया है, वह वेस्ट है न कि जो कुछ मैं कह रहा हूं। आप देख लीजिये इसके अन्दर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः व सात वकील हैं।

(घंटी)

इतने एडवोकेट्स हैं, दस में से और तीन ऐसे कहे जा सकते हैं जो कि वकील नहीं हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि यह काश्तकारों के भलाई के लिए कानून बना रहे हैं, फिर कैसे कह सकते हैं कि इसमें काश्तकारों के व्यू पोइन्ट को रिप्रेजेन्ट करने के लिए उनके रिप्रेजेन्टिटिव्ज हैं या जागीरदारी इलाके के व्यू पाइन्ट को रिप्रेजेन्ट करने के लिए उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं? इस कानून में एक ही तबके का ही रिप्रेजेन्टेशन है और वह तबका है वकीलों का। चाहे लोग नाराज हों, लेकिन यह सही

[श्री मानसिंह महार]

बात है और इसीलिए इस कानून को पब्लिक की ओपीनियन के लिए सरकुलेट करने की बात कही है, वह महज सबसे बडा पोइन्ट है। कुल दस हैं उपाध्यक्ष महोदय और उनमें भी वकीलों ने प्रीडोमिनेन्ट किया है और गिचडपिचड कानून बनाया, ऐसी खिचड़ी की है। हम काश्तकार हैं, लैंड लोर्ड और काश्तकार आपस में लडें, काश्तकार काश्तकार आपस में लडें और इन वकीलों की जेबें गरम हों, आज के युग में बर्दाश्त नही कर सकते। काश्तकारों का आज युग आया है। दुबारा इलेक्शन्स साबित कर देंगे कि कितने वकील आते हैं। इस प्रकार कानून की खिचड़ी न बने, कम से कम वकीलों को रिटर्न करेंगे। यहनारा तो गांवो में बुलन्द हो चुका है टिनेन्सी बिल का सवाल आता है, ७.८ वकील मेम्बर उसमें रख दिये जाते है।

श्री उपाध्यक्ष—कानून का ही राज है।

श्री मानसिंह माहर—आपके आदेश का पालन करते हुए निवेदन करूं कि मुझे जरा बुरा लगा जब राजस्व ने मंत्री कहा कि मैं सदन का समय वेस्ट कर रहा हूं। आपको चाहिए था कि उनके शब्दों को एक्सपन्ज करते, एक मंत्री होकर, गैर जिम्मेदारी की बात करते है। इसके अलावा मैं सरकारी पक्ष पर लांछन नहीं लगाना चाहता लेकिन मै मानता हूं कि राजस्थान की जनता के धन का दुरुपयोग किया है। हमने नहीं। इस सदन में वास्तविक बात निवेदन करें, राजस्थान केका श्तकारी कानून जैसे महत्वपूर्ण कानून कोउनकी ओपिनियन जानने के लिए न भेजें और इस विषय में निवेदन कर तो उसको वेस्टऑफ टाइम कहा जाता है, इससे बढ कर अन्यायपूर्ण बात क्या हो सकती है? (घंटी) इसलिए इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जाय।

मै निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ४३ को ही ले लीजिये। क्लॉज़ ४३ में जो नया प्रोविजन रखा है वह यह रखा है कि काश्तकार को अपनी जमीन मोर्टगेज करने का अधिकार है, खातेदारी राइट्स प्राप्त होंगे उससे पहले हो हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बडी घातक क्लॉज़ है। दिखाने को तो यह दिखाते हैं कि काश्तकारों को हमने कितने अधिक अधिकार दिये है। अधिकार क्या दिये हैं, जरा इस तरफ देखना है। उस किसान को अपनी जमीन गिरवी रखने का हक हो जायगा। मतलब यह है कि उस बेचारे का कोई भला कर सकते हैं तो वह तो नामुमकिन है लेकिन खातेदारी राइट्स एक्रयू होनेके पहले जमीन गिरवी रख सकता है। हमको देखना यह है कि किसान को राइट्स देने के नाम पर कितना हम उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं तो इस बात को मान कर चलता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी भी काश्तकार को आज के युग में यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि अपनी जमीन को वह बनिये के यहां गिरवी रखे।

यदि इस प्रकार का हक दिया जाता है तो जमाना वह आयगा कि थोड़े दिनों में आज जो काश्तकारों पर इतना भारी लगान लगाया जा रहा है उस हालत में इन गरीब काश्तकारों की सारी जमीन बनियों के यहां गिरवी रहेगी और उनको उसके फंदे से छुटकारा मिलना मुश्किल हो जायगा।

[श्री मानसिंह महार]

इसलिये जो धारा रखी गई है वह ऐसी धारा रखी गई है,नीयत देखकर यह कहा जा सकता है कि यह कभी भी काश्तकारों के भले के लिये नहीं रखी गई है। इस धारा को रखने के पीछे कुछ रहस्य है और वह रहस्य यह है कि एक तरफ लंबी लंबी बातें करके काश्तकारों को यह धोखा दें कि हमने 'तुम्हारे लिये ये ये किया है, तुमको अपनी जमीन मोर्टगेज तक रखने का हक देते हैं। उनको हक बताया जाता है। इसके बारे में मैं एक उधाहरण आपके सामने रखता हूँ। पहले रियासतों के समय में जब जागीरदारों को रियासतवाले अपना हितैषी मानते थे तब उन्होंने जागीरदारों के लिये कानून में यह प्रोविजन रखा था कि कोई भी जागीरदार अपनी जागीर को सरकार की बिना इजाजत गिरवी नहीं रख सकता और वह बिना रियासत की इजाजत के कोई कर्ज नहीं ले सकता। यह बंधन वे जागीरदारों के हित में लगाते थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हजारों वर्षों की जागीरें कभी की जागीरदारों के हाथ से चली गई होतीं और बनियों के हाथ में आ गई होतीं। यदि आप इस बिल में इस प्रकार की धारा रखेंगे तो गरीब भोले भाले काश्तकारों को ऊपर से तो यह कहेंगे कि हमने तुमको कितना हक दिया, वे भी समझेंगे कि हमको सरकार ने बहुत बड़ा हक दिया, अब यदि मां का नुक्ता करना है या बेटी की शादी करनी है तो हम जमीन गिरवी रखकर १० हजार रुपये भी उधार ला सकते हैं। लेकिन आज के युग में वह काश्तकार १० हजार रुपये वापिस चुकायेगा कैसे ? यदि वह रुपये वापिस नहीं लोटायगा तो उसकी जमीन कभी भी नहीं छूट सकती। तो मैं यह मानता हूं कि क्लॉज़ ४३ काश्तकारों के लिये इतनी घातक है कि उसको कभी नहीं पास करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ डिस्कशन हो, तब इस बारे में कहियेगा।

श्री मानसिंह महार—इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मोर्टगेज के बारे में जो क्लॉज़ है उसके बारे में मेरा यह मत है कि काश्तकारों को इस प्रकार के गलत तरीके से कॉन्फीडेन्स में नहीं लेकर ऐसी धाराएं रखी जाती हैं तो उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनको ओपिनियन मांगी जाय, उनकी राय पूछी जाय, उनसे यह पूछा जाय कि इस प्रकार की धारा बिल में रख रहे हैं, तुम उसके बारे में क्या कहते हो। वे यदि उचित समझें तो उनको रखा जाय नहीं तो नहीं रखा जावे। ये धाराएं देखने में अच्छी हो सकती हैं लेकिन मैं जमीन को मोर्टगेज रखने की बात को सिद्धान्त कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यह मानता हूं कि काश्तकारों की जमीन का संरक्षण करना हो तो कभी भी उनको गिरवी रखने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस ओर जितना काम किया जा रहा है वह गलत है।

इसके बाद मैं एक बात और निवेदन करूंगा, वह यह है कि इसमें खुद काश्त के चेप्टर को रीओपन किया गया है। वह ऐसा कांट्रोवर्शियल मामला है कि इसके बारे में जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा है। उपाध्यक्षजी, इस खुद काश्त के चेप्टर के बारे में मैं यह निवेदन करूं कि यह सेक्शन रीओपन किया गया है १६ ए. उसके बारे में यह है कि इसको जैसा का तैसा रखना चाहिये। जैसा टनेन्सी बिल के ओर-

[श्री मानसिंह मद्दार]

जिनल ड्राफ्ट में रखा उसमें जो अमेन्डमेन्ट किये गये हैं बायस तरीके से और गलत तरीके से किया गया है, जब कि आज भूस्वामियों और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच में बात चीत चल रही है,जब एकतरफ हमारी सरकार जागीरदारों से बात चीत कर रही है और दूसरी तरफ इस तरह के अमेन्डमेन्ट लाती है तो इससे मामला सुलझेगा नहीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि आज खुदकाश्त के सेक्शन को अमेन्ड करने की बात सिलेक्ट कमेटी ने प्रपोज की है वह न्यायोचित नहीं है। इसको डेफर किया होता तो अधिक उचित होता, बमुकाबले टिनेन्ट्स और लैंड लोर्ड्स को लड़ाने के लिये ऐसा सेक्शन लानेके इसको लाने से दोनोंके बीच में वैमनस्य अधिक फैलेगा।ऐसी चंद बातों के बारे में मैंने सदन में कुछ बातें प्रस्तुत की हैं। यदि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय तो ज्यादा उचित होगा। और खास बात यह है कि इसमें वकीलों को रक्खा है। जिस सिलेक्ट कमेटी में वकील होते हैं वे काश्तकारों और जागीरदारों का कभी भला नहीं कर सकते। मैं समझता हूं, यदि वकीलों को इसमें नहीं रखते और दूसरे लोगों की सिलेक्ट कमेटी बनाते तो अच्छा रहता। वकील ऐसे कानून में जकड़ते हैं कि काश्तकार और जागीरदार को लड़ाकर वे मुकदमा लड़ाते है और बीच में आप फायदा उठाते हैं। जागीरदार, लैंड लोर्ड और किसानों को फायदा पहुँचाने की बात पर वे कभी ध्यान नहीं दे सकते। मेरा उनसे मौलिक और सैद्धांतिक मतभेद है। जिस सिलेक्ट कमेटी में वकील होंगे तो उससे कभी भला नहीं होगा। मुझ जैसे बिना पढ़े लिखे लोग वहां जा बैठते हैं तो वे कानून में ऐसा जकड़ते हैं कि हम बोल नहीं सकते। पंख कटे हुए पंछी की तरह हो जाते हैं, बोल नहीं सकते। इसलिए इन वकीलों को नहीं रखना चाहिए। जहां किसानों की भलाई के लिये या जागीरदारों की भलाई के लिये कोई कानून हो तो उनको आमने-सामने बिठाकर बात करनी चाहिये। यह हो सकता है लेकिन सदन के काम में भी वकील अपनी टांग अड़ावें यह अच्छा नहीं हो सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें बहुत से वकील रहे हैं और हमको लड़ाने की चेष्टा की गई है, हमको धोखा दिया गया है, किसानों की जमीन लोगों के पास चली जाने की बात रखी है इसलिये मैं बड़े जोरदार शब्दों में सदन के उन सदस्यों से जो किसानों का भला चाहते हैं, निवेदन करूंगा कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजें और किसानों की तरफ से या लैंड लोर्ड्स की तरफ से सुझाव आवें उन पर गौर करें, उनके अलावा दूसरी संस्थाएं सुझाव भेजें तो उस पर विचार नहीं होना चाहिये क्योंकि किसान जो लगाना देते हैं और लैंड लोर्ड्स जिनका अब किसानों में ही परिवर्तन हो गया है उनके सुझाव मानने चाहिये। वकील लोग सिलेक्ट कमेटी में बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि हम मुकदमा लड़ते लड़ते मर जायेंगे। जब उनसे कहते हैं कि गॉव वालों से पब्लिक ओपिनियन मांगी जाय तो उसके लिये तैयार नहीं हैं, आपस में बैठकर सोचने के लिये तैयार नहीं है, सिलेक्ट कमेटी में बैठने के लिये तैयार हो जाते हैं। कल मैंने जब यह कहा कि हमारी राय मांगें तो पंखे के नीचे गवर्नमेन्ट होस्टल में बैठने को तैयार हो गये। लेकिन जनता की राय मांगने को कभी तैयार नहीं होंगे। इसलिये बार बार दोहराना पड़ेगा। किसानों का मामला है, यह वह मामला है जिसमें बिजली की रोशनी या पंखों के नीचे बैठकर काम नहीं करना है, लेकिन खेजड़ों की छाया में, उनके नीचे बैठकर तय

[श्री मानसिंह महार]

किया जाय तो अधिक उपयुक्त हो सकता है। पंखों के नीचे बैठ कर जयपुर में गटर लाइन या बंगले बनाने के लिये पैसा हर हालत में वसूल होना चाहिये . . .

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, में खुद खत्म करना चाहता हूँ। मेरा खुद का गला बैठता जा रहा है। मैं अपने आपको किसानों का हिमायती मानता हूँ, इसलिये कह रहा हूँ। आज वे लोग जो 'किसान, किसान' चिल्लाते हैं वे किसानों से कितने दूर जा रहे हैं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार का कानून बनाया जाय कि जिससे किसानों का भला हो सके। सदन में बैठ कर कानून बनाने से सही ढंग से राहत नहीं मिल सकती।

आज के युग में हमें गांव गांव से पब्लिक ओपिनियन मंगानी चाहिये। अब मैं तो बोल नहीं सकता उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचेज़ खाली पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बोलिए, वे सुन रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मैं टिनेन्सी बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए रेफर करने का निवेदन कर रहा था, उसके बारे में मैं खत्म ही करने जा रहा था, पर मन्त्रीजी महोदय के सीट पर न होने की वजह से रह गया। सदन के अधिकतर सदस्यों ने महसूस किया है कि काश्तकारी कानून गांवों के ढांचे में ढलकर बनना चाहिये, न कि शहरों के ढांचे में। कोई कानून बनता है तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती कि मजिस्ट्रेट को गांवों में भेजकर गवाह शहादतें लेकर....

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, यह टीनेन्सी एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखता।

श्री मानसिंह महार—पहले सुन तो लो। उपाध्यक्ष महोदय, यह डिस्टर्बेन्स मेरा बहुत समय ले लेता है, मैं गांव वालों की जो कुछ पैरवी करने जाता हूँ तो इन वकील लोगों की ओर से डिस्टर्बेंस किया जाता है।

हां तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को यदि जनमत के लिए प्रसारित किया जाय तो इससे सही माने में काश्तकारों को लाभ पहुँच सकता है। जिस प्रकार सेलेक्ट कमेटी ने पेश किया है उसी प्रकार सदन पास कर देगा तो इसमे किसानों को नहीं बल्कि वकीलों को फायदा होने वाला है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बोलना शुरू करूं या कल मुझे बोलने का समय दिया जायगा।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—हॉफ एन अवर डिस्कशन है, इसके बाद उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष—Yes, half an hour discussion.

श्री नाहरसिंह, डी. पी. ओ. जयपुर की नियुक्ति के सम्बन्ध में आधे घन्टे का वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधे घन्टे के वाद-विवाद के लिए निम्नलिखित प्रश्न माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से जानकारी करने के हेतु प्रस्तुत करता हूं ;

"क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री नाहरसिंह डिवीजनल पंचायत ऑफिसर की वर्तमान पद पर नियुक्ति कब और किस ग्रेड पर हुई ? इसके पहले क्या उक्त अधिकारी झुंझुनूं जिला बोर्ड में सेक्रेटरी के पद पर काम करता था ?

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति प्रारम्भ में किस ग्रेड पर हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त श्री नाहरसिंह को तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री श्री कुम्भाराम आर्य ने एक साथ पांच ग्रेड का प्रोमोशन स्वायत्त शासन विभाग की सिफारिशों के विरुद्ध दिया ?

(घ) क्या डिवीजनल पंचायत ऑफिसर की पोस्ट आर. ए. एस. की गजेटेड पोस्ट है ?

(च) क्या इसके लिए कोई प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना पत्र इसके लिए आये ?

(छ) क्या यह सही है कि उक्त श्री नाहरसिंह आर. ए. एस की प्रतियोगिता परीक्षा में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असफल घोषित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो फिर उन्हें आर. ए. एस. की पोस्ट पर क्यों रखा गया ?"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) उस समय श्री नाहरसिंह को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में २३० रुपया मासिक तनख्वाह के मिल रहे थे और वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड झुंझुनू के सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त थे। अब जो उनका नया अपोइन्टमेंट हुआ है वहां उन्हें सिर्फ २०० रुपये मिल रहे हैं, इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

(ख) जिला बोर्ड ने २४-४-५३ के व २५-४-५३ के प्रस्ताव से सरकार से सिफारिश की कि उनकी योग्यता और सेक्रेटरी पद पर उन द्वारा किये गये काम के आधार पर, उनका ग्रेड २००—१५—३५० किया जावे और वह सरकार ने इस बिना पर कि जिला बोर्डों का एकीकरण नहीं हुआ है इसलिए मन्जूर नहीं किया और यह आज्ञा दी कि यदि बोर्ड चाहे तो मौजूदा ग्रेड में हायर स्केल पर रख दिया जावे।

(ग) २५-१-५५ को बोर्ड ने फिर प्रस्ताव पास किया कि उनको ५ एड्वान्स इन्क्रीमेंट्स दें। डी. एल. बी. ने दो इन्क्रीमेंट की सिफारिश की थी।

(घ) इस केस की जांच कर रहे हैं, उसके आधार पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जायगी।

(च) रिक्त स्थान चले आ रहे थे, १५-७-५५ को रिक्त किये गये और १६-७-५५ को ये दोनों पद भर दिये गये।

यह मौजूदा स्थान आर. ए. एस. पोस्ट का नहीं है और आर. ए. एस. की पोस्ट का नहीं है।

नोन आर. ए. एस. पोस्ट पर हैं और उसी पर काम कर रहे हैं।

(छ) दोनों पद डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर के समय भर दिये गये और डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर के वक्त एप्लीकेशन्स आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

श्री भैरोंसिंह—जब डी. एल. बी. ने २ प्रोमोशन्स देने की सिफारिश सरकार से की थी तो सरकार ने किस कारण से यह आदेश दे दिये कि हाइएस्ट एन्क्रीमेंट दे दें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सबसे पहले इसका निर्णय किया और वह निर्णय हुआ है तारीख १९-४-५३ को

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

और उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने तय किया कि १४०-१०-२५० के ग्रेड के स्थान पर २००-१५-३५० का कर दिया जावे। पहले २०० की तनख्वाह बढ़ाने का है, उसके लिये गवर्नमेंट ने मना कर दिया पर कह दिया कि मौजूदा ग्रेड से है उसमें तरक्की दे दें, इसलिए ५० रुपये बढ़ाने के लिये ५ इन्क्रीमेंट दिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्णय था उसके खिलाफ डी. एल. बी. ने लिखा था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो निर्णय लिया व सिफारिश की थी उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।

श्री भैरोंसिंह—जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ग्रेड इन्क्रीमेंट देने का प्रस्ताव पास किया उस पर सरकार ने कहा कि मौजूदा ग्रेड है उसमें ही ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाय; तो क्या सरकार इस मान्यता को रख कर चलती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस रूप में प्रस्ताव पास करे उसी रूप में उसे मान्यता दी जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी का जो ग्रेड है उसी को रखा जाय, उसको मान्यता देते हुए १५० से २०० रु. की तनख्वाह की। सरकार ने देखा कि इस समय पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए इसलिए गवर्नमेंट ने हाइएस्ट इन्क्रीमेंट उसी ग्रेड में देने की आज्ञा दे दी, २५ दिसम्बर, १९५४ से दी। उसमें साफ लिखा है :

"The Chairman of the Board may, however, be advised to submit proposals to give him higher start in the existing pay scale if the Board so desires."

और बोर्ड ने पहले से ही १५० के बजाय २०० देने के लिये विचार लिया था और उसके लिये गवर्नमेंट से सिफारिश की थी।

श्री भैंरूंसिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस बात की जांच की कि जो सिफारिश को जा रही है वह वाजिब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें लिखा हुआ है, उसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं :

"During the two years that he has been holding the post, his work has been highly commended by officials and non-official members of fhe board. My predecessor--Mr. B. N. Tankha . . . "

जो कलेक्टर था और उसका ही लैटर है :

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

"My predecessor Mr. B. N. Tankha has remarked that he is quite hard and honest officer and he is discharging his duties to the entire satisfaction of the entire services. I am fully in a position to say that by his conduct and work he has given me fullest satisfaction."

यह बात लिख कर बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया और गवर्नमेंट ने उपरोक्त सिफारिश को माना है। गवर्नमेंट चाहती तो २०० से ४०० कर सकती थी, मगर मौजूदा पे में हाइअर स्टार्ट दे दे। मैं समझता हूं कि उस गरीब को नुकसान ही हुआ है, उसको २३० की जगह २०० ही मिल रहे हैं:

"Now I am getting only Rs. 200/-"

जिसके बारे में उसका रिप्रेज़ेन्टेशन चल रहा है। वह एम.ए., एल एल. बी हैं, वकील हैं। मैं समझता हूं कि बहुत कम वकील होंगे जो मीगर पे में जोब एक्सेप्ट करेंगे। और तो बहुत से केसेज़ हैं।

श्री भैरोंसिंह—सरकार ने ग्रेड इन्क्रीमेंट की आज्ञा देने के पहले इस बात की जांच की कि वह गवर्नमेंट सर्विस में परमानेन्ट हैं या नहीं और उसका पी. एस. सी. से एप्रूवल हो चुका है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रीकोवेनेन्टिग स्टेट के हैं, by force of law district Board employees must be government servants. District Board employees are permanent employees.

यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में प्रोविजन है और वह उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्ट्रीगेशन का मामला चल रहा है। इसलिये उसको पी. एस. सी. में भेजने की जरूरत नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह—जब नया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास नहीं हुआ था उस समय क्या सरकार ने जांच की कि क्या यह परमानेन्ट सर्विस में हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो पब्लिक सर्विस कमिशन से इनका एप्रूवल हुआ या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपको बताया कि He was a permanent employee of the Jaipur Unit Services.

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इनका इन्ट्रीगेशन का मामला तय नहीं हुआ था, इसलिये पी. एस. सी. की बात पैदा नहीं होती ।

श्री भैंरू सिंह—क्या ये जयपुर में परमानेन्ट थे या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के परमानेन्ट एम्प्लोइ थे ।

श्री भैंरू सिंह —क्या उनका अपोइन्टमेन्ट जब जयपुर में थे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैं यह जानता हूं कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के परमानेन्ट एम्पलोई हैं क्योंकि लेटर में लिखा है कि उनको १५० से २०० के ग्रेड में इतना मिलता है—"He is getting Rs. 160/ in the grade of Rs. 150-10-250."

अगर परमानेन्ट एम्पलोई नहीं होते तो ऐसा नहीं होता ।

श्री भैंरू सिंह (१६)—क्या सरकार ने इस बात की जांच की या नहीं कि वह परमानेन्ट हैं या नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्टीग्रेशन के केसेज़ नहीं जाते, जो इस सम्बन्ध में रिज़ोल्युशन है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि The Rajasthan Public Service Commission (Limitation of functions) Act, 1951 के क्लाज़ ४

में इस प्रकार साफ लिखा है :

"It shall not be necessary for the Commission to be consulted in resdect of any matters relating to or arising out of appointments made for the integration of services of the various Covenanting States in the services of the State of Rajasthan and interim appointments made or to be made in the process of such integration."

इसलिए इसको पब्लिक सर्विस कमीशन में देना जरूरी नहीं है ।

श्री भैंरोंसिंह—इनकी नियुक्ति झुंझुनु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा हुई थी या जयपुर से हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—झुंझुनु हुई थी।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के माफिक उनको कोई नियुक्ति इस प्रकार करने का अधिकार नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं यह कह सकता हूँ कि वह नियमानुसार जरूर है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि नाहरसिंह टेम्पोरेरी एम्पलोई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—अगर वे टेम्पेरेरी एम्पलोई साबित हो जाएं तो क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—By force of law when the District Board Act came into force, they become Government employees.

श्री मानसिंह महार—यह तो परमानेन्ट को इफेक्ट करता है। अभी आपने जो पढ़ कर सुनाया है, वह बिल्कुल क्लिअर है। इस पर पी. एस. सी. का असर होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले भी कहा था और अब भी निवेदन करूंगा कि इन्टीग्रेशन हुआ नहीं है, इसके लिये लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि वह अफसरों के नोटिस में नहीं हो।

श्री मानसिंह महार—मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है। आपने एक टेम्पोरेरी आदमी को परमानेन्ट पोस्ट पर किस कानून की तहत में प्रोमोशन दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि परमानेन्ट हैं।

श्री मानसिंह महार—कौनसी तारीख को परमानेन्ट हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रीकोवेनेन्टिंग स्टेट से हैं। चूंकि इनको एक्रीमेन्ट मिल गया है......

(अश्रव्य)

श्री भैरूसिंह—अगर यह साबित कर दिया जावे कि यह परमानेन्ट नहीं था तो क्या सरकार एक्शन लेने के लिये तैयार है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि सारे केसेज़ को पी. एस. सी. में भेज रहे हैं।

श्री भैरूसिंह—आप उनको परमानेन्ट एम्पलोइ समझ कर भेज रहे हैं। हमारा कहना यह है कि वह टेम्परेरी थे तो उनको परमानेन्ट का चान्स, . .

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके मुतल्लिक तो कोई प्रश्न नहीं था, if the Integration Department comes to the conclusion तो वह देख लेगा।

श्री भैरूसिंह—जयपुर बोर्ड को सेक्रेट्री रखने का अधिकार नहीं है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि वह टेम्पोरेरी है, सरकार का एप्रूवल नहीं हुआ होगा। इसलिये यह मान कर चलता हूं कि हाइपोथेटिकल सरकार ने परमानेन्ट पोस्ट पर किया। यह साबित कर दिया जावे कि वह टेम्परेरी पोस्ट पर था तो क्या परमानेन्ट करने से पहले पी. एस. सी. के पास केस भेजा जाएगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि यह सारा बेसिस गलत है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के माफिक उन्होंने सरकार का एप्रूवल ले लिया। इसके बाद दफा ४, Rajasthan Public Service Commission Act, में है उसको इन्टीग्रेशन में रखने के बाद जब डिपार्टमेंट रिकमन्ड कर देगा तब उसको रेफर किया जावेगा। स्थिति बिल्कुल क्लियर है।

श्री भैरूसिंह—एक प्रश्न और पूछता हूं। क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इसके लिये सिफारिश कर दी थी और उनका एपोइन्टमेंट हुआ इसको आप स्पष्ट कर दें, फिर मैं इसको चैलेंज करूंगा और इसकी अपोजिट साइड को आपके सामने रखूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कायदा यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गवर्नमेन्ट के एप्रूवल से से एपोइन्टमेंट करता है। अगर आप कहते है ऐसी बात होती तो क्या डाइरेक्टर ओफ लोकल बोडीज़ आदि सब अन्धे थोड़े ही बैठे हैं। आप यह कहते हैं कि वह टेम्पोरेरी एम्पलोइड था, यह नामुमकिन बात है। आप जो कह रहे हैं मैं फिर भी इसकी दुबारा जांच करूंगा। आप भी जो कह रहे हैं वह अन्दाज से ही कह रहे हैं। You are also groving in the dark. इसके बारे में मैं जहां तक जानता हूं, मैं स्पष्ट हूं। फिर भी आपके कहने के मुताबिक जांच करूंगा। इन्टीग्रेशन डिपार्टमेंट इस बात को देखेगा कि एम्पलोई परमानेन्ट है तो इस बात की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष—आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल प्रातः ८ बजे से फिर कार्यवाही आरम्भ होगी।

(सभा की कार्यवाही मध्यान्ह १२. ४० पर, दिनांक १० मई, १९५५ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ९ मई, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन को मेज पर रखे गये तथा जिन के प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

८७६. (८७ एम. एल. एम.) श्री भैरोंसिंह एम. एल. ए. डिविजन नंबर १६— क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू होने के पश्चात् ग्राम पंचायत जोगीवाला, तहसील भादरा जिला श्री गंगानगर का प्रथम बार पंचायत चुनाव किस अफसर द्वारा किस तारीख को कराया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उस दिन शांति भंग होने के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इसके पश्चात् इस पंचायत के पन्चों को मनोनीत किया गया ? यदि हां, तो किन किन को ?

उत्तर

(क) श्री रघुवीर प्रकाश हैडमास्टर निनांस द्वारा दिनांक २१ । १२ । ५४ को—

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

श्री नेतराम	सरपंन्च
श्री जयमलराम	उप सरपंन्च
श्री मोहनराम	पन्च
श्री सुरजाराम	”
श्री रामजीलाल	”
श्री श्योनाथराम	”
श्री बीरबलराम	”
श्री मुखराम	”

प्रश्न

८८६. (१४४ एम. एल. एम.) श्री रामदयाल उपाध्याय, एम. एल. ए., डिविजन नंबर १२३—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सरकार हर डिस्पेन्सरी में एक २ नर्स नियुक्त कर रही है ?

(२) यदि हां, तो जहाजपुर डिस्पेन्सरी में अब तक क्यों नहीं नियुक्त की गई है ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२, जहाजपुर डिस्पेन्सरी में नर्स के लिये कोई स्थान स्वीकृत नहीं है इसलिये वहां कोई नर्स नहीं भेजी जा सकती, परन्तु वहां एक ट्रेन्ड दाई कार्य कर रही है।

प्रश्न

८८८. (१९५ एम. एल. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नंबर ७२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

१. राजस्थान निर्माण के बाद जो तहसील पन्चायतें बनी हैं उनमें रिज़र्व सीट (शिडूल्ड कास्ट) के पन्च को नोमीनेट करने के लिये जो प्रस्ताव आते हैं उनको कितने दिनों में स्वीकृति मिलती है ?

२, क्या यह सच है कि तहसील पन्चायत मांडल, जि० भीलवाडा में एक रिज़र्व जगह के लिये कितने ही प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं पर सरकार ने नोमीनेट करने की स्वीकृति नहीं दी है ?

३. स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

१. यथा सम्भव शीघ्र ही स्वीकृति दे दी जाती है। अलबत्ता जांच करने में अवश्य कुछ बिलम्ब होना सम्भव है।

२. स्वीकृति दी जा चुकी है।

३. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न

८६२. (१२७/एच. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७२—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि बनेडा, जिला भीलवाडा में दोलतसिंह देपुरा के पास एक पिश्तोल है ? यदि हां, तो यह इनके पास कब से है और उक्त पिश्तोल का लाइसेन्स इनके पास है या नहीं ?

उत्तर

१. श्री दौलतसिंह देपुरा के पास एक रिवोल्वर था।

२. यह रिवोल्वर उनके पास सन् १९५२ से १४. २. ५६ तक रहा और अब पुलिस के अधिकार में है।

३. जी हां।

४. उनके पास इसका लाइसेन्स नहीं है।

प्रश्न

६०१. (८/एस. एन. क्यू.) श्री भगवानसिंह तरंगी, एम. एल. ए., डिविजन नंबर ६—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भवानी मंडी (जिला झालावाड) को म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन का चुनाव का नतीजा चुनाव होने के दो महीने बाद भी गजट में प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां का चुनाव रद्द किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) क्या यह भी सत्य है कि भूतपूर्व चेयरमेन द्वारा दी गई याचिका को स्वायत्त शासन विभाग ने दबा लिया ?

(घ) इस तथ्य में कितनी सच्चाई है कि भवानी मन्डी चेयरमेन के चुनाव की जांच के सिलसिले में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह उस ऑफिसर से जिसने चुनाव कराया है नीचे ओहदे का है ?

उत्तर

(अ) इसके पहिले कि अध्यक्ष के चुनाव का नतीजा राजपत्र में घोषित किया जाता एक चुनाव याचिका प्रस्तुत हो गई, अतः विज्ञापित न हो सका। अब अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय को इसे राजपत्र में प्रकाशित करने को लिख दिया गया है।

(ब) टाउन म्यू० बोर्ड्स के चेयरमेन का निर्वाचन नियम १९५१ के नियम १४ के अनुसार सरकार को एक चुनाव याचिका प्राप्त हुई अतः उक्त नियमों के नियम सं० १५ के अनुसार इसकी जांच आवश्यक है, जो की जा रही है। ऐसी याचिका में नियम १३ के अनुसार स्टेट ऑर्डर की मांग की थी, इस पर पुनः विचार कर निर्वाचित अध्यक्ष का नाम राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेज दिया गया है। जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सत्य-असत्य का निर्णय हो सकेगा।

(स) इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। चेयरमेन का नाम प्रकाशित किया जा रहा है।

(द) जी नहीं।

(य) एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा इस चुनाव याचिका की जांच कराई जा रही है। इसमें कोई तथ्य नहीं है कि उसे कोई प्रलोभन दिया गया है।

ह. नियमानुसार इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न

९०३. (१५४। एम. एल. एम.) श्री भैरूंसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नंबर १६-क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) झुंझुनू जिला बोर्ड की नामजदगी कब की गई!

(ख) नामजदगी में सदस्यों को किस मापदण्ड से नामजद किया गया?

(ग) जिला बोर्ड के चेयरमेन को कितना मासिक अलाउन्स मिलता है?

(घ) झुन्झुनू और मलसीसर थाने में जिला बोर्ड की ओर से कहां कहां कूओं और स्कूलों के निमित्त सहायता दी गई?

उत्तर

क. २।१।१९५४ को।

ख. नामजदगी में सदस्यों को निम्न लिखित मापदन्ड के अनुसार नामजद किया गया है। ४ सदस्य जागीरदारों और ठिकानेदारों के, १ हरिजनों का, २ सदस्य सरकार के एवं १३ सदस्य अन्य पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल २१ सदस्य हैं।

ग. कुछ नहीं।

घ. थाना झुन्झुनू

१. बाकरा हरिजन कुआ
२. बासड़ी सार्वजनिक कुआ
३. सोनासर कुआ
४. पुरोहित की ढानी व गुड कुआ
५. रेखा का वास कुआ
६. मीलरें की ढाणी.तन.उदावास कुआ
७. पुलिस लाइन झुन्झुनू कुआ
८. सेवाका बास कुआ
९. मालियों की ढाणी तुडाना स्कूल
१०. सोनासर स्कूल
११. नैयासर स्कूल
१२. हनुमानपुरा स्कूल
१३. आबूसर स्कूल
१४. विद्यार्थी भवन झुन्झुनू स्कूल

थाना मलसीसर

१. नयावास पातुसर कुंड
२. कोदेसर हरिजन कुंड
३. आनन्दपुरा
४. पीथुसर का बास कुन्ड
५. झटावा कुंड
६. चन्दवा स्कूल
७. कांट स्कूल

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ९०० का उत्तर देखिये)

ELECTRICAL & MECHANICAL DEPARTMENT

List of 61 Localities

S. No.	Name of Localities	Name of District.
1.	Shri Ganganagar.	Shri Ganganagar
2.	Hanumangarh New Town ship	"
3.	Hanumangarh Fort.	"
4.	Chautala Road.	"
5.	Pilibanga.	"
6.	Suratgarh.	"
7.	Sadulshahar	"
8.	Sarupsar.	"
9.	Jetsar.	"
10.	Bijeynagar	"
11.	Raisinghnagar.	"
12.	Gajsinghpur.	"
13.	Karanpur.	"
14.	Kesrisinghpur.	"
15.	Prithvirajpur.	"
16.	Rajgarh.	Churu.
17.	Bhadra.	Shri Ganganagar
18.	Nohar.	"
19,	Pilani.	Jhunjhunu.
20.	Jhunjhnu.	"
21.	Chirawa,	"
22,	Surajgarh.	"
23.	Khetri.	"

1	2	3
24.	Ratangarh.	Churu.
25.	Sardarshahar.	"
26.	Churu.	"
27.	Ratan nagar.	"
28.	Ramgarh.	Sikar.
29.	Bisau.	Jhunjhunu.
30.	Fatehpur.	Sikar.
31.	Lachmangarh.	"
32.	Sikar.	"
33.	Nawalgarh.	Jhunjhunu.
34.	Rajaldesar.	Churu
5.	Memasar.	"
36.	parsneu.	"
7.	Talchhapar.	"
38.	Sujangarh.	"
9.	Bidasar.	"
.	Sandwa.	"
	Jaswantgarh.	Nagore
	Ladnun.	"
	Bikaner.	Bikaner
	Nal.	"
	Kodamdesar.	"
	Gajner.	"
	Kolayat.	"
	Gangashahar.	"
	Bhinasar.	"
	Udransar.	"
	Palana.	"
	Deshnoke.	"

1	2	3
53.	Surpura.	Bikaner
54.	Himatsar.	,,
55.	Nokha.	,,
56.	Devikundsagar.	,,
57,	Napasar.	,,
58.	Dulchasar.	Churu.
59.	Sudsar.	,,
60.	Dungargarh.	,,
61.	Jamsar.	Bikaner.